खण्ड-152, अंक-2
मंगलवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1877
(22 मार्च, 1955 ई0)

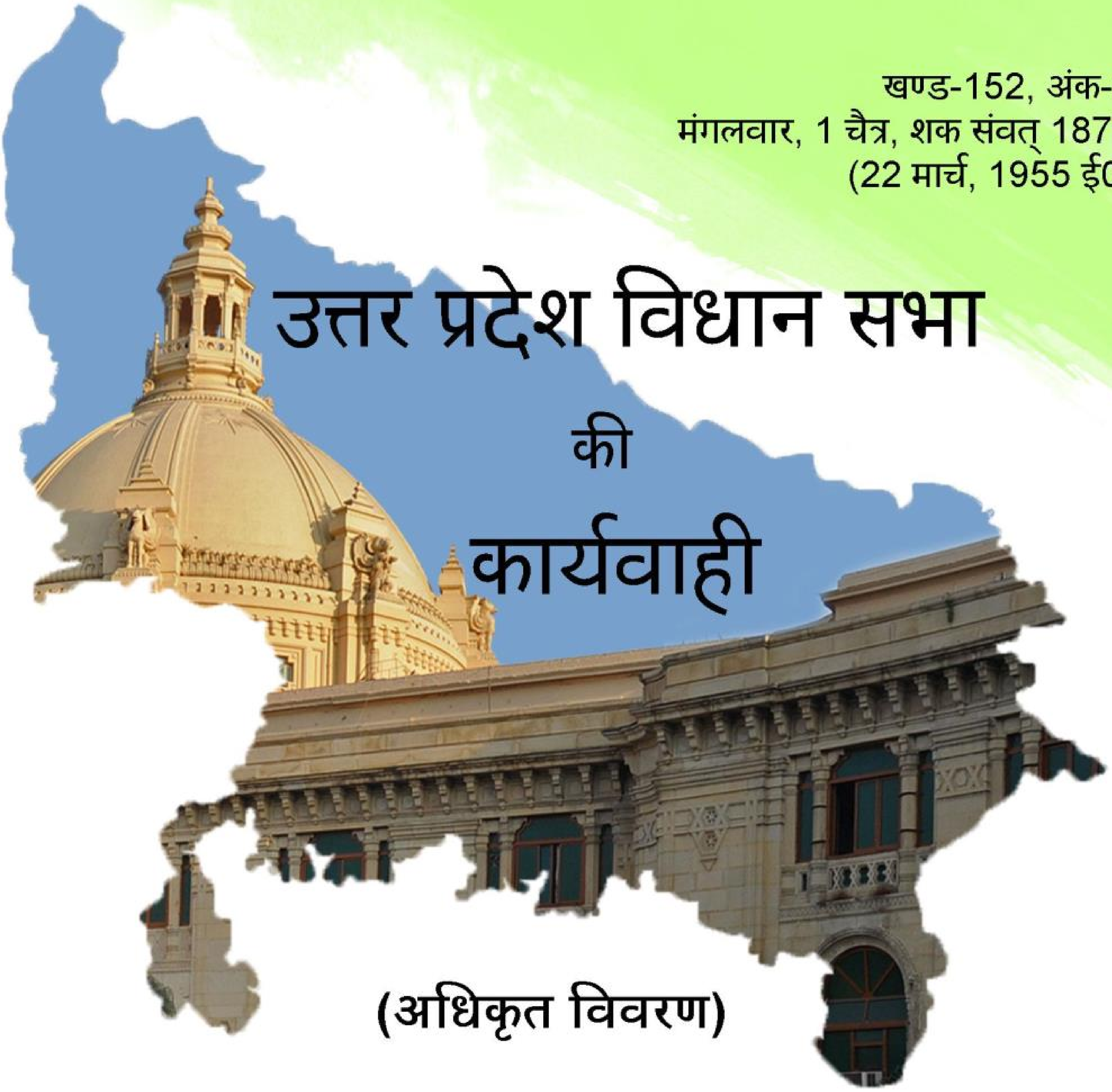

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 152 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह , महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री

रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिव शरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

संसदीय प्रदेश सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में घाघरा पम्प नहर के लिए ली गई भूमि

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि दोहरीघाट (जिला आजमगढ़) से निकलने वाली घाघरा पम्प नहर में लिये जाने वाली जमीन का क्या मुआवजा किस रेट से तत्सम्बन्धी खेतिहरों को दिया जायगा ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राम मूर्ति)—जमीन के मुआवजे की दर व रकम Land Acquisition Officer कानून के मुताबिक तय करते व बांटते हैं ।

*२—श्री झारखंडे राय—क्या यह सही है कि अब इस नहर को जमीन के तह के ऊपर से ले जाने का सरकार का विचार है ? अगर हां, तो पहले की योजना से कितनी जमीन चौड़ाई में ज्यादा अब ली जायेगी ?

श्री राम मूर्ति—दोहरी घाट नहर की बड़ी योजना (जिसकी लागत १२९ लाख रुपये हैं) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने के कारण इस नहर की तली लगभग ८ फीट ऊंची बनाई जायगी । यह भी तय हो गया है कि इमबैंकमेन्ट (Embankment) के भाग में नहर पक्की बनाई जायेगी । इस प्रकार अब और अधिक जमीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ये जिस कानून अथवा नियम के मुताबिक जमीन का मुआविजा दिया जायगा उसका खुलासा क्या है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—लैंड रिक्वीजीशन ऐक्ट है और उसमें वह शिड्यूल दिया हुआ है जिसके हिसाब से मुआविजे तय किये जाते हैं । वह कागज लैंड ऐक्वीजीशन आफिसर के यहां गया हुआ है वह मुआविजा तय कर देंगे और उसी के हिसाब से बांटेगें ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास इस तरह का सुझाव आया है जिलाधीश की ओर से कि जिन लोगों की जमीन इस नहर में पूरी तरह से चली गई है उनको बगल से जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे की जमीन दिये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की जाय और जिनकी आंशिक रूप से गई है उनको मुआविजा उसी रेट से दिया जाय जिस रेट से उनको जमीन बेचने पर दाम मिलते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट ने कोई लिखित रूप में इस प्रकार से भेजा हो लेकिन जब मैं आजमगढ़ गया था तो वहां पर इस तरह की बातचीत हुई थी कि जिनकी जमीनें ली जा रही हैं उन्हें अगल-बगल की जमीनों में से जो परती पड़ी हुई हैं उनमें से मिल जाय यदि कुछ सम्भव हो सकता है । तो मैंने स्वयं ही जिलाधीश से कहा था कि आप इस बारे में जांच-पड़ताल करके अपने सुझाव दें ।

श्री अध्यक्ष—मैं सूचना मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो पहले प्रश्न के जबाव में है कि "जमीन के मुआविजे की दर लैंड ऐक्वीजीशन आफिसर्स कानून" तो क्या यह सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, हां । उसको ऐसे पढ़ा जाय "लैंड ऐक्वीजीशन आफिसर्स, कानून के मातहत तय करते और बांटते हैं" । आफिसर्स और कानून के बीच में एक कामा समझा जाय ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस तरह का भी सुझाव जिलाधीश की ओर से आया है कि जिन परिवारों की जमीन इसमें चली जा रही है उनके घर के व्यक्तियों को नहर विभाग में सर्विसेज देने में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है। हां, माननीय सदस्य अगर ऐसा सुझाव देते हों तो इस पर कुछ गौर किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि दोहरीघाट बड़ी नहर पहले बनाने के लिये जमीन खोदी गई। फिर उसी जमीन को पाटकर ठीक किया गया और फिर अब यह तीसरी योजना चलाई जा रही है। यदि ऐसा है तो इसमें सरकार को अब तक कितना नुकसान हुआ ?

श्री रामसूर्ति—ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने उस जगह को जाकर देखा नहीं है। बहुत थोड़ी सी जमीन खोदी गई। उसके बाद उस खोदने के कार्य को बन्द कर दिया गया। उससे नुकसान नहीं हुआ बल्कि जो जमीन खुदी है वही नींव के काम में आयेगी और सरकार का उसमें कोई पैसा बरबाद नहीं हुआ है।

*३-४-श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[५ अप्रैल, के लिये १९५५ स्थगित किये गये।]

बद्रीनाथ पुरी को अलकनन्दा नदी से खतरा

*५—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को विदित है कि बद्रीनाथ पुरी को अलकनन्दा नदी से खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके बचाव के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री रामसूर्ति—श्री बद्रीनाथ पुरी को अलकनन्दा नदी से कोई नया खतरा नहीं पैदा हुआ। यह खतरा पुराना है। सरकार ने मन्दिर को इस खतरे से बचाने के लिये अति शीघ्र तथा स्थायी कार्य (works) मंजूर किये थे। पहली प्रकार का काम लगभग २०,७०० रूपये की लागत में पूरा हो चुका है। पर स्थायी प्रकार का काम जिस स्थान पर होना था उसी जगह पर अब भी बद्रीनाथ मंदिर कमेटी एक पक्का घाट बनवा रही है। पक्का घाट बनने से उसका बचाव हो जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि २० हजार ७ सौ रुपये में वहां क्या-क्या काम हुये हैं ?

श्री रामसूर्ति—मन्दिर के बचाव का काम।

श्री गंगाधर मैठाणी—मन्दिर के बचाव के लिये क्या-क्या काम किये गये हैं ?

श्री रामसूर्ति—जिस जगह पर जमीन कटती हुई है उसे वहीं पक्के तरीके पर बनाया जाता है ताकि आगे वह कट न सके।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे जो मन्दिर के निर्माण का कार्य मन्दिर की सुरक्षा के लिये हो रहा है उसमें कुछ सहायता सरकार देने का विचार करती है ?

श्री रामसूर्ति—अभी मन्दिर की ओर से इस प्रकार की कोई मांग नहीं की गई है, इसलिये इसका कोई सवाल उठता नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी—४० हजार रुपया गत वर्ष के बजट में और इस वर्ष के बजट में २० हजार रुपये रक्खे गये हैं इस काम के लिये तो सरकार ने यह काम स्वयं क्यों नहीं किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, कुल रकम ४१ हजार ७०० की रक्खी गई है लेकिन यह वही काम है जिसको बद्रीनाथ कमेटी स्वयं अपने घाट बनाकर पूरा करने जा रही है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार इस अनुदान को घाट बनाने के लिये बद्रीनाथ कमेटी को ग्रान्ट के रूप में देने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि ऐसी कोई मांग बद्रीनाथ कमेटी की ओर से नहीं आई।

इर्रीगेशन मैनुअल को हिन्दी में बनाने की आज्ञा

*६—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार इर्रीगेशन मैनुअल को रिवाइज कर रही है ? यदि हां, तो कब से और किसके द्वारा ?

श्री राममूर्ति—इर्रीगेशन मैनुअल का रिवीजन, जिसे एक विशेष पदाधिकारी मार्च सन् १९५० से कर रहे थे, समाप्त हो चुका है। मैनुअल अब छप रही है।

*७—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार इस इर्रीगेशन मैनुअल को हिन्दी में बनाने की आज्ञा दे चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इर्रीगेशन मैनुअल को हिन्दी में बनाने की आज्ञा दी जा चुकी है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मैनुअल हिन्दी में छप कर कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—मैनुअल का ट्रांसलेशन हिन्दी में हो रहा है। जब वह काम समाप्त हो जायगा उसके बाद छपाने की बात पैदा होगी।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मैनुअल के छप जाने पर सिंचाई विभाग में हिन्दी में काम होने लगेगा ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में आजकल ज्यादातर काम हिन्दी में ही होता है, जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी में होता है उसे भी आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी में करने जा रहे हैं।

ताजेवाला स्थान पर यमुना नदी के पानी के वितरण के सम्बन्ध में इकरारनामा

*८—श्री श्रीचन्द्र—क्या सिंचाई मंत्री प्रश्न ७ दिनांक २१ दिसम्बर, १९५४ से सम्बन्धित पूर्वी यमुना नहर तथा पंजाब की पश्चिमी यमुना नहर में ताजेवाला स्थान पर यमुना नदी के पानी के वितरण के सम्बन्ध में जो इकरारनामा १२ मार्च, ५४ को हुआ उसकी नकल मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—उक्त इकरारनामे की एक प्रति मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५५–१५७ पर)

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय जो पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर का पानी आ रहा है वह एक दूसरे में किस अनुपात से आ रहा है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, यह तो टेबिल मेज पर रख दी गई है और अगर माननीय सदस्य उसको देखें तो उसमें यह चीज साफ बतला दी गई है। ४८९० क्यूजक फुट तक २/३ पंजाब और १/३ प्लस ४७ क्यूजक फुट यू० पी०, ५८९० से ८७०० क्यूजक फुट तक २,०१० यू० पी०, और ९२८० से १०९०० क्यूजक फुट तक २५०० यू० पी० और इससे अधिक जितना भी आये वह यू० पी० को।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि शीघ्र से शीघ्र इन दोनों नहरों को १०,९०० क्यूसक फुट से अधिक पानी मिलने लगे ?

श्री राममूर्ति—यह तो प्रकृति के हाथ में है कि पानी बढ़ जाय या घट जाय। अगर रबी के फसल के वक्त पानी ज्यादा आने लगे तो जरूर ज्यादा पानी मिलेगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस नये समझौते से पश्चिमी यमुना नहर को अब कितना अधिक लाभ पहले के मुकाबिले में होने लगा है ?

श्री राममूर्ति—इससे ज्यादा लाभ हमको ही हो रहा है, इससे उनको ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है।

*९-१०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में निर्माण विभाग की सड़कों व अन्य स्थानों पर इन्क्रोचमेंट के मामले

*११—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में निर्माण विभाग की सड़कों व अन्य स्थानों पर Encroachment के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—१३३।

*१२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामलों में से कितने मामले तीन वर्ष से व कितने इससे अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई नहीं।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि उक्त इन्क्रोचमेंट कितने दिनों से विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तीन वर्ष से कम हुआ और यह कितने दिनों से है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह उन इन्क्रोचमेंट्स को हटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसमें ७६ केसेज पर मुकदमा नीचे की अदालत में चल रहा है, २ हाईकोर्ट के सामने हैं और ५५ के लिये नोटिस दिया गया है।

नहरों पर काम करने वाले अफसरों को घोड़ा-भत्ता

*१३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने मोटर भत्ते के स्थान पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को घोड़ा-भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है ?

श्री राममूर्ति—नहरों पर काम करने वाले अफसरों के बारे में घोड़ा भत्ता दिये जाने के आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस आदेश में यह भी आया है कि मोटर-भत्ता नहीं दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—उसमें मोटर-भत्ता कम कर दिया गया है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि मोटर-भत्ते का रेट कम किया गया है या मोटर चलाना कम कर दिया गया है या मोटर और घोड़े दोनों का किसी प्रकार से भत्ता दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—मोटर भत्ता जो मिलता है उसमें ५० रुपया महीना कम कर दिया जायगा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किन किन अधिकारियों को कितना कितना मोटर भत्ता और किन किन अधिकारियों को घोड़ा भत्ता देने के आदेश जारी हुए हैं ?

श्री राममूर्ति—असिस्टेंट इंजीनियर ९०, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ३० और डी० आर० ओ० ३० । इन लोगों को हुक्म दिया गया है कि वे अपने घोड़े खरीद लें जिनके लिये उनको ७५ रुपये महीने के हिसाब से भत्ता दिया जायगा । सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को भी घोड़े खरीदने के आदेश दिये गये हैं, उनको भी नियमों के हिसाब से भत्ता मिलेगा ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये आदेश कब जारी किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—इसको लगभग दो-तीन माह हो गये ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी आदेश के अनुसार अब तक कितने अधिकारियों के पास घोड़े हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनको आज्ञा दी गई है कि वे शीघ्र से शीघ्र घोड़ों को खरीद लें । इसके लिये सरकार से उनको एडवांस दिया जायगा । आशा है कि महीने दो महीने के अन्दर वे लोग खरीद लेंगे ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मोटर का भत्ता भी मंथली दिया जाता है या मोटर द्वारा जितना सफर करते हैं उसके माइलेज के हिसाब से मिलता है ?

श्री राममूर्ति—मंथली कोई भत्ता नहीं दिया जाता है । चूंकि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिये अनिवार्य है कि वे दौरा करें, इसलिये जितना दौरा करते हैं उसके हिसाब से मोटर भत्ता दिया जाता है और जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं उसमें से ५० रुपया महीना कम कर दिया जायगा ।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या यह सही है कि केनाल डिपार्टमेंट के अफसरों को घोड़े रखने के लिये जो सरकार ने हुक्म जारी किया है वह ऐस्टिमेट कमेटी की एक सिफारिश है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, ऐस्टिमेट कमेटी ने भी इस किस्म की सिफारिश की है ।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि ऐस्टिमेट कमेटी द्वारा जो राय इस विभाग के बारे में थी उसके बारे में वह कब विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—बराबर उस पर विचार हो रहा है ।

*१४-१५--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[१९ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

अपर गंगा नहर से आय

*१६--श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की किस नहर से सबसे ज्यादा आय है और वह कितनी है और किस नहर पर सबसे अधिक तावान १३६० फसली में लगाया गया ?

श्री रामर्मूति--उत्तर प्रदेश की अपर गंगा नहर से सब से अधिक आय होती है । उक्त नहर से १९५२-५३ में १,०७,०३,९३३ रुपया आय हुई थी ।

इस प्रश्न के पिछले भाग का उत्तर विधान सभा के वर्तमान सत्र के ४ थे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री श्रीचन्द्र के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर में १५-३-५५ को दिया जा चुका है ।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १ करोड़ ७ लाख ३ हजार ९३३ रुपया यह ग्रास इन्कम है या नेट इन्कम ?

श्री रामर्मूति--यह नेट इन्कम है ।

देवकली ग्राम सभा, जिला आजमगढ़ के उप-प्रधान का पदच्युत किया जाना

*१७--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को विदित है कि देवकली ग्राम सभा, जिला आजमगढ़ के उप-प्रधान तथा गांव समाज के चेयरमैन के खिलाफ गत ३० जुलाई, १९५४ को अविश्वास का प्रस्ताव पास किया गया था ? अगर हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

स्वशासन उप-मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--जी हां । उप-प्रधान को पद से हटा दिया गया है । परिणाम-स्वरूप गांवसमाज के चेयरमैन के पद से भी हट गये ।

गोंडा जिले में नवलगढ़ बांध की योजना

*१८--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवलगढ़ बांध (गोंडा) की पैमाइश पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो उसका बनना कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री रामर्मूति--गोंडा जिले के नवलगढ़ बांध का सर्वे और तखमीना पूर्ण हो चुका है । इस योजना को सेन्ट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की आगामी मीटिंग में स्वीकृति के लिए पेश किया जायगा और आशा की जाती है कि अक्टूबर, १९५५ या उसके पहले ही इस पर काम शुरू हो जायगा ।

देवी पाटन नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था

*१९--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या सिंचाई मंत्री देवी पाटन स्थित नलकूप को जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्मित किया गया है सिंचाई विभाग में लेकर पास-पड़ोस के किसानों के खेतों की सिंचाई की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं ?

श्री रामर्मूति--यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतलायेंगे कि नवलगढ़ बांध से कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकेगी तथा उसमें कितना व्यय होगा ?

श्री रामसूर्ति—इसमें १३ लाख ८३ हजार रुपया व्यय होगा और ६३७२ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

कानपुर शहरी क्षेत्र के सुधार

*२०—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर शहरी क्षेत्र के सुधार के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—कानपुर शहरी क्षेत्र के सुधार के लिये कोई सर्वांगीण योजना नहीं बनाई गई है । उपलब्ध धनराशि तथा सामयिक परिस्थितियों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथा उद्देश्यों के लिए विविध प्रकार की योजनाएं बनाई जातीं तथा कार्यान्वित होती रहती हैं ।

*२१—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह प्रश्न नहीं उठता । भिन्न-भिन्न योजनाओं का अनुमानित व्यय अलग-अलग है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह भिन्न-भिन्न योजनायें क्या हैं और उनका अलग-अलग क्या व्यय है ?

श्री कैलाश प्रकाश—वर्तमान योजनाओं में से प्रमुख यह हैं । जल वितरण पुनर्स्थापन तथा विस्तार योजना, अनुमानित व्यय ७३ लाख । सीवरेज सुधार तथा विस्तार योजना, अनुमानित व्यय ७५ लाख । गंदी बस्तियों को हटाना तथा पुनर्वास योजना, अनुमानित व्यय ५० लाख । पुराना कानपुर तथा बाबू पुरवा गृह योजना, अनुमानित व्यय ३५ लाख । श्रमिक आवास गृह योजना, अनुमानित व्यय ढाई करोड़ ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि लगभग एक वर्ष पूर्व कोई ग्रेटर कानपुर की योजना भी बनाई गई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां । एक मास्टर प्लान बनाया गया था ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसका नक्शा क्या है और वह किन कारणों से स्थगित कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—क्या आप नक्शा पूछ रहे हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि एक मास्टर प्लान बनाया गया तो मेरा मतलब यह है कि उसकी योजना या नक्शा क्या है और वह स्थगित कर दिया गया, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—दूसरे हिस्से का जवाब माननीय मंत्री जी दे सकते हैं लेकिन नक्शा खींच कर नहीं बता सकते हैं । मैं इस हिस्से कि इजाजत नहीं देता ।

श्री कैलाशप्रकाश—जी, वह स्थगित नहीं किया गया बल्कि जो और योजनायें बनाई जाती हैं वह उसी के अनुसार ली जा रही है ।

*२२-२४—श्री राम सुन्दर पांडेय—[१९ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[१२ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

चुनार नगरपालिका द्वारा नलकूप निर्माणार्थ सहायता की मांग

*२६—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुनार नगरपालिका की ओर से स्वास्थ्य हितार्थ पानी के प्रबन्ध के लिये नलकूप निर्माणार्थ आर्थिक सहायता की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—चुनार नगरपालिका ने सन् १९५४ में २,५०,५०० रुपये का इस कार्य के लिये अनुदान मांगा था। सरकार ने नगरपालिका को सलाह दी है कि वह आवश्यक शुल्क जमा करके पहले एक पक्की जल वितरण योजना स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तैयार कराये और इस योजना को स्टेट हेल्थ बोर्ड द्वारा अनुमोदित कराये।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो आवश्यक शुल्क जमा करने की सलाह नगरपालिका को दी है उसकी संख्या क्या होगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—आवश्यक शुल्क ४ हजार रुपये से कुछ ज्यादा है।

श्री राज कुमार शर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि चुनार नगरपालिका अभी नयी है और उसकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। मालूम है कि वह नहीं है।

श्री राजकुमार शर्मा—ऐसी हालत में सरकार कुल व्यय भार वहन करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं।

शाहगंज नोटीफाइड एरिया द्वारा सहायता की मांग

*२७—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज के नोटीफाइड एरिया को प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रत्येक नोटीफाइड एरिया को कोई वार्षिक अनुदान देने का नियम नहीं है। प्रतिवर्ष कुछ धनराशि उनको आवश्यकतानुसार ऋण के रूप में देने के लिये बजट में निर्धारित की जाती है, तथा जिन नोटीफाइड एरियाओं को आवश्यकता होती है वे ऋण के लिये सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजती हैं।

इस वर्ष शाहगंज को सड़क निर्माण के लिये ५००० रु० का ऋण स्वीकृत हुआ है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहगंज नोटीफाइड एरिया की तरफ से ऋण के लिये कुल कितने रुपये की मांग की गई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—दस हजार रुपये की।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन है कि प्रत्येक नोटीफाइड एरिया को वार्षिक अनुदान सहायता के रूप में कुछ न कुछ दिया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी कोई नहीं है।

*२८-२९—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[१२ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला रायबरेली में बेहटा से सरेनी तक पक्की सड़क की आवश्यकता

*३०—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ में जिला रायबरेली में कितने मील पक्की सड़क प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाई गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई नई पक्की सड़क नहीं बनाई गई परन्तु ४ ३/४ मीलों में ऊपरी तह बनाई गई है ।

*३१—श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार बेहटा से सरेनी तक पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायगा ।

श्री गुप्तार सिंह—क्या यह सही है कि जिला रायबरेली की प्लानिंग कमेटी ने सर्व-सम्मति से इस सड़क को बनाने की प्राथमिकता दी है और शीघ्र बनाने की सिफारिश की है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र टांडा, जिला फैजाबाद के पंचायत मंत्रियों के वेतन की अदायगी

*३२—श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि पंचायत निरीक्षक क्षेत्र टांडा (जिला फैजाबाद) के पंचायत मंत्रियों का वेतन जून सन् १९५१ ई० से जून, सन् १९५२ ई० तक का नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां । पंचायतों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपने पंचायत मंत्रियों का वेतन दे सकतीं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इसी तरह से फैजाबाद के ११ पंचायत निरीक्षक क्षेत्रों के पंचायत मंत्रियों का भी वेतन बाकी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार इस बकाया वेतन की अदायगी के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, सरकार प्रयत्नशील है ।

बस्ती जिले में कूड़ा नदी के कटाव से उस्का-लोटन सड़क को क्षति

*३३—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार को पता है कि बस्ती जिले की सड़क जो उस्का बाजार से सोंहस होती हुई लोटन को जाती है उसको कूड़ा नदी ने कई जगह काट दिया है और काटती जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां ।

*३४—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार उक्त नदी की कटान रोकने के लिये कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस समय ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार को पता है कि कूड़ा नदी के कटाव से सड़क कट जाने से उस क्षेत्र की लाखों जनता का आवागमन बन्द हो जाता है और ८–९ महीने तक वह क्षेत्र जिले से अलग रहता है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जब सड़क कट गयी है तो अवश्य ऐसी बात होती होगी ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछा ।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार कृपया यह जांच करायेगी कि उस सड़क के कट जाने से उस क्षेत्र की कितनी क्षति होती है ।

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय सदस्य की इच्छा है तो जरूर करायेगी ।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई विचार रखती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—कौन योजना ?

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—कूड़ा नदी के कटाव से जो सड़क कट जाती है, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए ।

श्री अध्यक्ष—यह तो विचाराधीन नहीं है , तो कार्यान्वित कैसे होगी ?

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—इस पर क्या विचार करेगी सरकार ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, विचार करेगी ।

कोसी नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत

*३५—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास कोसी नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ उनके पक्षपात पूर्ण कार्य की जनता तथा मेम्बरों की ओर से शिकायतें आई हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां ।

*३६—श्री राम हेत सिंह—यदि हां, तो अब तक उस पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—शिकायतों की जांच की जा रही है ।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वहां ६३ वर्ष की उम्र के रिटायर शुदा सेक्रेटरी को इस वर्तमान बोर्ड ने रख लिया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि जब शिकायतों की जांच हो रही है तो यह प्रश्न उचित नहीं है ।

श्री रामहेत सिंह—माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं जो आप के पास आई हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—शिकायतें बहुत सी हैं और सभी तरीके की हैं । वाटरवर्क्स टैक्स ज्यादा लगाने की, दूसरे टैक्स ज्यादा लगाने की, मुकदमे दायर कर दिये जाते हैं उनको वापस ले लेने की, जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट दिये हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने की, इत्यादि-इत्यादि ।

श्री रामहेत सिंह—क्या इस प्रकार की भी कोई शिकायत मंत्री महोदय के पास आई है कि उनके बर्ताव के कारण एक साल के अन्दर ८ कर्मचारियों ने इस्तीफे दिये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—आई होगी, इस समय मुझे ठीक मालूम नहीं है ।

कतिपय म्युनिसिपल बोर्डों के अध्यक्ष का उप-चुनाव

*३७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के किस-किस म्युनिसिपिल बोर्ड के अध्यक्ष का उप-चुनाव होना है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस समय सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार अल्मोड़ा, ओरई, जालौन, मऊरानीपुर, मथुरा, बांदा, मैनपुरी और उझियानी नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का उपचुनाव होना है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह उक्त चुनावों को कब तक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—उप-चुनाव के नियम बनाये जा रहे हैं । नियम बन जाने पर उप-चुनाव करायेंगे ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सभी अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है या और भी कोई बात इनके हटाये जाने की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, जिनका नाम लिया है उनमें अविश्वास का प्रस्ताव किसी में नहीं आया ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—जिन अध्यक्षों के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आया है क्या उन्होंने बोर्ड को डिजाल्व करने की ऐप्लीकेशन दी है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जबाव दिया है कि अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है ।

मोहम्मदी पश्चिम जिला खीरीहमें नलकूपों से सिंचाई का रेट

*३८—श्री रामभजन (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोहम्मदी पच्छिम (जिला खीरी) में नल कूपों की सिंचाई का जो रेट पहिली जनवरी, १९५५ से घोषित किया गया है उसे उक्त तारीख से पहले होने वाली सिंचाई पर भी लागू किया जायगा ?

श्री राममूर्ति—१ जनवरी, १९५५ से किसी भी क्षेत्र में नलकूपों के लिए कोई नया रेट लागू नहीं किया गया । सारे प्रदेश में जो रेट १ अप्रैल, १९५३ से लागू किया गया था उसी के अनुसार मोहम्मदी पच्छिम (जिला खीरी) में भी सिंचाई की दरें वसूल की जा रही हैं ।

*३९—श्री राम भजन—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मोहम्मदी पच्छिम के नलकूपों पर रबी की फसल में कितनी सिंचाई हुई ?

श्री राममूर्ति—गत् वर्ष तथा इस वर्ष मोहम्मदी पच्छिम के ६९ नलकूपों में रबी की सिंचाई का क्षेत्र निम्नलिखित है:—

रबी फसल	१३६१ का सिंचित क्षेत्र
	एकड़
रबी	९७४१
गन्ना रबी में	२१८
योग ..	९९५९ एकड़

रबी फसल १३६२ (२८-२-५५ तक)

रबी	६०११
गन्ना रबी .	५०८
योग ..	६५१९

श्री राम भजन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुहम्मदी पच्छिम तथा मुहम्मदी पूर्व के नलकूप किन पावर हाउसेज से चल रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—अभी तो उनको शाहजहां पावर हाउस से बिजली मिलती है लेकिन जब शारदा की बिजली चलने लग जायगी तो उससे चलेंगे ।

श्री राम भजन—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि शाहजहांपुर पावर हाउस से चालू होने वाले नलकूपों का रेट ११,००० गैलन प्रति रुपया है और लखनऊ से चालू होने वाले नलकूपों का रेट १६,००० गैलन प्रति रुपया है ?

श्री राममूर्ति—जो डीजल से चलाये जाते हैं उनका रेट ११,००० गैलन प्रति रुपया है और जो बिजली हाइडिल से मिलती है उनसे १६,००० गैलन प्रति रुपये का रेट है ।

श्री राम भजन—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि पिछले साल से इस साल सिंचाई क्यों कम हुई ?

श्री राममूर्ति—रबी की फसल शुरू होने से पहले इस साल बारिश बहुत अच्छी हो गयी थी इसलिये रबी में ज्यादा सिंचाई नहीं की गयी ।

मोहम्मदी पश्चिम, जिला खीरी में पक्की तथा कच्ची गूलों का निर्माण

*४०—श्री राम भजन—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त क्षेत्र में इस वर्ष कितनी पक्की तथा कच्ची गूलों का निर्माण हुआ ?

श्री राममूर्ति—आवश्यक सूचना की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ १५८ पर)

*४१—श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[१९ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२-४४—श्री कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)—[१९ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

टेहरी-गढ़वाल जिले में कोटेश्वर पट्टी क्वीली व पांजणा पट्टी सिलगढ़ में पुलों की आवश्यकता

*४५—श्री सत्य सिंह राणा—क्या सरकार को विदित है कि टेहरी-गढ़वाल जिले में तहसील देवप्रयाग के अन्तर्गत मुकाम कोटेश्वर-पट्टी क्वीली में गंगा नदी के ऊपर और मुकाम पांजणा पट्टी सिलगढ़ में स्तर नदी के ऊपर कोई पुल नहीं है जिससे आने-जाने में असुविधा के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष जान माल को खतरा बना रहता है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—इन स्थानों पर कोई पुल नहीं है जिसके कारण आने-जाने की कुछ असुविधा होती है ।

*४६—श्री सत्यसिंह राणा—क्या यह सही है कि कोटेश्वर पुल को बनाने का कार्य टिहरी रियासत की सरकार ने प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो टिहरी के इस प्रदेश में विलीन होने के पश्चात् वह कार्य किन कारणों से स्थगित करना पड़ा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--इस पुल के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ली गई किसी सड़क पर न पड़ने तथा धनाभाव के कारण कोई कार्य नहीं किया जा सका ।

*४७--श्री सत्य सिंह राणा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों स्थानों पर पुल बनाने का कब तक प्रबन्ध किया जायगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इन दोनों स्थानों पर पुल बनाने के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायेगा ।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार को विदित है कि इन स्थानों पर पुल न होने की दशा में प्रति वर्ष कतिपय इन्सान और बहुधा जानवर डूब कर बह जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसा होता होगा ।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार इस प्रकार की क्षति को देखते हुये इन पुलों की आवश्यकता महसूस करके द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पेश्तर इन पुलों का निर्माण करायेगी ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--यदि धन उपलब्ध हो सका तो जल्दी हो सकता है ।

ग्राम बिजरौठा, जिला झांसी के तालाब की मरम्मत

*४८--श्री गज्जू राम (जिला झांसी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बिजरौठा तहसील ललितपुर जिला झांसी का तालाब चूने लगा है ?

श्री राममूर्ति--उक्त तालाब की पिचिंग (pitching) खराब होने के कारण झिराव होता है ।

*४९--श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस तालाब के चूने से तथा मरम्मत न कराने से सरकार की लाखों रुपये की सम्पति नष्ट हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति--इस वर्ष तालाब की मरम्मत की व्यवस्था विशेष रुप से अतिरिक्त धन से की गई है । तालाब का पानी सूखने पर इसकी मरम्मत करा दी जाएगी ।

*५०--श्री गज्जू राम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस तालाब से बिजरौठा ग्राम की कितनी भूमि सींची जाती है ?

श्री राममूर्ति--४० एकड़ भूमि सींची जाती है ।

*५१-५२--श्री रामनारायण त्रिपाठी--[१९ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५३-५५--श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)--[५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

फफूंद, जिला इटावा से मुन्सिफी हटाने के कारण

*५६--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फफूंद (इटावा) से मुन्सफी कब और क्यों हटाई गई ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--फफूंद (इटावा) से मुन्सफी अक्तूबर १९३२ में खर्च कम करने के लिये तथा अन्य प्रशासीय कारणों से हटाई गई थी ।

उन्नाव जिला बोर्ड की आर्थिक स्थिति

*५७--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्नाव जिला बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं ।

*५८--श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार उक्त बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से उसके आय-व्यय की जांच के लिये कोई कमीशन बैठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं ।

*५९--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[१९ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६०--श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--[१९ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६१-६३-श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--[१५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६४-६६--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[१२ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर-हमीरपुर सागर रोड को नेशनल हाईवेज में लेने की सिफारिश

*६७--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कानपुर-हमीरपुर सागर रोड को जो दकन हैदराबाद तक सम्बन्धित है, नेशनल हाई वेज में ले लेने की सिफारिश भारत सकार से करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--कानपुर-झांसी-सागर रोड पहिले से ही नेशनल हाईवेज में है जो कानपुर-हमीरपुर-सागर रोड से अधिक सीधी एवं कम लम्बी है ।

*६८--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह उसकी नीति है कि इन्टर डिस्ट्रिक्ट और इन्टर स्टेट रोड द्वारा यातायात की सुविधा प्रदान करने की प्राथमिकता दी जावे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां ।

*६९--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार उपर्युक्त कानपुर-हमीरपुर-सागर रोड पर हमीरपुर में बेतवा नदी पर पक्का पुल बना कर यातायात में सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--पक्के पुल की लागत ६० लाख रुपये के लगभग होगी । वर्तमान आर्थिक संकट के कारण इस पुल को सरकार इस समय बनाने में असमर्थ है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि कानपुर-हमीरपुर-सागर रोड को नेशनल हाई वे में लेने के लिये जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन प्रधान मंत्री, भारत सरकार, मुख्य मंत्री और विभाग को भेजे गये थे ?

नोट--तारांकित प्रश्न ५७-५८ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी--क्या यह सत्य है कि सरकार ने ऐसी सड़कों के लिये जो अन्तः प्रदेशीय और अन्तर्जिला सड़कें हैं उनके लिये कुछ केन्द्र से सहायता ली है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कुछ सहायता प्राप्त अवश्य हुई है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस पुल को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार लेने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, यह विचार किया जा सकता है।

एस्टीमेट कमेटी की सिफारिशों पर सरकारी कार्यवाही

*७०--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या निर्माण मंत्री २४ अगस्त, १९५४ के प्रश्न संख्या ७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एस्टीमेट कमेटी की सिफारिशों पर की गई सरकारी कार्यवाही की रिपोर्ट वे सदन के सम्मुख कब तक प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--एस्टीमेट कमेटी की सिफारिशों पर की गई सरकारी कार्यवाही की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि ६ मास से अधिक विचाराधीन एस्टीमेट कमेटी की सिफारिशों पर सरकारी रिपोर्ट सदन के सम्मुख कब तक प्रस्तुत की जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जितना शीघ्र हो सकेगा जब विचार-विनिमय इस सम्बन्ध में समाप्त होगा तभी वह सदन के सामने आ जायगी।

सुल्तानपुर में जर्मन कम्पनी द्वारा नलकूप बनाने का ठेका

*७१--श्री नाजिमअली (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर में जर्मन कम्पनी ने नलकूप बनाने के लिये जो ठेके लिये थे उनमें से कितने कुयें कामयाब हुये ?

श्री राममूर्ति--सुल्तानपुर में जर्मन कम्पनी ने जो नलकूप बनाने का ठेका लिया था उसमें ५३ नलकूप कामयाब हुए हैं।

*७२--श्री नाजिम अली--क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से कुयें जो पहिले फेल हो गये थे उनमें दूसरी बार बोरिंग करने से वे कामयाब हो गये ?

श्री राममूर्ति--जो नलकूप पहले फेल हो गये थे उनमें दूसरी बार बोरिंग करने से वे पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, क्योंकि नलकूपों के पानी के निकास में विशेष वृद्धि नहीं हुई।

*७३--श्री नाजिम अली--क्या सरकार बाकी तमाम कुओं में जो पहिले फेल हो गये थे फिर से बोरिंग कराने का इरादा रखती है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, तमाम फेल शुदा कुओं पर बोरिंग फिर से कराने का इरादा सरकार का नहीं है पर यह बात सोची जा रही है कि दो-चार और कुओं पर बोरिंग करके देख लिया जाय कि भू-स्तर की हालत कैसी है।

श्री नाजिम अली--जिस तरह पहली मर्तबा बोरिंग करने पर पानी नहीं मिला और दूसरी मर्तबा करने पर मिल गया तो क्या हुकूमत तीसरी बार बोरिंग करने पर कुओं से पानी निकालने का मौका देगी ?

श्री राममूर्ति—जिन इलाकों में कुयें फेल हुये उन जगहों पर कुओं में दोबारा बोरिंग कराया गया। उसके बावजूद भी पानी नहीं मिला।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि कितने कुयें फेल हो गये थे ?

श्री राममूर्ति—८८ कुओं का बोरिंग हुआ था जिसमें ३५ कुयें फेल हो गये थे।

जीयनपुर महराजगंज सड़क को पक्का करने की मांग

*७४—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जीयनपुर से विखरियागंज महाराजगंज तक जाने वाली सड़क को पक्का करने की योजना इस वर्ष उसके विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उसके न बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है उसका व्यय भी बहुत अधिक है जिसको अभी यह विभाग स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उमा शंकर—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस सड़क पर मिट्टी डालने में अब तक सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री उमा शंकर—क्या यह सही है कि केवल कंकड़ न डालने के कारण अब तक सरकार का जो पैसा खर्च हुआ है वह बरबाद हो जायगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी कोई स्थिति नहीं है, यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास है।

अतारांकित प्रश्न

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बने हुये नलकूप

१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार एक ऐसी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी किस-किस जिले में कितने-कितने और ट्यूबवेलों का निर्माण किया जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो नलकूप बन चुके हैं तथा बन रहे हैं उनकी जिले वार सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ—१५९–१६०—पर)

सेक्सरिया चीनी मिल के द्वार पर श्री फौजदार सिंह की भूख हड़ताल के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री झारखंडे राय ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है वह इस प्रकार है:—

"सेक्सरिया चीनी मिल बभनान (जिला बस्ती) के गेट पर मजदूर नेता श्री फौजदार सिंह द्वारा गत ९ दिनों से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति, मजदूरों में असंतोष, हड़ताल की आशंका, चीनी उत्पादन में गड़बड़ी आदि पर विचार हेतु सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

नोट—तारांकित प्रश्न ७४ श्री उमा शंकर ने पूछा।

९ दिनों से तो भूख हड़ताल हो रही है, इससे स्पष्ट है कि माननीय सदस्य इसकी कोई अर्जेंसी नहीं समझते, नहीं तो जिस वक्त भूख हड़ताल प्रारम्भ हुई तत्काल ही वह इस प्रश्न को यहां पर लाते। दूसरे इस विषय का सरकार से क्या सम्बन्ध है यह भी कोई स्पष्ट नहीं है कि चाराजूई की गयी या कंसोलियेशन अफसर वगैरह द्वारा कोई कार्यवाही की गई है या नहीं की गयी है, इस सम्बन्ध में कोई जिक्र प्रस्ताव में नहीं है। तीसरी बात यह कि इसमें यह भी नहीं है कि उसका परिणाम क्या हुआ और भूख हड़ताल करने से ऐसी कौन सी गम्भीर परिस्थिति हुई, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए विषय अनिश्चित सा है और इसका महत्व भी कोई निश्चित नहीं है। मैं इसकी अर्जेंसी भी कोई नहीं समझता हूं इन कारणों से इसकी अनुमति नहीं देता।

हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट शिक्षा पद्धति संबंधी विधेयक का आलेख्य यू० पी० एजूकेशन बोर्ड को विचारार्थ भेजने पर आपत्ति

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अगर आपकी इजाजत हो तो आज के नेशनल हेरल्ड अखबार में जो इस सम्बन्ध में छपा हुआ है उसको पढ़ दूं।

"The U. P. Education Board, at its meeting yesterday, adopted a resolution chracterising the proposed draft amendment bill concerning high school and intermediate education in U. P. as 'retrograde and contrary to the spirit of our present democracy.' The Board accepted the recommendations of the Paripurnanand Committee, appointed by the chairman of the Board, to study the draft bill."

अर्थात् यू० पी० एजूकेशन बोर्ड ने कल एक मीटिंग में प्रस्ताव पास किया है जो यू० पी० में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की शिक्षा पद्धति के बारे में है और उसमें राय जाहिर की है कि हमारे वर्तमान प्रजातन्त्र की आत्मा के प्रतिकूल और विरुद्ध है।

आगे उसमें है कि—

"14 men adhoc committee with Mr. Paripurnanand, M.L.A. as convener, was formed by the Board to study the bill and submit its report within two months."

इसके माने यह हैं कि बोर्ड ने परिपूर्णानन्द कमेटी की सिफारिशों को मंजूर किया और यह वह कमेटी है जो बोर्ड ने चेयरमैन ने नियुक्त की थी और जिसका काम ड्राफट बिल को स्टडी करना था। श्री परिपूर्णानन्द की कनवीनरशिप में यह १४ आदमियों की एक "एडहाक" कमेटी बनी थी जिसका कार्य बिल को स्टडी करके २ मास में रिपोर्ट देने का निश्चित हुआ था। ऐसा ही समाचार दूसरे अखबार पायनियर, लीडर आदि सब अखबारों में छपा है और पी० टी० आई० ने भी ऐसी खबर भेजी है। यह देख कर हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस तरह का कोई ड्राफट बिल न तो असेम्बली में ही पेश हुआ और न कौंसिल ही में आया लेकिन इस तरह से अखबार में छप गया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। इसमें यदि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये ही भेजना था तो होना यह चाहिये था कि इसको पहिले हाउस में पेश किया जाता और तब हाउस से प्रस्ताव होता कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिए सरकुलेट किया जाय और उसके बाद कमेटियां बन सकती थीं जो उस पर गौर करतीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि बिल बिना किसी सदन में पेश हुए कैसे इन्टरमीडिएट बोर्ड के पास पहुंच गया। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से जानना चाहता हूं और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या होना चाहिए जब कि बिल हाउस में आया नहीं और उसकी बाहर चर्चा पब्लिक में होने लगी।

श्री अध्यक्ष--मैं वाकयात के सम्बन्ध में अवश्य जानना चाहूंगा कि वह किस तरह से अखबार में छपा इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी कुछ प्रकाश डाल दें ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि ऐसा अखबार में छपा है लेकिन बोर्ड में इस प्रकार का कोई रिजोलूशन हुआ या नहीं इस बात के बारे में मैं इस वक्त ठीक नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इस बात की व्यवस्था तो आप ही देंगे कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ । इतनी बात तो सही है कि शिक्षा विभाग ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार कराया है और जब वह तैयार होगा तो सदन के सामने भी पेश होगा । यह तो इन्टरमीडिएट बोर्ड की एक सलाहकार समिति है, उसने एक मसौदा बना कर सलाह के लिए भेजा है कि अगर इस तरह का कानून बनाया जाय तो आपकी क्या राय है । वस्तु स्थिति तो इतनी ही है ।

श्री अध्यक्ष--यदि सिर्फ इतनी ही बात है तो मैं इस पर निर्णय दिये देता हूं कि अगर बिल उस शक्ल में पेश होने वाला होता जिस शक्ल में बोर्ड के पास भेजा गया है तो उसको राय के लिए सदन में उपस्थित होने पर ही छापा गया होता और वह प्रकाशित होता लेकिन अगर किस तरह का बिल बनाना है यह जानने के लिए मसविदा शिक्षा बोर्ड की राय के लिए भेजा गया है जिससे उनकी राय जानी जाती है तो वह कोई आक्षेपात्मक बात नहीं है । अखबार में जिस ढंग से छापा गया है, यह मैं अवश्य कहूंगा कि अखबार वालों को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि इस को मसविदे की तरह से केवल राय के लिए छापा गया है क्योंकि जिस प्रकार अखबारों में यह खबर छपी है उससे कुछ भ्रम हो जाता है, मेरे दिल में भी भ्रम हुआ, मैं समझा कि विधेयक संभवत : कौंसिल में पेश हो गया होगा और वहां से पब्लिक ओपीनियन के लिये छापा गया होगा। जिस तरह से अखबार में खबर छपी है उससे ऐसा कुछ भ्रम अवश्य पैदा होता है । रिपोर्टर्स किस बारीकी से खबर भेजते हैं यह तो मैं नहीं कहता लेकिन आइन्दा के लिए उचित होगा कि वे अगर इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी खबरों को वे इस तरह से अखबार में छापें जिसमें इस प्रकार का भ्रम न उत्पन्न हो ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इस सम्बन्ध में श्रीमन् जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--मैं यह नहीं समझता कि अब इसकी जांच की कोई आवश्यकता है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसा बिल अभी तक कौंसिल या यहां पर पेश नहीं हुआ है और सिर्फ मसौदा के रूप में विभाग की ओर से वह एक्सपर्ट ओपीनियन प्राप्त करने के लिए शिक्षा बोर्ड के पास भेजा गया था जिसमें मैं समझता हूं कि कोई आक्षेपात्मक बात नहीं है ।

१४ दिसम्बर, १९५४ को श्री मुनीन्द्रपाल सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न ९६ के उत्तर का संशोधन

निर्माण उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना देनी है कि १४-१२-५४ को श्री मुनीन्द्रपाल सिंह जी के तारांकित प्रश्न ९६ के उत्तर में जो सूचना सदन को दी गई थी वह ठीक नहीं थी । सरकार को इसका खेद है । सही सूचना यह है कि बीसलपुर-बिलसड़ा सड़क को बीसलपुर देवरिया सड़क से मिलाने के लिये लगभग ५ मील लम्बी एक नयी सड़क बनाई जा रही थी जिसमें केवल पहले तीन मील मिट्टी का कार्य हो गया था लेकिन उस सड़क को जिला बोर्ड को हस्तगत कर दिया गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि सवाल जो दुरुस्त किये जाते हैं तो क्या उन दुरुस्त उत्तरों के कारण उन प्रश्नों पर फिर पूरक प्रश्न आदि हो सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, उन पर पूरक प्रश्न तो नहीं हो सकते हैं लेकिन जिनको दिलचस्पी हो वे उन पर नये प्रश्न कर सकते हैं और उनके स्वीकृत किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान—अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव पर विचार होगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मेरा यह है कि कटौती के प्रस्ताव को २० मिनट से कम समय न दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न पर उसी वक्त विचार कर लिया जायगा जब कटौती का प्रस्ताव पेश होगा ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—लेखा शीषक २९—पुलिस के अन्तर्गत ७,७६,५३,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

इस मांग को पेश करते समय मुझको स्वभावतः कुछ डर लगता है इसलिये कि मैं जानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट का नाम आते ही हमारे कई माननीय सदस्य जो बहुत सही सौम्य प्रकृति के और शान्त स्वभाव के हैं वे भी कुछ क्षुब्ध हो उठते हैं । फिर भी जब मैं यह जो कटौती के प्रस्ताव हैं इनको देखता हूं तो निश्चय ही मुझको कुछ अश्वासन भी मिलता है । उनमें से अधिकांश का आशय यही है कि गवर्नमेंट को सुझाव दिया जाय और सुझावों का स्वागत तो मैं हमेशा ही करता हूं । इस लिये जैसा मैंने कहा मुझे आशा होती है कि मेरी यह मांग स्वीकार की जायगी । कभी-कभी चाहे बजट का मौका हो और चाहे और कोई मौका हो जब पुलिस की आलोचना होती है और गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दिये जाते हैं तो कुछ माननीय सदस्यों को कुछ ऐसा ख्याल होता है कि हम उनकी अलोचनाओं को कुछ नापसन्द करते हैं और हम इस बात को नहीं चाहते कि आलोचना की जाय । सम्भव है मेरे जवाब देने का ढंग कुछ गलत हो परन्तु मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यह बात नहीं है । शासन अच्छा हो यह किसको अच्छा नहीं लगता ? और कुछ न सही तो इसलिये कि ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसके जिम्मे कि इस समय यह विभाग है मुझको अच्छा लगना चाहिये कि मेरे विभाग के सम्बन्ध में शिकायत हो और कुछ नहीं तो इसीलिये सही कि मुझको कुछ थोड़ी सी कीर्ति मिल जाय और थोड़ा सा यश मिल जाय मेरे इस विभाग के सम्बन्ध में शिकायत बतायी जाय स्वभावतः मेरी ऐसी इच्छा होनी चाहिये और उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब मैं यह जानूं कि शिकायत क्या है ।

यह जाहिर सी बात है कि मैं सब जगह मौजूद नहीं हो सकता और यदि कोशिश भी करूं तो भी हर जगह नहीं जा सकता । कभी-कभी मुझको सलाह दी गई है कि मैं भेष बदल कर निकला करूं । सम्भव है कि विक्रमादित्य या हारूं रशीद के लिये उज्जैन नगरी में या बगदाद के शहर में ऐसा करना सम्भव हो परन्तु यह आज कल के जमाने में सम्भव नहीं है । मेरी ऐसी उम्र भी नहीं है अगर मैं चाहूं भी तो ऐसा कर सकूं । तो अगर मेरे पास शिकायतें जानने के लिये कोई साधन रह जाता है तो एक ही रह जाता है और वह यह है कि वे लोग जो जनता के सम्पर्क में हैं और जो शहरों में या खासतौर से देहातों में रहते हैं और जो कुछ भी खराबियां होती हैं उन खराबियों को देखने का जिनको मौका मिलता है उनके जरिये से सुनूं, चाहे यहां भाषणों के जरिये से या चिट्ठी-पत्री के जरिये से या प्राइवेट बातचीत के जरिये से उनसे सुनूं ।

एक बात जरूर है कि हम अपने सामने जो तस्वीर रक्खें वह फ़ेयर पिक्चर होनी चाहिये । अगर यह तस्वीर देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में घोर अराजकता फैली हुई है तो यह गलत तस्वीर होगी । मैं इसे एक क्षण के लिये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता छाई हुई है, यह बात गलत है । ऐसी तस्वीर देखने से कोई काम भी नहीं निकलता । अगर यह समझ लें कि हालत इतनी खराब हो गई है तो नतीजा यह होता है कि हिम्मत हार जाती है । हर आदमी जो इतनी दूर तक पहुंचेगा वह यह समझ बैठेगा कि यह तो असाध्य रोग हो

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

गया है, उसे कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। इससे कोई नतीजा नहीं निकल सकता। ऐसी चीज होनी चाहिये जिससे पूरे तौर से सही तस्वीर हमारे सामने आ सके। एक बात का कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया और ठीक जिक्र किया कि जहां पुलिस विभाग में बुरे आदमी भी हैं वहां ठीक आदमी हैं। उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिये। अगर यही चीज बराबर हो कि अच्छाई कहीं है ही नहीं, सारी की सारी खराबी है तो सब धान २२ पसेरी हो जाता है और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और जो आदमी अच्छा भी होगा उसका दिल टूट जायगा, हिम्मत हार जायगा। इतना ही मेरा कहना है। लेकिन जो शिकायतें और खराबियां है उनको आना चाहिये। बगैर आये वे दूर नहीं हो सकती हैं। दूर करने के लिये कोशिश की जाती है इसका मैं क्या जिक्र करूं। और इस बात के लिये प्रमाण भी क्या दूं सिवा इसके कि अभी कल करप्शन के सम्बन्ध में कुछ बातें हुई और मैंने दो-एक चीजों का जिक्र किया कि हम ऐंटीकरप्शन के सिलसिले में फलां-फलां काम करने वाले हैं। उससे इस बात का कुछ अन्दाज हो सकता है कि हम करप्शन को दूर करना चाहते हैं। जो भी तरीका हमारी समझ में आया उसको हमने बरता और जो कुछ और तरीके बतलायें जांय उनको बरतने के लिये तैयार हूं। मैं कुछ थोड़ी सी फीगर्स देता हूं उनसे भी थोड़ा सा अन्दाज लगाया जा सकता है इस बात का कि पिछले तीन वर्षों में जो हमारे यहां से ६ गजेटेड आफिसर्स निकाले गये उनमें २ सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस थे। इंटेग्रिटी के सम्बन्ध में वे निकाले गये। ३३४ नान गजेटेड आफिर्सस निकाले गये। इससे कुछ अन्दाज इस बात का हो सकता है-- सम्भव है कुछ और लोग भी होंगे-- कि हमने इस सम्बन्ध में कुछ काम किया है और उसका सबूत यह है कि चाहे सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस के दर्जे का ही आदमी क्यों न हो अगर उसके बारेमें प्रमाण मिलते हैं और उसको कानून के अन्दर ला सकते हैं तो हमें ऐसे आदमी को निकालने में कोई हिचक नहीं होगी। यह दूसरी बात है कि हम जो सजा देने के तरीके हैं उसके अन्दर उस आदमी को नहीं ला सकते होंगे। इस तरीके के गजटेड आफिसर्स को छोड़कर जो दूसरे लोग आफिसर्स के दर्जे के हैं उनको छोड़ कर दूसरे लोगों को देखें तो १३६० आदमी निकलेंगे और उसके अलावा दूसरे लोगों को सजा दी गई उनकी संख्या ५६०० के करीब आती है। डिसमिसल के अलावा इस बात का भी आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इंटेग्रिटी को कायम रखने के लिए या करप्शन को दूर करने लिये जितना हम कर सकते थे उसको करने के लिये हम हमेशा तैयार रहे हैं। खराबी पुलिस डिपार्टमेंट में होती है इनएफिशियेंसी की वजह से।

कुछ इस बात की शिकायत रही है कि प्रासीक्यूशंस ठीक नहीं होते, यह ठीक है। बाज अच्छे केसेज के भी प्रासीक्यूशंस ठीक नहीं होते। अदालतों के जजमेंट में इस बात का जिक्र आता है कि प्रासीक्यूशन ठीक नहीं हुआ और ऐसे केसेज होते हैं कि जो मुलजिम होता है और जिसे सजा पाना चाहिये वह छूट जाता है। उसको दुरुस्त करने के लिये कोशिश की गई है। अब प्रासीक्यूशन के काम के लिये ला ग्रेजुएट्स को लिया जाता है। वे केवल ला ग्रेजुएट ही न हो, बल्कि मुरादाबाद में उनको खासतौर से ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की कि कैसे प्रासीक्यूशन किया जाता है। इतना ही नहीं, अभी हाल में मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस दिल्ली में हुई और यह तय हुआ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन खोली जाय जिसमें डिफरेंट स्टेट के आदमी आयें जो कि लेटेस्ट कोई तरीके होते हों उनको जाने बूझें और समझें ताकि इनएफीशियेंसी की वजह से जहां क्रिमिनल छूट जाता है, वह न छटने पाये। इसकी भी हम कोशिश करते हैं।

एक चीज है जिसके बारे में सचमुच बाज वक्त कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। बाज वक्त बड़ी क्रूरता की खबरें आती हैं, मारपीट की नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर, जंगलीपन कहा जाय या ऐसा अमानुषिक बर्ताव लोगों के साथ होता है कि जो सुना नहीं जाता है ऐसी खबरें आती हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को तो वैसे अपने-अपने जिलों की घटनाओं का पता होगा, मेरे पास प्रदेश के हर तरफ से खबरें आती हैं और बहुत खबरें आती हैं, बड़े-बड़े अखबार जो होते हैं उनसे भी और छोटे-छोटे अखबारों में जिलों में जो खबरे निकलती हैं उनकी

भी खबरें आती हैं और सचमुच बाज बातें ऐसी होती हैं कि आदमी का दिमाग ठिकाने नहीं रहता सिवाय इसके कि अगर सबूत मिले तो उस आदमी को उसका दंड दिया जाय। तो मैं क्या बतलाऊं, बार-बार तवज्जेह कराई जाय, दंड दिये जांय और आदेश दिये जांय सिवाय इसके और क्या तरीका हो सकता है, मैं नहीं जानता। लेकिन यह ठीक है कि बड़े अफसर ऐसा नहीं करते, बड़े अफसरों के सामने भी ऐसी बातें नहीं होतीं, लेकिन ऐसी बात है और उसके लिये जो भी तरीका हो उसको काम में लाकर हमको उसे दूर करना होगा।

एक हमारी थोड़ी सी दिक्कत है और वह यह है कि प्रदेश की आबादी जिस तरह से बढ़ी है और क्राइम करने वालों की सुविधायें जिस तरह से बढ़ी हैं, पिछली लड़ाई के बाद जिस तरह से हथियार फैल गये हैं, उनका चलाना जिस तरह से लोग जान गये हैं और उनको बनाने की विद्या जिस तरह से लोगों को आ गई है, साइंटिफिक ढंग से क्राइम करना जिस तरह से लोग सीख गये हैं, उसको देखते हुए पुलिस में वैसी वृद्धि नहीं हुई है। न तो उसकी संख्या में और न उसके खर्चे में वैसी वृद्धि हुई है। मैं आंकड़े बहुत कम दिया करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आंकड़ों का सही, गलत इस्तेमाल हो सकता है लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि जो मैं आपके सामने रखता हूं और उनसे अंदाज आपको इस बात का होगा कि जितना और दूसरी गवर्नमेंट्स में और दूसरे राज्यों में खर्च होता है और जितना हमारे यहां होना चाहिये, जिसकी तरफ कई बार हमारे यहां के माननीय सदस्यों ने इशारा किया है, उसकी अपेक्षा हमारे यहां कितना कम खर्च है। १९३४–३५ में जो टोटल बजट था उसके मुकाबिले में पुलिस का बजट १४.१ प्रतिशत था। इधर के पिछले दो तीन सालों को आप ले लीजिये। १९५१-५२ में १३.६ प्रतिशत रहा, १९५२-५३ में १०.९८, ११ प्रतिशत समझ लीजिये, १९५३–५४ में ९.७ प्रतिशत रहा, १९५४–५५ में ८.९ प्रतिशत रहा और इस साल जो बजट हमने रखा है वह टोटल बजट का कुल ८.६ परसेंट है। तो परसेंटेज की जितनी बात है उसे अगर आप देखें तो टोटल जो हमारा खर्च होता है उसकी अपेक्षा पुलिस का जो खर्च है वह बराबर, प्राग्रेसिवली कम होता जा रहा है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आज न सही कल अवश्य ही गौर करना होगा। जहां और चीजों पर खर्च हो उसके साथ ही हमें पुलिस पर खर्च बढ़ाना पड़ेगा और बहुत देर की बात नहीं, अति दूर भविष्य की बात नहीं, इन नाट वेरी डिस्टेन्ट फ्यूचर हमें यह खर्चा बढ़ाना पड़ेगा।

इत्तिफाक से एक बहुत छोटी सी बात है। कल यहां जिस वक्त कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बजट का जिक्र था तो शायद किसी मेम्बर ने, द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने या किसी ने घोड़ों का जिक्र किया था और आज देखता हूं कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में घोड़ों का जिक्र। तो इसलिये मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ घोड़े याद पड़ गये और मैंने इस बात का अनुभव किया कि मोटर के जरिये से जो दौरा वगैरह होता है वह संतोषजनक नहीं होता। जीप भी हर जगह आसानी से नहीं जा सकती है, अगर कोई बाइसिकिल के अलावा जा सकता है हर जगह, तो वह घोड़ा ही है इसलिये मैंने अपने यहां यह कंपल्सरी कर दिया कि जितने सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस हैं उन सब को घोड़ा रखना चाहिये।

लेकिन यह अफसोस की बात है कि अभी सब के पास घोड़े नहीं हैं और उसका एक तो बड़ा कारण है और एक छोटा कारण है। छोटा कारण तो यह है कि इत्तिफ़ाक से उसमें कुछ कानूनी दिक्कत पैदा हो गई वह यह कि कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो पूरी तौर से आई० पी० एस० नहीं हैं तो उनको इतना एलाउन्स दिया जा सकता है या नहीं। आशा है यह बहुत जल्दी ही तय हो जायगा। बड़ा कारण यह है कि जिस वक्त फौज के पास घोड़े रहा करते थे तो उनकी वजह से हार्स ब्रीडिंग अच्छी होती थी और घोड़े मिल जाते थे। फौज के पास अब घोड़े नहीं के बराबर हैं लेकिन धीरे-धीरे मिल रहे हैं। हम आशा लगाये बैठे हैं कि मेरठ में जो नौचन्दी फेयर हो रहा है उसके बाद हर सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस को घोड़ा मिल सकेगा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

माननीय सदस्यों ने बजट का जरूर अध्ययन कर लिया होगा। लेकिन थोड़ा जिक्र किये देता हूं कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था पुलिस का वह था ७,२१,८६,००० रु० का और फिर कुछ उसमें सप्लीमेन्ट्री बजट के द्वारा भी वृद्धि हुई। तो यह सब जोड़ जाड़ कर करीब ७,४०,५३,००० का बजट हुआ था। इस साल ७ करोड़ ७६ लाख के करीब का बजट है यानी ३६ लाख की वृद्धि हुई है। मैं यह भी बता दूं कि इसकी मुख्य मदें क्या हैं। कई एक चीजें इसमें ऐसी हैं जिनकी तरफ स्वयं माननीय सदस्यों ने हमारा ध्यान दिलाया है और जिन का उन्होंने कम से कम कल जरूर स्वागत किया है। एक तो यह है कि पुलिस वालों की डाइट के लिये ४ रुपये बढ़ाये गये हैं उसकी वजह से २३,३६,९०० रुपया होता है। जो पुलिस के अस्पताल थे उनकी हालत बहुत खराब थी और मंहगी दवाइयां पुलिस वालों को नहीं मिलती थीं, उसमें ३० हजार की वृद्धि की गई, यद्यपि यह रकम सदन है लेकिन जो कुछ दे सकते थे उसको देखते हुए ३० हजार की वृद्धि की गई। इसी तरह सदन में ही बजट की तरफ़ ध्यान आकर्षित कराया था कि पुलिस स्टेशनों पर रोशनी का इंतजाम बहुत कम है और पुलिस वालों को अपनी जेब से इसका खर्च उठाना पड़ता है तो पुलिस वाले जरूर उस खर्चे को किसी न किसी तरह से मीट करते होंगे इधर-उधर से। उसके लिये अब की ६८ हजार रुपया बढ़ाया गया है तो जाहिर है इससे करप्शन में कुछ कमी होगी, क्योंकि उनको अब इधर-उधर से रोशनी के लिये पैसा खर्च करने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी।

दूसरी चीज यह की गई है कि मकान कम हैं। कायदे से कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल को फ्री क्वार्टर मिलना चाहिये और जिसको क्वार्टर न मिले उसको किराया मिलना चाहिये। उन्हें किराया भी नहीं मिलता है और जो क्वार्टर्स हैं वह बहुत खराब हैं, अपने कुटुम्ब वालों के साथ रह नहीं सकते हैं। तो अब यह किया गया है कि साल में एक बार हर कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल अपने घर जा सकता है, उसको किराया मिलेगा। उसके लिये डेढ़ लाख रुपया बजट में रखा गया है।

अभी मैंने मकानों का जिक्र किया कि क्वाटर्स हैं नहीं और जो हैं उनकी हालत बहुत खराब है। तो हमने एस्टीमेट किया है कि करीब ११ लाख रुपया लगेगा क्वार्टर्स दुरुस्त करने में। तो यह एक साल में नहीं होगा कम से कम ४ साल लगेंगे। उसी हिसाब से हमने ४ लाख रुपया बजट में रखा है और जब तक क्वार्टर्स तैयार नहीं होते हैं उन्हें किराया जो दिया जायगा उसके लिये ४,९५,००० रु० रखा गया है जो थोड़ा है।

मैं एक बात और कहूं कि अभी जो दिल्ली में होम मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हुई थी उसमें हमने जोर दिया, जैसा सदन में कई दफ़ा जिक्र हुआ कि फलां फलां चौकियों की हालत बहुत खराब है तो हमने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, हमारी हैसियत के बाहर की बात है तो जैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया हमें लेबर हाउसिंग के लिये रुपया देती है, या लोन देती है वैसे ही चाहे ग्राण्ट के रूप में चाहे लोन के रूप में किसी तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया हमको रुपया दे। इतना मैं कह सकता हूं कि आज कल जो नये होम मिनिस्टर साहब हैं वे इन सब बातों से भली-भांति परिचित हैं और उनकी सहानुभूति भी है तो सम्भव है कि यह चीज हो जाय। अगर ऐसा हो गया तो बहुत सी दिक्कतें मकानों के सिलसिले में दूर हो जायंगी।

मैं समझता हूं कि जो ३६ लाख की वृद्धि हुई है इसकी मुख्य-मुख्य मदें यही हैं और इससे ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता और मैं इसी आशा के साथ बैठता हूं कि अन्त में मेरी मांगें स्वीकार हो जायंगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट का जब बजट हमारे सामने आता है तो जिनमें कुछ जोश नहीं भी होता है उनमें भी जोश पैदा हो जाता

और पुलिस बजट के खिलाफ कोई भी सदस्य धुआंधार कर सकता है, केवल मैं ही नहीं, मैं तो औरों के भी खिलाफ धुआंधार कर सकता हूं लेकिन पुलिस के खिलाफ तो कोई भी सदस्य यहां पर खड़े होकर धुआंधार बोल सकता है। लेकिन जैसा कि हमने कल कहा और बराबर कहते जा रहे हैं, हमें अपने माननीय मुख्य मंत्री पर इस बात का भरोसा है कि अगर चाहें, उनका इरादा एक दफे बन जाय कि अपने प्रदेश के अन्दर हम पुलिस को ठीक कर देंगे तो वह पुलिस ठीक हो सकती है। आज तक की बात को तो छोड़ सकते हैं, आज तक तो वह कह सकते थे, अध्यक्ष महोदय, कि उनके पास पुलिस विभाग था उसमें तरक्की नहीं हुई, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, उसका एक कारण यह हो सकता था कि सारी ताकत उनके हाथ में नहीं थी। लेकिन अब आज उनके हाथ में सारी ताकत है, सारी सत्ता है इस प्रदेश की और मैं विरोधी दल की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुलिस के मामले पर जो कदम वह इस प्रदेश में उठायेंगे, उसमें हमारा उनके साथ पूरा सहयोग रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ही खराब है, यह पुलिस का विभाग तो सारे प्रदेशों के अन्दर खराब है, सारे देश के अन्दर खराब है, गवर्नमेंट आफ इंडिया में खराब है। अगर मैं यह कहूं कि हमारे प्रदेश में ही सारी खराबी है तो वह उचित नहीं होगा।

लेकिन अध्यक्ष, महोदय, मैंने आज अखबार में सुबह यह पढ़ा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी एक ज्योतिषी वाले की बात की कि किसी ज्योतिषी ने यह कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे तो अध्यक्ष महोदय, आज उस ज्योतिषी का पता वगैरह इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट से जो डायरी हमें मिली है, उसमें नोट कर लिया है। उसका नाम वगैरह सब लिख लिया है और उससे मैं अब यह पूछने वाला हूं कि वह यह बताये कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के राज्य में उनके हाथों उत्तर प्रदेश के अन्दर पुलिस का जो विभाग है, उसमें कुछ तरक्की हो सकेगी या नहीं, यह मैं उससे पूछने वाला हूं और यह भी पूछने वाला हूं कि उसमें क्या किसी के सहयोग की भी जरूरत होगी, मदन मोहन उपाध्याय का भी कुछ सहयोग हो सकता है या नहीं। अगर हमारे सहयोग की जरूरत होगी तो फिर हम अपना पूरा सहयोग उनको भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पुलिस में सब खराबी ही खराबी है उसमें अच्छे लोग भी हैं और यह भी कुछ हद तक सही है कि इधर उसमें कुछ सुधार भी हुआ है, कुछ पढ़े-लिखे लोग भी उस में गये हैं लेकिन अगर पुलिस में कोई खराबी है तो वह पुराने आदमी हैं जिन्होंने पुलिस को बिगाड़ रखा है, जिनकी कि आदत बिगड़ी हुई है, जिन्होंने कि हमारे साथ जुल्म किये और जो कि अत्याचार करने में माहिर हैं। हम भी बहुत कुछ जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, जेलखानों में रहे हैं। अगर हमें मौका मिला तो हम स्वयं ठीक करेंगे। इसमें मुख्य मंत्री जी की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम यहां साढ़े छः करोड़ जनता के नुमाइन्दे बैठे हैं, हमारा सबका फर्ज है कि पुलिस की ज्यादतियों को दूर करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कमी इस बात की है कि हम लोग पुलिस के बारे में कुछ कहते हैं तो पुलिस वाले जिस तरह से हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। मैं इसके लिये कटमोशन जरूर मूव कर रहा हूं लेकिन मेरे जिले में पुलिस की ज्यादती नहीं है, वहां पुलिस कोई गड़बड़ी नहीं करती है। लेकिन हमारे सामने उधर सरकारी लोग नोट लिख रहे हैं वह यह तो नहीं लिख रहे हैं कि पुलिस में ज्यादती है या नहीं और क्या-क्या है क्योंकि वे सब जानते ही हैं बल्कि यह नोट करते हैं कि कौन पुलिस के खिलाफ बोलता है ताकि उसके पीछे गुंडे लगा दें। वह तो यह लिखते हैं ताकि बाद में उनको ठीक किया जाय। मेरे यहां कहीं न लिख दें कि जरा इनका भी ख्याल करना।

अध्यक्ष महोदय, आपके घर में भी चोरी हो गयी। उन्होंने समझा कि रोज अध्यक्ष के सामने ही लोग पुलिस की बात करते हैं, पहले उन्हीं के घर में चोरी होने दो। तो सुना करीब १० हजार की चोरी आपके यहां हुई, उसका पता नहीं लग सका।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के होते हुए आज नागपुर में किसी रिक्शावाले की कैसे हिम्मत पड़ गयी कि वह छुरा लेकर हमारे प्रधान मंत्री पर झपटा? यह सिम्बालिक किस चीज का है?

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

यह टेंडेंसी क्या है ? तो अध्यक्ष महोदय, हम से कौन नाराज है ? पुलिस ही नाराज है। हालत यह है कि हमारे रामेश्वर लाल जी रायबरेली के थे, लेकिन पुलिस के बजट के दिन हाउस में आते ही नहीं, क्योंकि वहां फिर मार पड़ने का डर है। नेकराम शर्मा ने पुलिस की रिपोर्ट की थी तो आज सुबह ही उनके यहां वारंट पहुंच गया, ३४६,३४७ और ३६८ इत्यादि दफाओं में। तो पुलिस के खिलाफ यहां चर्चा करते हुए हम लोग डरते हैं, जितने एम० एल० ए० लोग यहां पर हैं वह डरते हैं। आप यह आशा नहीं रखते कि प्रदेश का कोई आदमी पुलिस के खिलाफ कोई बात कह सकेगा।

मैं पूछना चाहता हूं आज मुख्य मंत्री जी से, कि कौन सा थाना ऐसा है जिसके अन्दर रूपया नहीं बंधा हुआ है कौन सी कोतवाली प्रदेश के अन्दर है। मैं यह नहीं कहता कि यहां यहां ऐसा है, बल्कि किस जिले की कोतवाली के अन्दर रुपया नहीं बंधा हुआ है। हमें आप मौका दीजिये, अगर आप हमारी रक्षा करने को तैयार हैं तो हम इस काम को अपने हाथ लेने के लिये हैं। चुनाव के दिन बहुत नजदीक आ रहे हैं। मैं जो अब कह रहा हूं उसका मुझे भी डर लगता है, लेकिन ऐसी जगह का रहने वाला हूं कि गड़बड़ी कम है। आई० जी० साहब की क्या तारीफ करूं वह तो बहुत शरीफ आदमी हैं लेकिन कहीं इशारा करदें कि मदन मोहन उपाध्याय का भी ख्याल करियेगा तो फिर खैरियत नहीं। इसलिये रक्षा करिएगा। हमें बचाइयेगा, हम तो परेशान हैं। अच्छी बात कहें तब भी बुरा माना जाता है। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारा फर्ज है कि हम अपनी दिक्कतों को आपके सामने रखें, उनको दूर करने की कोशिश की जायगी। लेकिन ६ महीने के लिए अगर हमको मुख्य मंत्री जी इम्यून कर दें, कोई मुकदमा हमारे ऊपर न चले तो हम पुलिस को ठीक कर सकते हैं। प्रभूलाल बस्ती से आये हुए थे। ४–५ रोज का जिक्र है। किसी पुलिस के खिलाफ उन्होंने शि[illegible]र दी होगी। दो पुलिस के सिपाही दरोगा जी ने पीछे लगा दिये। वह इंटर क्लास [illegible] कर रहे थे और साथ में खाने के लिये घी का टिन ले जा रहे थे। उनसे कहा गया कि तुम्हारी तलाशी ली जायगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक्साइज के थे।

श्री मदनमोहन उपध्याय—मैं तो, अध्यक्ष महोदय, पुलिस में फर्क नहीं लगाता कि कौन पुलिस वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं एम० एल० ए० हूं। पुलिस वालों ने कहा कि हम क्या जानें, कानून एम० एल० ए० के लिये भी है। ठीक बात उन्होंने कही, कानून तो सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई हो। तो घी का जो डिब्बा था उसके अन्दर एक मैला कुचैला डंडा डाला गया और उससे चला कर देखा गया कि कहीं उसमें चरस अफीम तो इकट्ठा करके नहीं ले जा रहे हैं, उनसे जो न कहना था कहा गया। आजमगढ़ के एक एम० एल० ए० ने पुलिस की शिकायत की थी तो वहां की पुलिस ने गुंडे लगा कर उनकी खूब मरम्मत करवाई। वह यहां बैठे हुए हैं, क्या कहूं ? उनके सारे कपड़े तक उतार लिये। उन्होंने कहा कि नंगा कैसे जाऊं, धोती तो दे दो मुझको। तो ऐसी हालत में जब हम पुलिस से डर सकते हैं तो क्या प्रान्त की जनता डरेगी नहीं ? यह आतंक तो सारे देश के अन्दर है, उत्तर प्रदेश की खास खूबी नहीं है। लेकिन वक्त आ गया है इसमें सुधार करने का। जब हमने सोशलिस्टिक पैटर्न की बात सुनी तो हमसे बहुत से भाई एक और शिकायत करते हैं कि जब तुम्हारी गवर्नमेंट हो जायगी तो तुम्हीं कौन से तीसमार खां हो जो पुलिस को ठीक कर डालोगे, जब माननीय सम्पूर्णानन्द जैसे सोशलिस्ट उस काम को नहीं कर सके, तो तुम कैसे कर सकोगे ? तो अध्यक्ष महोदय, हमारी जिम्मेदारी कुछ और अधिक बढ़ गयी है। एक सोशलिस्टिक विचार धारा के स्टेट के हेड हों और जो इतने बड़े विद्वान् हैं जो सोशलिज्म में बिलीव करते हैं और जहां तक मेरा सम्बन्ध है पार्टी को छोड़िये, जाती तौर पर मैं उनको बहुत ऊंची नजर से देखता हूं इसलिये उनके लिये कहने को तैयार हूं कि

जिस प्रकार गांधी जी ने स्वराज्य दिलाया, पटेल साहब ने स्टेट्स को ठीक किया और रफी अहमद किदवई साहब ने फूड की समस्या को ठीक किया, अगर आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी पुलिस को ठीक करदेंगे तो दुनिया के इतिहास में उनका नाम होगा। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पुलिस के सम्बन्ध में वह एक अपनी पार्टी की कमेटी बिठायेंगे। यह बात गलत है, वह हमारे मुख्य मंत्री हैं और हम उनके साथी हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर कमेटी बैठावें तो हाउस की कमेटी बिठाई जाय। चाहे उसमें किसी को लिया जाय लेकिन कमेटी हाउस की होनी चाहिये। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि हम इस सबको बन्द कर देंगे। आप मेरठ जिला मुझे सौंप दीजिये। जितने जुए के अड्डे हैं वह सब मैं बतला दूंगा, किस थाने में कितना बंधा है वह सब मैं बतला दूंगा। अगर पुलिस वालों का बस चले और जो मिनिस्टर साहब भी कुछ कह दें तो उनके मोटर पर भी ये जूता फिकवा सकते हैं यह उनकी हालत है।

मेरा सौभाग्य है कि मेरे यहां न चोरी होती थी, न डकैती होती थी और न किसी प्रकार का आतंक ही था लेकिन जब से बोर्डर के नाम पर वहां पुलिस गई है, वहां चोरी होने लगी है, डकैती होने लगी है और जंगलों के रास्ते में औरतों के जेवर तक छीन लिय जाते ह। हमारे यहां से यदि पुलिस को हटा दिया जाय तो बड़ी मेहरवानी होगी। पुलिस वालों के पास कोई काम नहीं है इसलिये उनको श्रमदान में लगा दिया जाय। किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिये सब से कलंक की चीज पुलिस विभाग की ज्यादती होती है। जब शाम को पीठ पर पुलिस का डंडा पड़ता है और गांवों में जब हम देखते हैं कि पुलिस का इस तरह का जुल्म होता है तो हम सारी वेलफेयर स्टेट को भूल जाते हैं और अपनी इज्जत बचानी मुश्किल पड़ जाती है। रामनरेश जी शुक्ल परसों कहते थे कि क्या करें आधी रात में जागता हूं और आधी रात मेरी बीबी जागती है। क्या कहूं आज पुलिस के खिलाफ कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, मैं इसके लिये उनको दोष नहीं देता। माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई दोष नहीं है। लेकिन इस बात को मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आज पुलिस का बहुत जुल्म बढ़ गया है।

मोटर वालों की मोटरें चलती हैं, इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है कि मैं उस विभाग की घूसखोरी सब ठीक कर दूंगा। आज कोई गाड़ी वाला ट्रक चलाता है और चौराहे पर खड़े सिपाही को दो रुपये चुपके से दे देता है तो ठीक है। अगर कोई नहीं देता है तो उससे कहते हैं कि रोको, तुम्हारा लैम्प ठीक नहीं है वग़ैरा वगैरा और फिर कहता है चलो थाने में। थाने में दरोगा जी बैठे हैं, वह कहते हैं क्यों बे दिमाग ठीक नहीं है। लीजिये, उसका दिमाग ठीक हो जाता है। इसलिये इन सबसे बचने के लिये उसे दो रुपया सिपाही को हवाले करना ज्यादा अच्छा लगता है। मोटर वालों से पुलिस का रुपया बंधा हुआ है। मैं मोटर यूनियन का प्रेसीडेंट हूं, मुझे सब मालूम है और मैं कोई बात मुख्य मंत्री जी से छिपाना नहीं चाहता हूं। मैं इसको दूर करूंगा, वह सिर्फ मुझे सहारा दे दें। मुझे मौका दें और मेम्बरान को मौका दें और हम सब लोग छै महीने तक किसी पुलिस वाले से बात न करें हम थाने से गुजरते हैं तो दीवान जी रिपोर्ट लिख देते हैं कि उपाध्याय जी मवर्रखे फलां फलां को थाने में आये थे और कहते थे कि इसको मत पकड़ो, उसको मत पकड़ो, इस तरह से ५-६ दफा हमारी रिपोर्ट लिख देते हैं रोजनामचा तो उनका ही हुआ। फिर वह कह देते हैं कि उपाध्याय जी फलां आदमी को छोड़ने को कहते थे हमने नहीं छोड़ा तो रिपोर्ट कर दी। मैं यह चाहता हूं कि अगर एम० एल० ए० की शिकायत हो तो पुलिस अफसर उसकी जांच न करें। एस० पी० का खर्चा कोतवाली को और कोतवाली का खर्चा थाने को देना पड़ता है और हर थाने से रुपया बंधा होता है तो वह कैसे किसी के

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

खिलाफ कुछ करे? ऐस० पी० के दफ्तर वालों का हिसाब यह है कि उस थाने में तबादला होता है तो ४ हजार होते हैं और उस थाने में होता है तो दो हजार होते हैं। इस तरह की बात है कि थानों की भी कीमत लगी है और जिस प्रकार का थाना चाहिये उसी प्रकार रुपया देकर तय कर लिया जाता है। मेरी राय है कि पुलिस का डिसेन्ट्रइलाजेशन होना चाहिये। हमारे प्रदेश की म्युनिसिपैलिटीज, यहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को पुलिस विभाग को सौंप देने चाहिये और हम लोग जो नान आफ़िशल एजेन्सीज हैं ६ महीने तक किसी पुलिस वाले से काम न करायें तो मुझे आशा है कि इस डिपार्टमेंट को हम ठीक कर देंगे। पुलिस के बड़े बड़े आफिसर्स हमारे साथ हैं। हाई लेविल पर घूसखोरी नहीं है। अगर है तो हेड कांस्टेबिल से ऊपर कोतवाल तक घूसखोरी ज्यादा चलती है। हमारे दिलों में बड़े आफ़िसर्स के लिये बड़ी इज्जत है। वे हमारा साथ देने के लिये तैयार हैं और मैं आशा करता हूं कि अगर वह हमारा साथ देंगे तो इस चीज को मिटा देने में हम कामयाब होंगे। तीन साल हो गये, कितने एम० एल० एज० ने कितने पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत की और उनमें से यह बता दीजिये कि कितने ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ़ उन्होंने रिपोर्ट की आज वे सब ऊंचे पद पर चढ़ा दिये गये हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी एम० एल० एज० पर तो विश्वास करें और अगर हम लोगों से मिलकर कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है और सरकार ठीक नहीं कर सकती तो फिर एक दफा हमें छोड़ दिया जाय, हम उनको वह मुर्गा बनायेंगे कि याद करेंगे। कम्बल डालना हम जानते हैं, जेल में हमारे साथ सब बीत चुका है, हम उनको एक महीने के अन्दर ठीक कर देंगे अगर सरकार से ठीक नहीं होते हैं। बड़ा आतंक हो जायगा, घपला हो जायगा ऐसा कहा जाता है पर इससे हम नहीं डरते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आज इस सदन के अन्दर एलान कर दें कि सोशलिस्ट पेटर्न को बदनाम नहीं होने दिया जायेगा। वेलफेयर स्टेट में अगर पुलिस ज्यादती करेगी तो वह उसके लिये कलंक हो जायगा। सफेद टोपी पहिनकर कभी कचहरी व थानों में अगर कहीं निकल जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि 'थ्री नॉट थ्री' आ रहा है, जरा देखिये क्या कहता है।

आज कांग्रेस के अन्दर जो असली लोग थे वे कांग्रेस के अन्दर नहीं माने जाते हैं। मैं अभी दिल्ली गया। चांदनी चौक में फिर रहा था। एक आदमी आवाज लगा रहा था, "६ आने में पंडित नेहरू से मुलाकात, ६ आने में राजेन्द्र बाबू से मुलाकात।" मैंने कहा कि भाई ६ आने में पंडित नेहरू से कैसे मुलाकात होती है। उसने एक गांधी टोपी निकाल कर कहा कि यह मुलाकात कराती है, जो इस टोपी को पहन लेता है वह जवाहरलाल से मुलाकात कर लेता है, हिस्ट्रीशीटर हो चाहे जो हो। हमारी पी० एस० पी० के जो चेयरमैन हैं—आचार्य जी, उन्होंने भी कहा है कि हमें माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़ी आशायें हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अब कदम उठायें, मुझे विश्वास है कि इस सदन के सारे सदस्य आपका साथ देंगे। ये प्रेस वाले जो बैठे हैं वे भी डरते हैं पुलिस के खिलाफ लिखने में। एक पायनियर प्रेस का बेचारा करेस्पांडेंट था, वह पागल हो गया। पुलिस वालों के खिलाफ कुछ लिख बैठा। पुलिस वालों ने उसका धोबी बन्द कर दिया, नाई बन्द कर दिया, भंगी बन्द करवा दिया। वह काफी हाउस में बैठा हुआ जब अपनी दास्तान को कहता है तो बड़ा दुःख होता है। बेचारा पागल हो गया। अब तो पागल खाने से लौट आया और कल जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी का भाषण उसने सुना कि भ्रष्टाचार बन्द किया जायेगा तो कल से बड़े गुण गा रहा है। शाम को जो चाहे काफी हाउस में काफी पिये और उसकी दास्तान सुने। तो जब हम डर गये, मंत्रीगण डर गये, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स डर गये, अखबार वाले डर गये तो फिर ये ग़रीब किसान बेचारे कहां के हैं, वे तो कुछ कर नहीं सकते। बम्बई में यही हालत है, दिल्ली में यही हालत है, दिल्ली में ज्यादा है। इस परिस्थिति को ठीक करना हमारा काम है। माननीय

मुख्य मंत्री जी जैसे व्यक्ति की समझ में एक दफे आ जाय कि यह हमें मिटाना है और हम इसे मिटाने के लिये मर सकते हैं तब हम इसको मिटा सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता हमारे सामने नहीं है। मुझे पूर्ण आशा है कि अगर हम सब निश्चय कर लें कि पुलिस विभाग में सुधार किये बगैर चैन नहीं लेंगे तो अपने काम में सफल हो जावेंगे। इन शब्दों के साथ में कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

† राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव मेरे माननीय मित्र मदनमोहन उपाध्याय जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से उपाध्याय जी ने भवन के सामने पुलिस के बारे में जो तस्वीर खींची है मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं। अब समय आ गया है कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि जो जनता से सम्पर्क रखते हैं और जो देहाती क्षेत्रों में हैं उनको इसमें सहायता करनी चाहिये। श्रीमन्, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि वहां देहात की जनता जिस प्रकार से भयभीत है मैं उसकी तस्वीर आपके द्वारा उनके सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन्, देहात में आज कल यह हाल है कि जिस गरीब जनता के लिये कहा जाता था कि जमींदारों के जाने के बाद स्वतन्त्र हो जायगी और गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं किया जायगा और वह गरीब जनता सुखी हो जायगी और हर भाई भाई मिल कर गांव में आनन्दपूर्वक रहेगा वहां मैं आज यह देखता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब या यह सरकार इस बात पर जरूर खुशी मना ले कि उनकी मालगुजारी वसूल हो जाती है किन्तु आज जमींदारी खत्म होने के बाद गांवों में वह अराजकता फैली हुई है कि आज देहातों में गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। लगान वसूल करके लोग चले जाते हैं पुलिस वाले या जो जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो देहात के गुंडे लोग हैं जिनके १०, २० आदमी घर में हुए तो वह बहुत बलवान हो जाते हैं और जिस तरह से चाहते हैं करते हैं और लोगों की बहूबेटियों को बेइज्जत करते हैं उनसे वहां पर बड़ा भारी खतरा हो गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि पुलिस में सुधार किया जाय और पुलिस का सुधार करना बहुत जरूरी है। उसके विषय में मैं २, ३ बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करे तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है।

पहली बात तो यह है कि अंग्रेजों के जमाने में जो चौकीदार वहां पर हुआ करते थे उनके जाने के बाद उनके लिये कोई तहकीकात नहीं की गयी कि गांव में रहने वाले चौकीदार किस तरह से रिपोर्ट करते हैं। पहली बात यह करनी चाहिये कि जहां पर चौकीदार की शिकायत गांव सभा या गांव सभा का सभापति करे उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि वह मुख्य चीज है। पुलिस में चौकीदार का मुख्य स्थान है और वह स्थान बहुत अहमियत रखता है। मैं आपसे कहता हूं कि जनता उससे बहुत कष्ट पाती है। अगर कोई चौकीदार झगड़ा करने वाला है, चालाक है, चोर है, तो उसको निकाल देना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी से बतलाना चाहता हूं कि बहुत से जुआरी, बदमाश अब भी चौकीदार बने हुए हैं और चूंकि वह बन चुके हैं लिहाजा डिपार्टमेंट उनकी शिकायतों को सुनता नहीं है। उनकी शिकायतों को सुनकर उनको निकालने की कोशिश नहीं की जाती है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो इब्तदाई रिपोर्ट लिखी जाती है उसकी एक डुप्लीकेट कापी ग्राम सभा में भी लिखी जाय तो उससे बहुत सुधार हो सकता है। जो लोग ग्राम सभा में काम करते हैं उनके सामने अगर एक रिपोर्ट की जाय तो अभी तक थानों में जो यह होता है कि किसकी रिपोर्ट पहले आयी और किसका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

लेना, किसका देना और किसको माना जाय और किसको न माना जाय इस तरह से जो बाधा पड़ जाती है वह बाधा दूर हो जायगी। ग्राम सभा में उसकी एक डुप्लीकेट कापी रहने से बहुत हद तक करेप्शन कम हो जायगा। आजकल जो थानों में गड़बड़ी होती है वह भी नहीं हो पायेगी। दोनों जगह रिपोर्ट होने से बहुत झगड़े कम हो जायंगे और पुलिस को अपनी मनमानी करने का मौका नहीं रहेगा और पुलिस की शिकायत जो होती है उसका भी मौका बहुत कम हो जायगा, इस वास्ते ग्राम सभा में भी रिपोर्ट करने का अधिकार उनको दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि थानों के करेप्शन का कोई चेक नहीं है। जो इन्सपेक्टर है और जो १२ थानों के ऊपर रहता है वह मेरी राय में नहीं होना चाहिये और वह फजूल है। वह सिवाय अपने विभाग की तारीफ करने के और कुछ नहीं करता। जो शिकायत होती है उनको बचा दिया जाता है और अपने विभाग की ताईद की जाती है और निरीक्षण नहीं किया जाता है। जैसा कि उपाध्याय जी ने बतलाया कि यदि सरकार मुनासिब समझे तो निरीक्षण के लिये आई० जी० के पास या डी० आई० जी० के पास सूचना देने के लिये या वहीं जिले में सलाह देने के लिये कोई एक कमेटी नियुक्त कर दी जाय तो यह ज्यादा ठीक होगा। इससे वहां का निरीक्षण हो भी जायगा और कोई गड़बड़ी होगी तो उसका भी चेक हो जायगा।

अब जो यह पी० ए० सी० के जवान भेजे जाते हैं और जो रक्षा के लिये भेजे जाते हैं और जो डकैती को रोकने के लिये भेजे जाते हैं उसके लिये मैं, श्रीमन्, एक उदाहरण अपने यहां का देना चाहता हूं। उनका वह करेक्टर होता है जो फौज का होता है, उनको ऐसा कार्य करना चाहिये कि जनता को किसी तरह का शुबहा न हो, शंका न हो। मैं जिला जालौन की ही बात बता दूं। एक दिन तारीख ९-१-५५ की रात को ही दो डकैतियां पड़ीं और जहां वे डकैतियां पड़ीं वह इत्तफाक से मेरे ग्राम से थोड़ी ही दूर है। उस दिन वहां से केवल ३ मील की ही दूरी पर पी०ए०सी० की गार्ड पड़ी हुई थी। वह रोजाना गश्त करती थी लेकिन उस दिन गश्त नहीं किया। तारीख १२ को मैं उस गांव में गया जहां डकैती पड़ी थी। जब मैंने स्वयं जाकर पूछा तो लोगों ने सही-सही बातें बतलाईं लेकिन उन लोगों ने मारे डर के थानेदार साहब के सामने डकैती का नाम नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो रिपोर्ट ठीक नहीं लिखी जायगी। जो सच्ची बात होती है उसको वे लोग नहीं लिखना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि थोड़े से लोग आये थे चोरी करके भाग गये। मैंने कहा कि अगर एस० पी० साहब आयें इंक्वायरी करने के लिये तो उनको सही-सही रिपोर्ट लिखाना और जितना नुकसान हुआ है उसको लिखाना। इस प्रकार से थानों में सही रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। इससे मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को यह देखना चाहिये कि जो रिपोर्ट्स थाने में दर्ज होती हैं वे असल रिपोर्ट्स हों। अगर किसी एंक्वयारी में यह मालूम हो कि किसी ने ठीक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है तो उसको दंड दिया जाना चाहिये। जनता सहायता इसलिये नहीं देती है कि उसको इत्मीनान नहीं होता है कि उसको सरकार का सहयोग मिलेगा।

गांव में एक नौजवान ने चोरी की, वह रेड हैंडेड पकड़ा गया, मुकदमा दायर हुआ, वह एक विधवा का जेवर चुरा ले जा रहा था। थाने में ले देकर उसको तय कर लिया और अदालत से वह छूट गया। उसने वहां कह दिया कि इस औरत से मेरी पुरानी आशनाई थी, मैं आशनाई के लिये अन्दर गया था चोरी मैंने नहीं की। लोगों को चोरी करने पर भी अदालत दिन दहाड़े छोड़ देती है यही कारण है कि गांवों की आज व्यवस्था खराब हो रही है। जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि सत्ता प्राप्त लोग जैसे एम० एल० ए० हैं, उनको भी पुलिस का भय रहता है। इसीलिये डकैतियों का सुराग लगाने में लोगों से मदद नहीं मिलती है क्योंकि लोगों को भय रहता है। जब लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, भय नहीं रहेगा और पुलिस के कर्मचारी

उनका साथ देंगे तब तक सरकार को जनता से मदद नहीं मिल सकती। जैसा कि उपाध्याय जी ने विश्वास दिलाया मैं भी सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जितने भी एम० एल० ए० हैं वे सरकार को सही तरीके से मदद करने के लिये तैयार हैं लेकिन हमें यह न माना जाय कि अगर हम कांग्रेस दल के खिलाफ हैं तो ऐसी गलत चीजों को उभाड़ने और बयान करने में सहायता देंगे। अगर इस पर गौर किया जायगा तो हम विश्वास दिलाते हैं कि ला एन्ड आर्डर को कायम करने, और न्यायपूर्वक कार्य करने, जिनके लिये हम वचनवद्ध हैं, हम सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

*श्री सरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से माननीय सदस्य, अल्मोड़ा के भाषण को सुना। मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे मैं बहुत कुछ सहमत हूं। किन्तु इतना अवश्य निवेदन करना पड़ता है श्रीमन्, कि उन्होंने तस्वीर का केवल एक ही रुख सामने रखा और उसका असर यह है कि आज के इस भाषण से नहीं बल्कि वर्षों के भाषणों से जब कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, विरोधीदल के इस तरह के भाषणों का यह असर हुआ है कि हमने माननीय मुख्य मंत्री जैसे विद्वान् के भाषण में भी कंट्रेडिक्शन पाया है। मैं जो कुछ कहने वाला हूं मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी मुझसे सहमत होंगे क्योंकि उनके भाषण से उसका संकेत होता है। आजकल जितने माडर्न इंवेंशन हैं उनसे संसार का हर एक व्यक्ति लाभ उठा रहा है। आधुनिक आविष्कार कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनके जरिये चोरी और डकैतियों का भी पता लगाने में लाभ उठाया जा रहा है किन्तु पुलिस विभाग के पास कदाचित काफी रुपया न होने की वजह से हमारा पुलिस विभाग उन माडर्न आविष्कारों का पूरा-पूरा फायदा नहीं उठा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने संतोष प्रकट किया कि सन् ३४-३५ में जहां सारे बजट का १४ प्रतिशत पुलिस का बजट था, आज ८.६ प्रतिशत है। श्रीमन्, मुझे इससे संतोष नहीं है। वेलफेयर स्टेट में पुलिस पर क्या खर्च होना चाहिये इसके विवाद में मैं नहीं जाऊंगा और वेलफेयर स्टेट क्या चीज है इसके विवाद में भी मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मैं यह जानता हूं कि अगर वेलफेयर स्टेट का कोई आइडियल हो तो उस आइडियल के पीछे भाग कर अपनी सुरक्षा की स्थिति में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। मैं तो वह स्वप्न देख रहा हूं कि वेलफेयर स्टेट में रहते हुए ७ करोड़ ७६ लाख नहीं बल्कि १२ करोड़ और १५ करोड़ रुपया भी खर्च हो तो उसके लिये हम तैयार हैं। जो लोग विलायत गये हैं उन्होंने वहां की पुलिस की प्रशंसा की है। जो लोग विलायत की बात जानते हैं या पढ़ते हैं और वहां की पुलिस की प्रशंसा करते हैं, क्या थोड़ी देर के लिये उन्होंने समझा है कि पुलिस पर क्या व्यय है या वहां पर कितनी पुलिस हर व्यक्ति के ऊपर है? कंट्रेडिक्शन की बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। एक तरफ तो विलायत और यूरोप का नाम लेकर और वेलफेयर स्टेट की बात कह कर हमारे सामने नमूने रखे जाते हैं परन्तु जब पुलिस का बजट आता है तो कहा जाता है कि इस साल ७६ लाख रुपया बढ़ गया, या ५० लाख रुपया बढ़ गया। इसलिये यह वेलफेयर स्टेट नहीं रहा। श्रीमन्, इसका दोष मैं माननीय मुख्य मंत्री, चूंकि वे पुलिस के मंत्री हैं, उन पर नहीं देता, इसका पूरा-पूरा दोष मैं उस तरफ बैठने वाले (विरोधी) महानुभावों पर देता हूं। पुलिस काफी नहीं है और उसके लिये काफी हद तक रुपये की कमी है।

श्रीमन्, मैंने कल नौकरशाही के बारे में कुछ कहा, आज पुलिसशाही के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कोई भी देहात में काम करने वाला कायकर्त्ता नहीं है जो पुलिस की खराबियां हैं उनसे परिचित न हो, और मैं समझता हूं कि काफी हद तक माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि वे खराबियां दूर होनी चाहिये। श्रीमन्, मैंने यह देखा है कि नौकरशाही में तो काफी परिवर्तन हुआ है लेकिन पुलिसशाही में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। ऊपर के जो कर्म-

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

चारी हैं उनकी मनोवृत्ति में तो काफी परिवर्तन हुआ है लेकिन जहां नीचे दर्जे के पुलिस कर्मचारियों का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि उनकी मनोवृति में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। हां, गजटेड आफिसर्स की मनोवृत्ति में अवश्य परिवर्तन हुआ है लेकिन वहां हमने एक चीज पाई और शायद काफी हद तक स्वाभाविक है, किन्तु उस स्वाभाविक मनोवृत्ति को लेकर हम नहीं चल सकते हैं, हम तो देखते हैं यदि पुलिस विभाग में सुधार करना है तो हमको यह देखना होगा कि जो नीचे के पुलिस कर्मचारी हैं उनकी मनोवृति को बदला जाय। श्रीमन्, ऊपर के जो अफसर हैं उनकी प्रोटेक्टिव मेंटिलिटी है और वे अपने विभाग के कर्मचारियों को हर तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर नीचे के कर्मचारियों के खिलाफ कोई गलत बात कही जाय, कोई झूठ बात कही जाय तो उसका प्रोटेक्शन जरूर होना चाहिये लेकिन मेरा दुखद अनुभव है कि जो ऊपर के कर्मचारी हैं, जो गजटेड आफिसर हैं उनकी मनोवृत्तियह अवश्य है कि जहां तक हो सके वहां तक नीचे के कर्मचारियों के खिलाफ जो मामले आवें वे गलत साबित हों, या तो इंक्वायरी में ही देर होगी या इंक्वायरी की जायगी तो इतने दिनों बाद या इतना समय दे दिया जायगा कि उसमें नीचे के कर्मचारी अपनी इंक्वायरी को सभाल लें और उसका नतीजा बाद में यही निकलता है कि मामला झूठा था और वह नीचे के कर्मचारी दोषी नहीं थे। मैं समझता हूं कि शायद उनकी मनोवृति इस प्रकार की इस कारण से है क्योंकि वह समझते हैं कि अगर पुलिस के नीचे के कर्मचारी गलत और बदमाश साबित होंगे तो उससे विभाग की बदनामी होगी। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जो पुलिस मंत्री भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि किसी विभाग की बदनामी इस पर मुनहसिर नहीं है कि उसमें जो भ्रष्टाचार हो उसको दबाया जाय। अगर इस तरह का प्रयत्न होगा कि दोषों को दबाया जाय तो इसमें बदनामी और बढ़ेगी, यह कोई नेकनामी की बात नहीं है।

जब देहात की गरीब जनता इस तरह की बात को देखती है, उसका विश्वास उठता है और उसका संतोष टूट जाता है। इसलिए पुलिस विभाग की नेकनामी इसी में है कि जिसकी भी गलती हो चाहे ऊपर के कर्मचारियों की हो या नीचे के कार्मचारी की हो उसको छिपाना नहीं चाहिए और वह जिसको मैंने प्रोटेक्टिव मेंटेलिटी कहा वह न होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जहां तक नीचे के कर्मचारियों का प्रश्न है उनकी मनोवृत्ति में बहुत कम परिवर्तन है। देहात में काम करने वाला हर एक कर्मचारी जानता है कि हमारे नीचे दर्जे के कर्मचारी किस मनोवृत्तिसे काम करते हैं। एक चौकीदार से लेकर इंसपेक्टर तक किसी ने अब तक यह नहीं सीखा है कि हम जनता की सेवा और रक्षा के लिए भेजे गये हैं, यह मैं जानता हूं कि जनता की सेवा और रक्षा करना उनका धर्म है और जहां वह उनको करन पड़ती है वह करते भी हैं लेकिन वह उस मनोवृत्ति से नहीं करते जिससे उनको करनी चाहिए। अगर वह उस दिलचस्पी से कार्य करें और वह मनोवृत्ति रखें तो पुलिस विभाग का ढांचा ही बदल जायगा और मंत्री जी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वह कर भी कहां तक सकते हैं, कहां-कहां तक वह इंक्वायरी कर सकते हैं, किन-किन कर्मचारियों को वह देख सकते हैं, कितना समय वह लगा सकते हैं, कहां-कहां डिप्टी मिनिस्टर्स को वह भेज सकते हैं? इसलिए जब तक यह ढांचा और मनोवृत्ति नहीं बदलती तब तक कितनी ही इंक्वायरीज हों काम नहीं चल सकता। इसलिए फिर मैं बड़े जोर के साथ कहूंगा कि हमको इससे सन्तोष नहीं है कि पुलिस विभाग पर पैसा कम खर्च होता है। यह मैं मानता हूं कि अगर पैसा हो तो भी जो अन्य विभाग में खर्च होगा उसी अनुपात से पुलिस विभाग पर भी खर्च होगा लेकिन इस पर संतोष करना और गर्व करना कि हम ७ करोड़ रुपया पुलिस पर खर्च कर रहे हैं कुछ मुनासिब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस माडर्न इन्वेन्शन्स की आवश्यकता है उनके बगैर चोर, डाकू, बदमाश उठ रहे हैं और पैसे की कमी के कारण उन तरीकों को यहां इस्तेमाल नहीं किया जाता जिनसे आसानी से केसेज पकड़े जा सकें। हमें अपने राज्य की सुरक्षा, जनता की सेवा और प्रगति के लिये अपनी पुलिस पर जितना भी खर्च करना पड़े वह खुशी से करना चाहिए और बगैर हिचकिचाहट के अगर खर्च बढ़ता है तो उसे बढ़ाना चाहिए। ७ करोड़ कुछ लाख क्या अगर १०,१५ करोड़ भी सदन को पुलिस विभाग को देना पड़े तो वह देना चाहिए।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, साल भर के बाद यह मौका अपनी बात कहने का और गवर्नमेंट के कामों का जायजा लेने का मिलता है। जनाबवाला, अगर्चे इस बजट के मौके पर वक्त बहुत कम होता है और सिर्फ तबाआजमाई होती है और हम लोग ५-१० मिनट में अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाते हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर और पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ अर्ज करूं क्योंकि इन दोनों से हमारी जिन्दगी, हमारी सयासियात, हमारी जिन्दगी की हिफाजत, सभी वाबस्ता हैं और जिनके मुताल्लिक काफी खुल कर कहा जा सकता है कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने इस तरफ काफी ध्यान दिया है। इस थोड़े से वक्त में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि साल का बड़ा काफी हिस्सा अमनोअमान से बीता लेकिन इधर दो-तीन वाकयात साल के आखिरी हिस्से में ऐसे हो गये कि जिनकी वजह से काफी अफसोस होता है। लेकिन इस खामोशी और शान्ति के अन्दर भी कुछ वाकयात ऐसे हो जायं जो पूरे सूबे पर असरअन्दाज हो तो आपको उनको तवज्जह के साथ देखना है।

जनाबवाला, मैं जनाब पुलिस मिनिस्टर साहब से बाअदब अर्ज करूंगा और जल्दी-जल्दी में चन्द मिसालें दूंगा। अभी आजमगढ़ में दो महीने हुए एक छोटी सी बात पर बलवा हुआ जिसमें एक जान गई और ८ आदमी बुरी तरह से जख्मी हुए। लेकिन यह देखकर तसकीन हुई कि पुलिस जरा देर में ही सही मौके पर पहुंची। सुस्ती से काम किया लेकिन किया और उसको आगे बढ़ने से रोका। तो एक तरफ तो मैं उससे ज्यादा तवज्जह की जरूरत समझता हूं तो दूसरी तरफ मुझे हैरत होती है कि जब पारसाल पुलिस के मुताल्लिक बहुत ही सख्त अनदाज में तकरीरें हुई तो उन तनकीदों का पुलिस अफसरान पर क्या असर पड़ा है। मुश्किल यह होती है कि जब कोई बात कहने की हिम्मत भी की जाती है तो एक तबके का सवाल आ जाता है और फौरन ही यह ख्याल होता है कि मैं सब कुछ कहूं लेकिन जो एक खास तबका है जो कम्युनल तबका है और जो गलत फिजा पैदा कर देता है लेकिन मजबूरन इस वक्त अर्ज करना पड़ा है इसलिये कि दियानतदारी के साथ जब बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा है तो मैं इसको अर्ज कर रहा हूं।

अभी-अभी उरई जिला जालौन में एक फसाद हुआ। वहां दो शख्स उस सिलसिले में पकड़े गये और उस गिरफ्तारी से सब लोग खुश थे यहां तक कि आमतौर पर वह वह मुसलमान भी जो उसके साथ थे वे भी इन्तहाई खुश थे। लेकिन बावजूद इतनी खुशी और मसर्रत के चन्द घंटों के बाद ही ५० बेगुनाह जिन्होंने उनके पकड़े जाने पर इजहारे मसर्रत किया था वह लूटे जाने लगे और हैरतअंगेज बात तो यह हुई कि जब तक एस० पी० साहब नहीं पहुंचे थे यह समझा जा सकता था कि पुलिस सुपरिन्टेंडेंट नहीं थे लेकिन एस० पी० साहब वहां पहुंचने के बाद दरवाजे पर खड़े रहे उनके सामने बलवाई मकानों के अन्दर जाते थे और बाहर सामान लाकर फेंकते थे लेकिन वह इस वाकये को खड़े देखते रहे ठीक उसी तरह से जैसे किसी यतीमखाने का मैनेजर अपने यहां के किसी की इज्जत को लूटते देखता रहता हो। उन्होंने भी यह सब वाकया खड़े हो कर देखा। तो अगर यह ७ करोड़ क्या ८-१० करोड़ भी रुपया इस सूबे की हिफाजत के लिये देना पड़ता तो मैं बड़ी मसर्रत के साथ देता और कहता कि यह रुपया दिया जायगा क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता, लेकिन क्या यह रुपया इसलिये दिया जाय कि हमारी इज्जतें लूटी जायं? हमें यह देखना है कि हम ऐसे अफसरान, इन छोटे-छोटे मुलाजमीन को जो हमारी इज्जतों के साथ खेल करें उनके लिये हम यह रुपया खर्च करें। अब हमें यह देखना है कि यह जो पुलिस के अफसरान हैं वे हमारी इज्जतों के साथ इस तरह खेल करने का मौका न दें। गवर्नमेंट की खुली हुई पालिसी के खिलाफ चलना इनके बायें हाथ का काम है।

इसी तरह से मोहर्रम और दशहरे के मौके पर उतरौला में एक फसाद हुआ। मेरे पास खबर आयी। मैं वहां जाकर जो देखता हूं उससे मुझे बड़ी मसर्रत हुई कि वहां १५ मिनट भी नहीं लगे कि कम्युनल तबके के हिन्दू और कम्युनल तबके के मुसलमान भी बैठे और १५ मिनट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

भी न लगे होगें कि उन्होंने सुलह कर ली और मैंने जाकर खुद देखा कि एक-एक आदमी को उसका अफसोस था। मैंने खुद होम मिनिस्टर साहब से अर्ज किया तो उन्होंने भी कहा कि यह ठीक ही हुआ। लेकिन गवर्नमेंट की पासिली के मुताबिक जब वहां सुलह हो चुकी थी लेकिन मुझे अफसोस है कि वहां के पुलिस वालों को कमाने का मौका न मिला और बीसियों बार मुत्तफिका दरख्वास्त के बाद और गवर्नमेंट की मंशा मालूम होने के बाद भी हर तारीख पर पचास-पचास आदमी चालीस-चालीस मील दौड़ाये जाते हैं और जो वहां के एस० पी० साहब हैं, अब्दुल कबीर साहब और जो वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज साहब हैं हमें बहुत शक है उनकी वजह से आजतक वह सुलह नहीं होने पाई। तो क्या इन्हीं चीजों को बढ़ाने के लिये इस बजट में इतनी कसीर रकम रखी जाय ? अभी हमारे भाई ने कहा कि बहुत कम रकम है लेकिन मैं कहता हूं कि ८ और १० करोड़ क्या अगर सारे बजट की रकम को और सारी चीजों को मुअत्तल करके पुलिस को दे दी जाय तो भी क्या हो जायगा। जब तक पुलिस के कैरेक्टर को न चेंज करें और उसकी जिम्मेदारी हम पर है, जो यहां बैठे हुये हैं, जो गवर्नमेंट है उनकी है। हम तरकीब सोचें, अगर तरकीब नहीं सोच सकते हैं तो हमको इंकार करके छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा दिनों तक अवाम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी इज्जत और आबरू से इस तरह खेला जाय।

इलाहाबाद में एक गांव में एक वाकया हो गया था। त्रिभुवन एक शख्स था और उसने जज्बे में आकर एक सब-इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया और उसका हाथ कट गया। हमने उसे कंडम किया लेकिन हैरत तब हुई कि जब गुस्से में आकर पुलिस ने ५,७ घर कुचल कर फेंक दिए, जहां तक जुल्म का ताल्लुक है हम सख्ती में जर्रा बराबर भी मुलायम होने को तैयार नहीं। जब तक बलवा होता है पुलिस खड़ी तमाशा देखती है और खत्म हो जाता है तो बेगुनाह लोगों को पकड़ लेती है। इससे काफी बदनामी हो रही है।

होली और बकरीद के मौके पर गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाई गई। गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत सी हिदायतें जारी कर दी गई। उसके बार-बार यह कहने से कि हिदायतें जारी कर दी गई उसका इतना अच्छा असर पड़ता है कि जो थोड़ा बहुत अवाम गड़बड़ी करने वाला होता है वह नहीं करता लेकिन समझ में नहीं आता कि हिदायत जारी करने के बाद पुलिस के आफिसर्स पर जिले के अन्दर कोई असर नहीं पड़ता। मैं दरख्वास्त करूंगा और यह सजेशन रखूंगा कि जिस जिले के अन्दर कम्युनल फसाद हों या और तरह के फसाद हों वहां पुलिस को आप यह हिदायत दें कि सन् ४७ के बाद सूबे के अन्दर जो हालत पैदा हो गई है उसके अन्दर हम सुकून देखते हैं, हम गहराई के साथ चीजों को देखते हैं, अगर बलवा हुआ, गड़बड़ी हुई और इन्तजाम नहीं हो सका तो वहां के सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को हटा कर कान्सटेबिल बना दिया जायगा। क्योंकि हम ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर गड़बड़ी एक लमहें के लिये भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया गया और पूरे तौर से तदारुक नहीं हुआ तो मैं बतलाता हूं कि यहां बैठ कर आप तो महफूज हैं, यहां ऐवान के अन्दर जो चाहें आप सोचें लेकिन बाहर अवाम और दुनिया आप के खिलाफ होती जा रही है। हमें अवाम के अन्दर घुसने का मौका मिला है। हम देखते हैं जो गरीब लोग सिवा आपके किसी दूसरे को अपने अमनोअमान का जरिया और हिफाजत का जरिया नहीं समझते थे वह गरीब तबका गलत प्रोपोगेंडा करने वालों की गोद में बैठने लगा है। उसकी वजह पुलिस और खराब ऐडमिनिस्ट्रेशन है जिससे ये दिक्कतें और जिल्लतें उठानी पड़ रही हैं। लाल बत्ती हो गई है, दो तीन मिनट का वक्त और लूंगा।

श्री अध्यक्ष—एक मिनट रहा गया है। आपको अब एक मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—एक मिनट ही सही। कई बातों की मिसाल देना चाहता था लेकिन वक्त नहीं मिल सका। यह चाहता हूं कि अब जब असेम्बली खत्म हो, हाउस मुल्तवी हो, उस वक्त तक हिदायत जारी हो चुकी हों कि शहर या जिले के अन्दर अगर एस० पी० इस बात का खयाल नहीं रखेगा और अगर जरा भी गड़बड़ी हुई तो वह जिम्मेदार ठहराया जायगा और उसको सजा मिलेगी। उरई का वाकया बतला चुका, कई महीने हो चुके लेकिन

गिफ्तारियां नहीं हुईं। होम मिनिस्टर साहब सीधे-सीधे बुला कर पूछें कि कौन सी चीज तुम्हारे लिये रह गई थी। रुपया तुम्हारे पास है, मोटरें भी अंग्रेजी सरकार के जमाने से ज्यादा हैं, आदमी भी हैं और जब कि पहले छोटे-छोटे मामलों में जमीन से मुरदे खोद कर निकाल लेते थे तो अब क्या वजह हो गई है कि दो महीने हो गये लेकिन उस मामले पर कोई अमली कदम नहीं उठा?

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—श्रीमन्, आज अपने माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत पुलिस बजट के सिलसिले में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत बजट पर उनकी सराहना भी करता हूं। आज इस अवसर पर जब कि हम निर्माण के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं तो रक्षा का प्रश्न हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और विशेषकर हमारे प्रदेश में पुलिस व्यवस्था जो हमारी राह में हायल है, वह भी कुछ कम नहीं है। हम देखते हैं कि गांव में जब कोई डाका पड़ता है या कोई वारदात होती है तो उसका मुकाबिला हमारे गांव वाले करते हैं और उसकी इत्तला जब पुलिस को होती है तो दो या तीन या चार दिन के बाद वह वहां मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती भी है तो जो असलियत है, जो वाकयात हैं उनको वह जानने से महरूम रह जाती है और पुलिस के वे दलाल जो गांवों में घूमा करते हैं वह टट्टी बनकर सामने आ जाते हैं और इस तरह से उन बेचारों को फंसवाते हैं जिनका हाथ उस वारदात में न हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो पुलिस व्यवस्था देहातों में है वह इतनी काफी नहीं है कि हम अपने देहातों की रक्षा समुचित रूप से कर सकें आज हम देखते हैं कि १२ मील पर हमारे थाने बने हुए हैं और वहां पर जो पुलिस देहातों में रखी गयी है वह इतनी नाकाफी है कि मौका पड़ने पर वे हमारी सहायता भी नहीं कर पाते। तो इस संबंध में एक सुझाव यह रखूंगा कि जो पुलिस के व्यवस्था के संबंध में इंवेस्टीगेशन और प्रासीक्यूशन को अलग अलग कर दिया जाय और प्रोटेक्शन का महकमा अलग कर दिया जाय। जिस तरह से इस विभाग में सी० आई० डी० वगैरह अनेक प्रकार के विभाग हैं उसी प्रकार से प्रासीक्यूशन और इंवेस्टीगेशन भी कर दिया जाय और प्रोटेक्शन का विभाग अलग कर दिया जाय।

प्रोटेक्शन के विभाग में यह आवश्यकता है कि उसे हम छोटी छोटी टुकड़ियों में कम से कम पंचायती अदालतों के स्तर पर कायम कर दें और उन छोटी छोटी टुकड़ियों, जिनको कि हम पंचायत अदालती चौकी के नाम से पुकारें तो गलत न होगा, पर अपने प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा अपने गांव की रक्षा का प्रबन्ध करें। हमारे पास अस्लाह हैं, बन्दूकें हैं जिनको हम उन चौकियों पर रखकर गांव के प्रोटेक्शन की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं और इस पुलिस के हाथ में हम इंवेस्टीगेशन और प्रासीक्यूशन दे दें तो ठीक होगा। आज एक शिकायत है कि हमारे बहुत से थानेदार हैं जो थाना छोड़कर दिन में कचहरियों में घूमा करते हैं, कत्ल होता है तो थाने पर हेड मुहर्रिर रिपोर्ट भी नहीं लिखता है, इसलिये कि नमालूम वह रिपोर्ट कौन सी सूरत अख्तियार कर ले। तो वह थानेदार का इंतजार करता है ताकि उसकी मौजूदगी में वह रिपोर्ट लिखी जाय ताकि उसका इंवेस्टीगेशन ठीक तरीके से हो सके उस आधार पर। दूसरी बात आपने स्वयं भी अखबारों में पढ़ी होगी कि अधिकतर जो खबरें निकला करती हैं कि डकैत पकड़े गये तो उनमें ज्यादातर यह होता है कि जिले के या गांव के लोग उनको पकड़ा करते हैं, पुलिस वालों ने आज तक कोई डकैत नहीं पकड़ा और मैंने तो किसी खबर में नहीं पढ़ा कि पुलिस ने किसी डकैत को पकड़ा हो, तो जब गांव वालों में यह शक्ति आ रही है जब वह संगठित होकर डकैतों का मुकाबिला करते हैं .....

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण जलपान के बाद जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी कह रहा था कि जो पुलिस विभाग के कार्य हैं वे दो हिस्सों में विभाजित कर दिये जायं। एक प्रासीक्यूशन

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

और इंवेस्टीगेशन अलग कर दिया जाय और प्रोटेक्शन का विभाग अलग कर दिया जाय और उसके लिये हमने एक सुझाव दिया कि हर पंचायती अदालत केन्द्र पर एक रक्षा चौकी का निर्माण किया जाय इससे लाजिमी नतीजा यह निकलेगा कि कम से कम जो चौकीदारों के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं वह खत्म हो जायेंगी क्योंकि इस रक्षा चौकी के निर्माण में हमें चौकीदारों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ जो यह कहा गया कि फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट लिखाने में बड़ी दिक्कत होती है वह भी हमारे लिये सरल हो जायगी कि जो रक्षा चौकियां हैं उन्हीं पर यह इब्तदाई रिपोर्ट लिखी जायगी और जब वह रिपोर्ट इंनवेस्टिगेशन सेक्शन के पास जायगी तो उस सेक्शन के आफिसर्स पहुंच कर के वहां पर प्रोटेक्शन सेक्शन की मदद से इन्वेस्टीगेशन शुरू कर देगें और साथ ही यह भी शिकायत दूर हो जायगी कि जो थाने खाली पड़े रहते हैं और थानेदारान कचहिरयों में मशगूल रहते हैं और एक दिन के बजाय ४–४ दिन पड़े रहते हैं, तो यह भी खत्म हो जायगा और एक अच्छा संगठन हो जायगा। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सी बातें कही गयीं हमारे पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में। लेकिन जो मैं समझा कि शिकायतों की भरमार अवश्य थी लेकिन कोई सुझाव नहीं दिया गया। हम ने अपने माननीय उपाध्याय जी की स्पीच गौर से सुनी और माननीय वीरेन्द्र शाह जी की स्पीच सुनी, लेकिन कोई ऐसा सुझाव नहीं आया जिससे हम पुलिस की व्यवस्था के ऊपर नजर डालें और सुधार की भावना से उसकी आलोचना कर सकें। यह प्रश्न कुछ सरल प्रश्न तो है नहीं। जब हम देखते हैं कि जनता और पुलिस के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी है तो किस तरह से यह दीवार गिरा दी जाय, यह एक प्रश्न हमारे सामने है। तो प्रश्न के हर पहलू पर और नेचर आफ क्राइम पर ध्यान रखते हुए और पुलिस व्यवस्था को ध्यान में रख कर हमें ठंडे दिल से सोचना है कि कौन-सा कदम बढ़ाना चाहिये।

मैं एक सुझाव दूंगा और वह यह कि जब कि पुलिस मंत्री जी, उपमंत्री जी और हमारे बहुत से मंत्री तथा उपमंत्री हैं तो यह लोग इंटरवेल्स पर हर जिले का दौरा करके और आफिशियल्स और नान आफिशियल्स से सम्पर्क स्थापित करके जो पुलिस के विरुद्ध शिकायतें हों उनके दूर करने का प्रयास करें और इस प्रकार अगर रेगुलर फीचर बन जाय, अधिकारीगणों का दौरा होता रहे और पुलिस के बारे में उनको बराबर जानकारी होती रहे तो मुझे विश्वास है कि यह शिकायतें बहुत जल्द दूर हो जायंगी।

इसके अलावा एक और ऐसी बात है जो कही गई खर्चे के सम्बन्ध में। मैं तो यह समझता हूं कि जो सुझाव हमने दिये इनमें शायद कुछ खर्च ज्यादा पड़े। लेकिन यह कहना कि पुलिस विभाग पर ज्यादा खर्च हो रहा है लिहाजा यह पुलिस स्टेट होगी, मैं कभी इस बातको मानने वाला नहीं हूं। मैं यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश में समुचित रक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये खर्चा कुछ भी हो, और यही लक्ष्य है हमारा कि हम अपने प्रदेश में ला ऐन्ड आर्डर कायम रखें। तो जो भी कीमत हमको अदा करनी पड़ेगी हम अदा करेंगे। उसके माने यह नहीं हो सकते कि यह पुलिस स्टेट बन जायगी। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि जब हम निर्माण के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं तो जो पुलिस का विभाग हमारे रास्ते में रोड़ा बन रहा है उसकी वजह यह है, मैं मिसाल के तौर पर आपकी आज्ञा से कहता हूं कि जब हम किसी किसान के पास जाते हैं और यह कहते हैं कि चलो हमारे साथ श्रमदान करने के लिये तो वह भी कहता है कि भाई यह हम अपनी रक्षा का प्रबन्ध कैसे करें, तो वह इस डर से हमारा साथ नहीं देता। तो जो हमने सुझाव दिये हैं अगर इस प्रकार हमारे अधिकारीगण जनता से सम्पर्क स्थापित करते रहेंगे तो वह दीवार जो हमारे और पुलिस के बीच में है वह गिर जायगी और सही सही बातों की जानकारी उनको होगी और इस प्रकार से पुलिस व्यवस्था की जो शिकायतें हैं वह दूर हो जायंगी। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कहना नहीं चाहता।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फ़र्रुखाबाद)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, पुलिस का बजट आज से चन्द साल पहले जब इस भवन में पेश होता था तो हम यह देखा करते थे कि पुलिस के लिये जो रकम रखी जाती थी कहीं ज्यादा होती थी उससे जो दूसरे किसी नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट में रखी जाती थी। आमतौर पर तालीम से ज्यादा पुलिस पर बजट रखा जाता था। लेकिन आज हमें खुशी है यह बात देख कर कि तालीम का बजट पुलिस के बजट से ढाई करोड़ ज्यादा है। लेकिन इसके यह माने नहीं है कि हम यह चाहते हों कि हमारे सूबे का इन्तजाम चाहे कैसा भी हो, पुलिस के ऊपर से खर्च कम किया जाय। मैं तो उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि जहां तक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है पुलिस का डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है इसलिये कि अगर ला ऐन्ड आर्डर मेन्टेन नहीं होगा अमनोअमान कायम नहीं रहेगा तो सूबे के अन्दर किसी किस्म की भी तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती चाहे वह तालीम की तरक्की हो, चाहे किसी और भी चीज की हो। इस एतबार से अगर हम सूबे के अन्दर पुलिस के ऊपर कुछ रकम ज्यादा खर्च भी करें तो वह रकम हर तरीके से मुनासिब और सही है। लेकिन मैं समझता हूं कि उन लोगों को जो हमेशा यह एतराज किया करते थे कि यह पुलिस स्टेट है, उनको इस बात के इत्मीनान का एक अच्छा मौका है और वह इस बजट से एक सबक हासिल कर सकते हैं कि वाकई बजट हमारा एक वेलफेयर स्टेट की बुनियाद डाल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं एक वेलफेयर स्टेट बनाने की तरफ, इसलिए की पुलिस का खर्च बराबर कम होता जा रहा है और तालीम वगैरह के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं।

जनाबवाला, इस भवन को याद होगा कि कई साल पेश्तर भवन की और बाहर के कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम था पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी। उस कमेटी ने काफी अर्से तक काम किया और गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भी उसने दी थी और गवर्नमेंट ने उसकी कुछ सिफारिशों को इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन अब भी बहुत सी उसकी सिफारिशें ऐसी हैं कि उनको एम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। खास तौर पर मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि उन रिपोर्टों के अन्दर रूरल पुलिस का खास तौर पर जिक्र किया गया था। हमारे सूबे के अन्दर जो इन्तजाम देहाती पुलिस का है वह चौकीदारों के जरिये से है। वह चौकीदार गांवों में रखे जाते थे और उन्हीं चौकीदारों के ऊपर उन गांवों की निगरानी वगैरह और पुलिस को रिपोर्ट करने की सब चीजों की जिम्मेदारी उनके सिर पर होती थी। पुलिस के मुहकमे से जो चौकीदार को तनख्वाह दी जाती थी वह तकरीबन तीन रुपये थी। लेकिन अभी इसी गवर्नमेंट ने दो तीन साल हुये उनकी तनख्वाह कुछ बढ़ायी है और अब शायद ५ रुपया उन्हें मिलता है। लेकिन अभी भी यह बात सही है कि पांच रुपये की तनख्वाह इतनी काफी नहीं है कि इत्मीनान से एक शख्स अपने फर्ज की पूरे तरीके से पाबन्दी कर सके और उसकी अदायगी कर सके। उस कमेटी कि रिपोर्ट में यह भी बतलाया गया कि चौकीदारों के सिस्टम को खत्म किया जाय और उसकी जगह रूरल एरिया में रूरल पुलिस की किस्म की कोई चीज रखी जायगी। मैं समझता हूं कि अब वह वक्त आ गया है जब कि इस तरफ खासतौर से तवज्जेह दी जानी चाहिए। मैंने अभी एक प्रेस की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें यह था कि जितने चौकीदार सूबे में काम कर रहे हैं उनमें से भी शायद कुछ कम किये जायंगे। अव्वल तो मौजूदा जमाने में कई-कई गांव एक-एक चौकीदार के हैं और अगर इसमें भी कमी कर दी जायगी तो उसकी एफिश्येंसी पर बड़ा असर पड़ेगा। यह सही है कि चौकीदारों का जो इंस्टीट्यूशन है वह बहुत पुराना है और इसको बदलना जरूरी है। मगर जब तक पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता जो कि इनके मुताल्लिक हैं, तब तक चौकीदारों को कम करने का सवाल पैदा नहीं होता। जनाबवाला, देहाती मसलों के अन्दर जो एक खास मसला ला ऐंड आर्डर के सम्बन्ध में है, वह जरायम के रोकने का है। जहां तक डाकों का, राहजनी का और चोरियों का ताल्लुक है यह वाकया है कि हमारे सूबे में क्या, मल्क भर में और न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में जरायम की तादाद बढ़ती जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में भी कि यह वक्त आ गया है कि हम जहां और चीजों पर गौर करें और उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें वहां यह भी गौर करें कि असलाह के लाइसेंस को कहां तक आसान बना दें ताकि लोग अस्लाह अपने प्रोटेक्शन के लिये रख सकें। यह मसला इस हाउस में कई मरतबा उठाया गया, लेकिन उस वक्त एक फारेन गवर्नमेंट थी जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रही थी और उन्होंने किसी मसलहत की वजह से अस्लाह के मसले को उठाने के लिये सेंटर में हमारे सूबे की मांग को मंजूर नहीं होने दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस तरफ तवज्जेह करें।

जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो गैर जिम्मेदार हैं और जो नाजायज तौर पर अस्लाह रखते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। काफी तादाद उनकी है जिनके पास अस्लाह के लाइसेंस हैं। अब वह सिर्फ रह जाते हैं जो शरीफ हैं। न वह नाजायज अस्लाह रख सकते हैं और न मजबूरी की वजह से, उनके वसीले और जराये ऐसे नहीं हैं कि वह लाइसेंस हासिल कर सकें, वह नुकसान उठाते हैं। अगर हम कानून अस्लाह में कुछ रिलेक्शेसन कर सकें तो वह लोग अपने को मुसल्लह कर सकेंगे, जो कि भले और शरीफ लोग हैं लेकिन वह लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते हैं और न नाजायज अस्लाह रख सकते हैं। लोगों को लाइसेंस हासिल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बड़ी दुश्वारी होती है। उसमें बहुत जांच पड़ताल होती है। मेरी तजवीज यह है जिसके मुताल्लिक मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट गौर करे कि चाहे हम लाइसेंस रिवाल्वर और पिस्तौल पर रखें, लेकिन जहां तक बन्दूकों का ताल्लुक है जिनकी डकैतियों, चोरियों और क्राप प्रोटेक्शन में सख्त जरूरत है, उनके ऊपर से लाइसेंस उठा लिया जाय ताकि जो लोग देहातों में रहते हैं वह अपना प्रोटेक्शन कर सकें।

जनाब वाला, मैं जानता हूं कि आज कल के जमाने में पुलिस का वह हथियार जिसे डंडा कहा करते थे, खत्म हो चुका, और अगर नहीं हुआ है, जैसा कि मेरे बहुत से दोस्तों का ख्याल है कि अब भी करप्शन है और यह सही है, मैं उनकी बात मानता हूं, लेकिन सिर्फ यह कहने से कि पुलिस में करप्शन है और बुराइयां हैं, उसका इलाज नहीं हो सकता जब तक कि उसके लिये हम कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन पेश न करें। वाकई वह अब बहुत जंग आलूदा हो चुका है, वह आउट आफ डेट है, उसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। अब जरूरत इस बात की है कि हमारे पुलिस के अफसरान हिन्दुस्तान के बाहर इंगलिस्तान और दूसरे मुकामों पर जाकर साइंटिफिक स्टडीज हासिल करें। वहां वह नये नये तरीके जिनके जरिये आज इन्वेस्टीगेशन किया जा सकता है सीख सकेंगे और इससे सूबे को बहुत नफा पहुंचेगा।

जनाब वाला, जहां तक पुलिस को घोड़े देने का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक भी यहां काफी चर्चा हो चुकी। लेकिन पुलिस को अगर ज्यादा कारआमद बनाना है तो उसके अन्दर ज्यादा मोबिलिटी होनी चाहिये और वह इसी सूरत से हो सकती है कि उसके पास गांवों में और देहाती इलाके में तो घोड़े होने चाहिये और जहां तक शहरों और कस्बों का ताल्लुक है ऐसे मुकामात पर उनके पास जीप गाड़ियां होनी चाहिये जिससे वह इंवेस्टीगेशन आसानी से कर सकें और अपने फर्ज को सहूलियत से अंजाम दे सकें।

एक चीज की और जरूरत है कि हमारे जितने सुपरिंटेंडेंट पुलिस हैं उनको खास हिदायत होनी चाहिये कि वह ऐसे मुकामात पर बाहर दौरे पर जायं तो जो डिफेंस सोसाइटियां बाज जगह बनी हुई हैं और जो अच्छा काम कर रही हैं उनसे कंटेक्ट हासिल करें। उनकी मीटिंगें करायें जिसमें पुलिस के अफसरान भी हों और उनके अन्दर एक ऐसी स्पिरिट पैदा की जानी चाहिए, जिससे पुलिस और जनताके दरमियान हारमनी कायम हो सके और दोनों का काम ठीक चल सके। बदकिस्मती से पुलिस और पब्लिक के अन्दर एक बड़ी खाई रही है। यह बात सही है कि वह घटी है और घटती जा रही है, लेकिन फिर भी जरूरत है कि वह ज्यादा से ज्यादा एक

दूसरे के करीब रहें और उनको एक दूसरे के साथ काम करने में दिलचस्पी होनी चाहिये। मुझे यकीन है कि अगर इस तरफ तवज्जह की गई तो इससे पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो दूरी है वह दूर हो जायगी।

*श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने हमें काफी संतोष दिया कि पुलिस विभाग में जो कोई त्रुटि होती है उसके लिये अपराधियों को सजा दी जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो जेल में भेजने की परिपाटी चली आ रही है मैं इसे कोई सजा नहीं समझता हूं क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि पुलिस में सब इंसपेक्टर और इंसपेक्टर्स को रुपया कमाने की आदत पड़ जाती है और जल्दी से जल्दी रुपया कमाने की कोशिश करते हैं और एक दो साल में ही इतना रुपया कमा लेते हैं कि उनको फिर जेल हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूं कि यह कोई सजा नहीं है बल्कि किसी समय में जो पहले सजायें थीं जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब तक पश्चाताप न किया जाय तब तक कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। इसलिये मैं यह सुझाव देता हूं कि पुलिस वालों को ऐसी सजा देनी चाहिये जिससे उनको शर्म आये।

मेरे कुछ मित्रों ने यह भी सुझाव दिया है कि पुलिस के अफसरों का वेतन बढ़ा दिया जाय। मैं इसके विरोध में हूं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कह देना चाहता हूं कि सब-इंस्पेक्टर से ऊपर वाले अफसरों का वेतन बिलकुल न बढ़ाया जाय। हां, कांसटेबिलों का वेतन १०० रुपये से नीचे नहीं होना चाहिये और यह होना चाहिये कि कड़ाई से काम लिया जाय। जहां तक शिकायत की बात हो तो उसकी पूरे तौर से जांच होनी चाहिये और जो सजा मैंने बतायी उस तरह की सजा दी जाय तो सब कुछ रुक सकता है।

एक बात यह है कि पुलिस में रिपोर्ट करने की शिकायतें हैं और जो परेशानियां होती हैं वह किस तरह से दूर की जांय। मैं समझता हूं कि पुलिस के हर थाने में कम से कम दो थानेदार होते हैं इसलिए एक तो वहां पर रहना चाहिये और दूसरे कोदौरे पर रहना चाहिये और उसके साथ कुछ पुलिस के सिपाही हों और अधिक से अधिक एक हल्के में १०० गांव से अधिक नहीं होते हैं इसलिए, मैं समझता हूं कि हर तीसरे महीने में सब-इंसपेक्टर गांव के कुछ आदमियों को लेकर दौरा पूरा करे और जो लोगों की शिकायती दरख्वास्तें हों, वहीं पर गांव सभा के द्वारा ली जांय तो वह झंझट भी खत्म हो जायगा। जो चौकीदार की शिकायतें हों उनकी जांच सब-इंसपेक्टर गांव के प्रधान के द्वारा स्वयं करे। इस प्रकार जब एक दरोगा अपने पूरे हल्के में घूम आये तो दूसरा दरोगा अपने हल्के का दौरा करने के लिये निकले और इस तरह से थाने में जो रिपोर्ट तथा रिश्वत वगैरह की शिकायतें होंगी वह खत्म हो जायंगी। यदि कोई इमर्जेन्सी होगी तो थाने में जो सब-इंसपेक्टर होगा वह जा सकता है।

मैं समझता हूं कि बहुत सी व्यवस्था ऐसी हैं जिनके लिये लाचारी है। उनको न तो आई० जी० कर सकते हैं और न चीफ मिनिस्टर ही कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के सभी एम० एल० एज०आई० जी०, के पास गये और हमने उनके सामने शिकायतें रखीं। लेकिन मुझे अफसोस है कि ४-५ महीने हो गये लेकिन पता नहीं कि क्या हुआ। हां, मैंने यह सुना है कि वह सब शिकायतें उन्हीं सब-इंसपेक्टरों के पास भेज दी गई हैं जिनके खिलाफ हमारी शिकायतें थीं और उन्होंने लिख दिया है कि यह सब झूठ है। इसके माने यह हैं कि सब एम० एल० एज० हमारे जिले के झूठे हैं और सब-इंसपेक्टर तथा कांसटेबिल्स सच्चे हैं। इस लिये हमारी सरकार को इस सम्बन्ध में अपना रवैया बदल देना चाहिये। आजकल जिस प्रकार की सजायें होती हैं वह न दी जाकर और तरह की सजायें दी जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीचन्द्र]

इसके संबंध में मैं यह सुझाव देता हूं कि जिले के तीन अफसरों को लिया जाय। एक कलेक्टर हो, दूसरा एस० पी० हो और तीसरा सिंचाई विभाग का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो और उस जिले के सब लेजिस्लेटर्स हों और दो चार प्रतिष्ठित सज्जन उस जिले के हों। जो शिकायतें हों वह उस कमेटी में पेश की जायं और यह कमेटी उन पर विचार करे। परन्तु इस कमेटी में किसी प्रकार की गवाही वगैरह की या वकील की जरूरत न हो, बल्कि जिसके खिलाफ शिकायत हो उसको सुन लिया जाय और उस विभाग का जो बड़े से बड़ा अफसर हो उसको बुलाकर बात कर ली जाय और जो कुछ करना हो वह तुरन्त वहीं कर दिया जाय। यह नहीं की रिपोर्ट आगे भेजी जाय इस सम्बन्ध में जितने कानून हैं वे बाधक होते हैं। इसके लिये एक बिल अलग से बना दिया जाय और वह इंडिपेंडेंट बिल होना चाहिये, जिसके ऊपर अन्य किसी बिल का कोई प्रभाव न हो, अन्यथा जो कार्य हम करते हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं और हमारे जितने वकील साहबान हैं—मुझे माफ करेंगे—उनका काम आगे चल कर खूब बनता है। इस लिये मेरा तो पहले यह ख्याल है कि कोई वकील लेजिस्लेटर नहीं होना चाहिये और अगर वे इत्तफाक से आते भी हैं मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपना यह भाव रखें कि जिस समय बिल बने तो असली भाव को दूर न होने दें। यह न हो कि शब्दों के हेर फेर से असली भाव तो जाता रहे और केवल शब्द ही रह जायं।

एक निवेदन मैं आपसे और कर देना चाहता हूं कि जो समस्त बजट में हर विभाग में मैंने देखा और जैसा कि मैंने और दिन कहा था कि बचत का बजट मैंने तैयार कर लिया है, आप की सेवा में पेश करूंगा, उसमें १८ करोड़ २ लाख रुपये की बचत है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा अफसर हो या कोई भी मेरे पूज्यनीय मिनिस्टर साहबान में से हों, अगर कोई उसमें कमी बतला दें कि यह बेजा तरीके से है तो मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि १८ करोड़ २ लाख रुपया कम किया जा सकता है। इस बजट के अन्दर १ करोड़ ८० लाख रुपया सिर्फ यात्रिक भत्ते का है। आप देखेंगे कि यात्रिक भत्ता इस प्रकार से बनता है जैसे जुलाहे की शटल काक कि जिधर चाहा उधर फेंक दिया। अगर एक सज्जन लखनऊ से जाते हैं मुजफ्फरनगर तो दूसरे रोज सहारनपुर फिर बिजनौर। ऐसा प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता कि कोई भी अफसर किसी विभाग का हो वह एक तरफ से चलकर वृत्ताकार वे में अपने हल्के का दौरा करे, जिससे खर्च भी कम हो और काम भी अधिक से अधिक हो जाय। इस तरीके से मैं डरते डरते कहता हूं कि जो ५ करोड़ रुपया समस्त बजट में प्रदान किया जा रहा है, उसमें मुश्किल से १ करोड़ खर्च होगा और अधिक से अधिक काम हो जायगा। इस सम्बन्ध में जो भत्ते के पुराने रूल्स हैं उनको छोड़ कर हम निजी रूल्स बना कर उन पर चलने लगे हैं। आप सब जानते हैं, अंग्रेजों के समय में जो अफसर दौरे पर जाया करते थे वे अपने घरों पर ताला लगा दिया करते थे, प्रायः बच्चों को भी साथ रखते थे। जब किसी गांव में पहुंचते थे तो दस दस, पन्द्रह पन्द्रह मील तक के लोग कहा करते थे कि अफसर आये हैं, हम उनसे अपनी बात कहेंगे। अब क्या कोई भी डिप्टी कलेक्टर या पुलिस का कोई भी अफसर इस तरीके से दौरा करता है। अब तो दौरे इसलिये करते हैं कि कुछ खाने पीने का सामान मिले। दावत उड़ाई और वहां से रफूचक्कर हो गये। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि एक बुरी चीज होगी, मेरे कई मित्र बहुत दूर तक अपने वहां से सिर्फ दावत खाने गये और फौरन लखनऊ आ गये। क्या दावत खाने के लिये इतनी दूर जाना पड़ता है। हमारे मित्रों, सरकारी अफसरों के हाथ में हमारी सरकार की बागडोर है। आप अगर अपना कर्त्तव्य समझते हैं और अपने देश को बचाना चाहते हैं तो यह जिम्मेदारी एम० एल० एज० और मिनिस्टर साहबान की, सबकी है, यह पूरे तरीके से आपकी जिम्मेदारी है। हम तो आप लोगों के सेवक हैं, सेवा करना चाहते हैं, परन्तु इसी तरीके से सेवा भाव आप भी रखिये। जब तक उसके अन्दर सेवा भाव नहीं आयेगा उनको यह खयाल रहेगा कि हम आफिसर हैं और इस देश में अफसर के मायने यह हैं कि आतंक फैलाने वाला और डर दिखाने वाला तब तक हमारा देश आगे बढ़ने में कठिनाई का अनुभव करेगा। विदेशों में अफसर के मायने यह समझे जाते हैं कि सेवा करने

वाला और दूसरे को ठीक रास्ता दिखाने वाला। यहां पर अंग्रेजों के जमाने से अफसर के यह मायने हैं कि बड़ा भारी आतंक दिखाने वाला और तब से उनका एक आतंक जमा हुआ है वह आतंक तभी दूर हो सकता है जब वह सेवा करने के लिये जनता में जायं और उनसे मिल कर रहा जाय।

श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट की मांग को पेश करते हुये माननीय मुख्य मंत्री ने इस हाउस पर एक जादू फेंका है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस हाउस के सदस्यों पर वह जादू असर नहीं करेगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी तक वह सदस्य जो जनता के असली प्रतिनिधि हैं, उधर बैठे हैं वह अभी तक बोले नहीं हैं। जब बोलेंगे तो आप ही प्रगट हो जायगा। मैं जानता हूं कि अधिक तादाद में आप में ऐसे हैं जो विरदावली करने वाले हैं। अगर महीलाल जी जैसे और विकल जी जैसे सदस्यों ने गांवों में जाकर पुलिस के कारनामों को देखा होगा तो वे बतायेंगे और उससे आपकी आँखें खुल जायंगी कि आपके जादू का असर हुआ है या नहीं। मुझे विश्वास है कि वह जादू असर नहीं करेगा।

इस वर्ष के बजट में पारसाल से ५४, ६७ हजार रुपये की वृद्धि हुई है, क्यों न वह वृद्धि हो? जब डकैती में वृद्धि हुई, जब अनाचार में वृद्धि हुई, जब चोरी में वृद्धि हुई और पुलिस के थानों में व्यभिचार की वृद्धि होती है तो कुछ पुरस्कार के रूप में इस रुपये में भी वृद्धि तो करनी ही चाहिये। तो उसी वजह से इसमें वृद्धि हुई है। बहुत बड़ा पोथा मेरे पास है उसको सुनाने में ७ मिनट कहां तक काम देंगे। खैरअपनी पुलिस का भी कुछ गुणगान करना ही चाहिये।

मैं एक छोटे से जिले आजमगढ़ में रहता हूं उसमें २४ थाने हैं। बहुत हाल तो मैं बता नहीं सकता। थोड़ा बहुत मऊ थाने का हाल आपको बतलाऊंगा। वहां पर जो कांड हुआ है उसके बारे में यहां बहुत बहस होती है और आप सभी लोग उस कांड को जानते हैं, लेकिन मैं उसी थाने की कुछ दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। मऊ क्षेत्र से मऊ कस्बे के रहने वाले श्री श्रीनाथ एम० एल० ए० यहां पर आये हैं। उनका एक पत्र मेरे पास मौजूद है जिसमें उनके दस्तखत भी हैं। उन्होंने उस पत्र को अखबार में दिया है। उन्होंने उसमें लिखा है कि बरलाई ग्राम में मऊ पुलिस ने कुछ नया कांड किया है, मऊ की मुरदा कांग्रेस कमेटी इस बात की कोशिश करती रही है कि वहां के किसानों को न्याय मिले लेकिन मऊ की पुलिस की उद्दंडता कम न कर सकी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि अराजकता अगर कोई कहता है तो उसके वे मानने के लिये तैयार नहीं हैं। श्रीनाथ जी कहते हैं कि "अराजकता है।" यह 'आज' नाम का अखबार है इसमें श्रीनाथ जी लिखते हैं कि "अराजकता बढ़ती चली जाती है।" आगे वह लिखते हैं कि अभी ५,६ दिन की घटना है कि इटौरा ग्राम में एक वेश्या के यहां डाका पड़ा और डाकू लोग बुरी तरह उसको लूट ले गये। उससे ४ फर्लांग के फासले पर पुलिस पड़ी हुई थी पुलिस ने किसी डाकू को तो मारा नहीं, हां, एक घर वाला जो डाकुओं का पीछा कर रहा था उसको मारा।

दूसरी जगह एक और डकैती पड़ी मनियार गांव में, मनियार गांव की डकैती में डकैतों का गिरोह भागा और भागते में पुलिस की छड़ी और टोपी पीछे गिरी हुई मिली। अब बताइये कि यह अराजकता है या नहीं?

एक प्रश्न के उत्तर में श्री चतुर्भुज शर्मा ने कहा था, राम सुन्दर पांडेय जी ने प्रश्न किया था, उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि फलां जगह टेस्ट वर्क पर रुपया नहीं जा सकता। पुलिस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अराजकता नहीं है और माननीय चतुर्भुज शर्मा, जो उपमंत्री हैं वे कहते हैं कि अराजकता है। वे अपने में ही तय करें कि अराजकता है या नहीं।

[श्री उमा शंकर]

बरलाई गांव के किसानों ने मंत्री जी के यहां हाजिर होकर दरख्वास्त पेश की । अगर उसको कुल पढ़ूं तो मुश्किल हो जायगी । राधे नाम के एक व्यक्ति हैं वे खुद पुलिस मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त दे गये और खून से लथपथ हो कर दे गये । आश्वासन दिया गया कि कार्यवाही होगी, घबराओ नहीं । वह वहां आज तक इंतजार कर रहा है कि कार्यवाही होगी । पुलिस के मऊ कांड के बारे में सब लोगों ने सुना ही है । इस हाउस में बहुत चर्चा हुई लेकिन उसके बाद भी ३० हजार रुपये की चोरी वहां हो गयी । उसके बाद एक आदमी है निर्मल यादव । मऊ के सब-इंस्पेक्टर साहब जिस घर में रहते हैं घर नर्वदेश्वर राय का है । थानेदार साहब को लेकर वह निर्मल यादव के घर गये और उसको पीटा । क्योंकि एक खेत का मुकदमा चल रहा था । काश्तकार ने कहा कि यह मेरी काश्त में है । तहसीलदार हाकिम के सामने नर्वदेश्वर ने स्वीकार किया था कि यह खेत मेरा नहीं है लेकिन माननीय सम्पूर्णानन्द के लाड़ले मुरारी मोहन थाने दार ने जो बनारस के रहने वाले हैं जब मऊ थाने पर पहुंचे तब नर्वदेश्वर को ले जाकर कहा कि यह खेत उनका है और उस काश्तकार को खूब रगड़ा और कहा कि खेत छोड़ो । अब वह दौड़ दौड़ कर कांग्रेस कमेटी में सिजदा कर रहा है, श्रीनाथ जी चिल्ला रहे हैं कि वहां अराजकता है । लेकिन यहां कोई सुनने वाला नहीं है ।

दूसरी ओर की जरा बात सुनिये, आजमगढ़ में महराज गंज एक थाना है । चैत और क्वार के महीने में वहां की पुलिस का यही कार्य है कि वह गरीब काश्तकारों के खेतों को कटवाये । जमींदारों के हक में कटवाती है, और उसमें से हिस्सा लेती है । उसकी एक नहीं बीसों दरख्वास्तें पुलिस मंत्री जी को दी गयीं । इन सब बातों से कभी भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि इसका सम्बन्ध उनसे नहीं है । यह मुजरिम गवर्नमेंट है, इसमें किसी को शुबहा नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस विधान सभा के सदस्य जो लाखों आदमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार को लिखते लिखते थक जाते हैं मगर अपने नियत किये हुये जालिम पुलिस कर्मचारियों को ही वह सही समझती है ।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने पुलिस बजट के सिलसिले में मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज सारे प्रान्त में पुलिस का नंगा नाच हो रहा है, गरीब जनता को पीसा जा रहा है । कहीं भी शान्ति और व्यवस्था नहीं की जा सकती । हमारे जिले में एक स्थान घनघटा है वहां पर चमारों के खेत कटवा दिये गये और वहां के सब-इंस्पेक्टर ने जो वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी का रिश्तेदार है उसने यह कराया । दूसरी बात यह है । हमारे मुजफ्फर भाई और कृपा शंकर जी ने एक थानेदार के खिलाफ शिकायत की । लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई । बहुत से ऐसे सब-इंस्पेक्टर हैं और भी बहुत से पुलिस के लोग हैं जो ईमानदार हैं लेकिन आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है ।

गोरखपुर की एक मिसाल मुझे मालूम है कि एक मिलिटरी अफसर और उसके कुछ आदमी सिनेमा में आकर बदमाशी करने लगे, इस पर कोतवाल ने उनको चेक किया लेकिन उस कोतवाल को वहां से हटा दिया जिसने गोरखपुर के तमाम करप्शन को बन्द किया । मैं कह सकता हूं कि सारे करप्शन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है और मैं जानता हूं कि जब तक करप्शन दूर नहीं होगा आप पुलिस का कुछ नहीं कर सकते हैं । यहां पर छोटे-छोटे कांस्टेबिलों की शिकायत की जाती है लेकिन आप उनको देते ही क्या हैं ? उनको ३० रु० तनख्वाह और २० रु० महंगाई मिलती है और वे मजबूरी की हालत में रिश्वत लेते हैं । ऊपर के अफसर लोग भी रिश्वत लेते हैं, डी० आई० जी० भी रिश्वत लेते हैं । मैं जानता हूं कि बनारस तक चीनी और चावल भेजा जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर रिश्वतें नहीं लेते तो इन कोतवालों के पास मोटर साइकिल कहां से आती है । ये मेम्बर लोग जो २०० रुपया पाते हैं इनमें से कोई मोटर साइकिल नहीं रखता है ।

कहा जाता है कि इसकी जांच होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि अगर करप्शन दूर करना हो तो उसके दूर करने में २४ घंटे से अधिक समय नहीं लग सकता है। अगर किसी को यह मालूम हो जाय कि अगर करप्शन दूर नहीं होगा तो हम यहां नहीं रखे जायंगे तो आप समझ लीजिये कि उसी वक्त करप्शन दूर हो जायगा। मुझे मालूम है कि हमारे जिले में एक कलेक्टर खरेघाट नाम के थे जिन्होंने वहां से करप्शन का नाम निशान मिटा दिया था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रिश्वत ले सके। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे एम० एल० एज० रास्ते में पिटते हैं। रामपुर के बारे में पुलिस मिनिस्टर साहब को मालूम ही है कि एक पुलिस वाले की इतनी हिम्मत हुई कि उसने एक व्यक्ति को अदालत के सामने ही पकड़ कर बन्द कर दिया। वहां के एम० एल० ए० भी मौजूद थे। मैं कहना चाहता हूं कि आज कल हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जनता जनार्दन में इज्जत हो और करप्शन दूर हो तो फौरन रिशफलिंग शुरू कर दीजिये, फिर देखिये कि किस तरह से करप्शन दूर हो जाता है।

सबसे बड़ी गलती स्वराज्य मिलने के बाद सन् ४७ में यह हुई थी कि जो थानेदार था उसको एस० पी० बना दिया, जो असिस्टेन्ट एस० पी० था उसको डी० आई० जी० बना दिया गया। आज इस राज्य में पुलिस विभाग में पूर्ण रूप से असंतोष है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से आपने ५,६ आदमियों के ऊपर ठीक समझ कर अपने आई० जी० को बना दिया उसी तरह से जो सब-इंस्पेक्टर योग्य हों उनको तरक्की देकर ऊपर बढ़ाना चाहिये। यह बात मैं कह सकता हूं कि जो ऊपर से डाइरेक्ट एस० पी० आदि आते हैं वे योग्य और ईमानदार होते हैं और जो नीचे से ऊपर जाते हैं उनके अन्दर तो वही करप्शन की हवा लगी रहती है। इस लिये आज जरूरत इस बात की है कि योग्य और ईमानदार आदमियों को बढ़ावा दिया जाय। आज हालत यह है कि हम एम० एल० एज० की कोई कीमत नहीं है, हमारी कोई सुनवाई कहीं पर नहीं है। आज जो अफसर लोग हैं हमारी मखौल उड़ाते हैं और कहते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो क्या? तो मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हर मेम्बर की इज्जत की जाय और मैं तो यह कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिये कि वह एलान करदे कि एम० एल० एज० जो भी बात कहेंगे उससे वह एग्री करेगी, उनकी बातों का विश्वास किया जायगा। बिना उनका विश्वास किये हुये गवर्नमेंट का काम चल नहीं सकता है।

कहा गया है कि—"जाकी धन धरती हरे, ताहि न लीजै संग, जो संग राखे ही बने, तो करि राखि अपंग" जो पुरानी रिजीम में नौकर थे वे ही आज गड़बड़ी कर रहे हैं इस लिये आपको चाहिये कि उनसे अपने विभाग को साफ कीजिये मैं फिर कहता हूं कि जो डाइरेक्ट रूप से एस० पी० आते हैं वे बढ़िया काम करते हैं। हमारे यहां के जो एस० पी० हैं वे बहुत बढ़िया काम करते हैं। उसके मारे सारे लोग कांपते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो छोटे छोटे सिपाही हैं उनकी तनख्वाह कम है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिये।

आपने जो ४ रुपए पुलिस कांस्टेबिल के बढ़ाये हैं उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन इतना कहकर मैं समाप्त करूंगा और सरकार से जोर से कहना चाहता हूं कि जब तक पुलिस विभाग मानसिंह को जेल खाने में नहीं भेज सकता है तब तक मैं समझता हूं कि वह एक खिलवाड़ है और सारा इन्तजाम फेल है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि न मालूम उसको किस तरह से सिपाहियों की बन्दूकें मिल जाती हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि वह कहां से आती है, किस तरह से वहां रिश्वत चल रही है और किस तरह से लोग एक दूसरे का गला घोंट रहे हैं,। हिन्दू मुसलमान, चमार पासी सब एक हैं और किस तरह से भाई भतीजे का गला काट रहा है और कोई देश का कल्याण नहीं सोचता है। हर आदमी पुलिस वालों को बुरा कहता है कि वह बेईमानी करते हैं और ईमानदारी से काम नहीं लेते। जब तक देश का हर आदमी ईमानदार नहीं हो जाता और दिल व जान से देश की रक्षा नहीं करता और जनता का सेवक अपने को नहीं समझता तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, अब तक इस बजट के अवसर पर हर विभाग के विषय में जो समालोचनायें होती रहीं हैं उसका जो थोड़ा सा अनुभव इस भवन का या अन्य जगहों का मुझे है उससे पता चलता है कि हर विभाग के लिए काफी जोशोखरोश के साथ जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों की ओर से समालोचनायें होती हैं और कभी कभी उनकी तारीफ भी होती है ; लेकिन पुलिस विभाग के बारे में ५–६ साल से मेरा निजी अनुभव बजट के मौके पर ऐसा रहा है कि इस विभाग के लिए सारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने एक स्वर से एक ही रास्ता अपनाया। सब लोगों ने अपने जोशोखरोश का पारा बहुत ही ऊंचा रखा। पता नहीं इस विभाग की इतनी अलोचना लोगों की ओर से क्यों की जाती है। एक जगह की बात हो तो समझा जा सकता है किसी खास जगह के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कोई कान्सपेरेंसी करके इस तरह की शिकायतें पुलिस के खिलाफ करते हैं और यह बात ठीक ही समझी जा सकती है, लेकिन जब ५२-५३ जिलों के प्रतिनिधि जो इतनी दूरी में बसे हुए हैं उनकी कोई ऐसी कान्सपेरेंसी नजर नहीं आती कि वह एक जगह बैठ कर ऐसा इरादा करें कि जब पुलिस का बजट पेश हो तो एक ही तरह की शिकायतें सूबे के कोने कोने के प्रतिनिधि उठावें। यदि ऐसी बात है तो पुलिस के अधिकारियों को और राजनैतिक सत्ता को हाथ में रखने वाले व्यक्तियों को इस पर गम्भीरता से विचार करके काम करना चाहिए। हमारे पास अगर कुछ सजेशन्स न हों तो इसके माने यह कदापि नहीं है कि विभाग में गड़बड़ी नहीं है। अगर आलोचना होती है तो उनके अनुसार सुधार का भी कार्य सरकार की ओर से होना चाहिये। मैंने जो पुलिस विभाग की ५,६ साल की समालोचना का जिक्र किया कि उन सारे अवसरों पर किसी भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसी समालोचना करते हुए नहीं सुना कि जिसमें पुलिस विभाग की तारीफ की गई हो। हर आदमी जब बोलने खड़ा हुआ तो उसने पुलिस के खिलाफ ऐसी चीजें सुनाई जो अराजकता को फैलाने वाली हो सकती हैं।

मैं इस बारे में कुछ सुझाव तो नहीं देता, लेकिन एक चीज सदन के सामने रखना चाहता हूं और यह है कि सारी गड़बड़ियां किस वजह से हो रही हैं। यदि सरकार चाहे तो इस तमाम गड़बड़ी को सरकार ही एक तरह से दूर कर सकती है। यहां भवन में पुलिस के बारे में दो रायें हैं। एक तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का यह दावा है कि उन लोगों की जो शिकायतें पुलिस के खिलाफ हैं वह ठीक हैं और दूसरी ओर सरकार के पास पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट है वह इसके बरअक्स है और इसलिये सरकार यह कहती है कि नहीं, हमारे पुलिस के अधिकारी जो रिपोर्ट भेजते हैं वह ठीक है। इसी कशमकश में बहुत से झगड़े हैं और इसी मसले को लेकर ये सारे झगड़े चलते हैं। इस लिये यदि सरकार यह समझती हो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सारी गड़बड़ी के कारण हैं तो इसके बारे में मेरा संकेत है कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को किसी न किसी प्रकार से ६ महीने के लिये एक्सपेरिमेंट करने के लिये ही सही, इस सूबे से कहीं बाहर हटा दिया जाय और यदि इनको हटाने की गुंजाइश न हो तो ये लोग जेल के बड़े आदी भी हैं, ६ महीनों के लिये इन सब को जेलों में बन्द कर दिया जाय और फिर पुलिस की रिपोर्ट को देखा जाय कि पुलिस का दोष इसमें है या नहीं और पुलिस ठिकाने से कार्य करती है या नहीं। जनता पुलिस की इस प्रकार की शिकायत करती है या नहीं, तब सरकार को पता लगेगा कि यह पुलिस की रिपोर्ट गलत है या सही। मैं जानता हूं कि सरकार यदि यह कहे कि सारे झगड़ों की जड़ सरकार नहीं है तो कोई भी यह मानने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि सरकार या तो हम लोगों को बुलाकर यह आदेश दे दे कि आप लोग कुछ भी शिकायत न करेंगे और यदि करेंगे तो हम गलत समझेंगे और मेहरबानी करके आप लोग पुलिस के कारनामों में अपने हाथ न घुसेड़िये। तो हम लोग भी न बोलते। हम भी दोस्त बनाना जानते हैं। हमारे इसी सदन में जनता के चुने हुये बीसियों प्रतिनिधियों ने इस बात की शिकायत की है कि यदि हम पुलिस की शिकायत करते हैं तो किसी न किसी बहाने हम पुलिस के कानून के शिकार बनाये जाते हैं। इसको भी हमें सुनना पड़ता है। सरकार अपने ही जिम्मे पुलिस को दोस्त बनाने की क्यों कारीगरी रखती है? हम लोगों को भी वे हिकमतें मालूम हैं कि किस तरह से पुलिस से दोस्ती की जाती है, हम भी पुलिस की तारीफ करते, उनके गुडबुक्स में हो जाते और दूसरे सजा पाते

और ठाठ से हम आनन्द करते। आपने हमें इस बात का संकेत नहीं दिया कि आप लोग पुलिस के कारनामों में हाथ न डालिये। अगर यह मालूम हो जाता तो हम लोग भी अपना हाथ खींच लेते। लेकिन वह हुआ नहीं और जो बात सही होती है वह हम कहने के लिये तैयार हो जाते हैं इस लिये मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सारे झगड़े की जड़ आप हैं और आपकी सरकार है। चूंकि आपने अपना इरादा हम लोगों को ठीक-ठीक नहीं बतलाया कि आपके सामने जो पुलिस की रिपोर्ट है वह ठीक है और यह जनता के चुने प्रतिनिधियों की शिकायत ठीक नहीं है, यही वजह है कि आज पुलिस विभाग में इतनी गड़बड़ी है और इस तरह की आलोचनायें ठीक ही की जाती हैं।

दूसरी बात आपसे एक प्रार्थना मैंने शुरू में की थी कि हमारे पास यदि सजेशन न हों तब भी इसलिये कि शिकायतें यदि सदन के हर कोने से आती हों तो उसको आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि हवा किधर जा रही है और वाकयात कहां तक आगे बढ़ रहे हैं और जनता के प्रतिनिधि जब बिगड़े हुए कारनामों को आपके सामने रखें और आपके यहां से शिकायतें ठीक न हों तो जनता पर उसका क्या असर पड़ेगा। आप हमसे तो जनता के कंट्रैक्ट करने को, उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिये, मेल जोल रखने को, सम्बन्ध रखने को कहते हैं, लेकिन हम जिस शिकायत को सामने रखते हैं उसको आप गलत समझते हैं और जो रिपोर्ट आती है पुलिस की उसको ठीक समझते हैं तो बताइये कि इन दोनों की तुलना कैसे हो? कहां तक हमारे सम्बन्ध जनता से हो सकेगें जब कि उनके प्रतिनिधि जो शिकायतें करे उसकी सुनवाई न हो। अब कोई बहुत सजेशन देने के लिये समय न रहा क्योंकि जो सजेशंस ५-६ बार बजट भाषणों के अवसर पर दिया गया क्या उन सजेशंस में किसी भी सजेशंस का सरकार ने आदर किया? जब उनके सजेशंस के प्रति कोई आदर नजर नहीं आता। उन पर कोई ऐक्शन नहीं होता तो इसलिये भी कोई भी सजेशन पेश करना व्यर्थ प्रतीत होता है।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का महकमा इतना महत्वपूर्ण है शासन के और समाज के दृष्टिकोण से कि उस पर सबसे ज्यादा ध्यान सरकार का आकर्षित करना इस सदन के सदस्यों का कर्तव्य हो गया है। इस सदन के सदस्यों ने पुलिस के सम्बन्ध में अनेक बातें कही हैं। उनके अत्याचारों और मुकदमों आदि आदि बातों का जिक्र किया गया। हो सकता है कि जब समाज बदलता हो तो पुलिस की उच्छृंखलता बढ़ गई हो और लोगों की दिक्कतें कुछ बढ़ जाती हों लेकिन जो आज पुलिस हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह शासन जो वेलफेयर स्टेट कहा जाता है और सोशलिस्टिक स्टेट की तरफ जब हम अग्रसर हो रहे हों तो उसी के कांटेक्स्ट में हमें पुलिस के कारनामों पर विचार करना होगा। मैं नम्रतापूर्वक पुलिस मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का काम जिलों और गांवों में इंट्रीग, साजिशों और षडयन्त्रों का रह गया है। पुलिस पर जनता का इस कदर अविश्वास हो गया है कि किसी भी कोने में चले जाइये जिले और प्रदेश से केवल एक ही बात मिलती है और वह बात किसी से भी छिपी नहीं है आज गांवों में पुलिस से किसी को यह तनिक भी आशा नहीं होती है कि उससे उनकी रक्षा हो सकेगी, उनकी दिक्कतों और परेशानियों का निवारण हो सकेगा बल्कि अगर किसी के घर डाका पड़ेगा, चोरी होगी कत्ल होगा तो उसे वह परेशानी तो रहती है उससे अधिक परेशानी उसे यह हो जाती है कि पुलिस के हाथों से कैसे नजात मिले। मैं इस बात की शिकायत नहीं करना चाहता कि आज कारनामें कुछ अधिक हो रहे हैं, मारपीट या डकैती अधिक बढ़ गई है लेकिन मैं तो निवेदन यह करना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद इन कामों के कम या अधिक होने का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि पुलिस ने सही रास्ते पर कदम उठाना शुरू कर दिया है या नहीं। अगर सही पर्सनेलिटी डेवलप नहीं हो रही है, सही कदम नहीं उठाया जा रहा है तो चाहे कारनामे कम हों या ज्यादा हों उनसे फर्क नहीं पड़ता। जब देश और समाज बदलता है तो कारनामे बढ़ सकते हैं लेकिन आज हम देखते हैं कि पुलिस में इंट्रीग, कांसपिरेसी, डर्टीनेस बढ़ गई है। पुलिस मंत्री जो हमारे मुख्य मंत्री हैं उनकी रूपरेखा देखते हुए उनका जो स्थान है, उनकी जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

विचारधारा है जिससे हमारा देश और प्रदेश अवगत है उनकी सज्जनता और पुलिस महकमें के कारनामों में जमीन और आसमान का अन्तर है । अगर देश को बदलना है और शासन के प्रति जनता में अच्छे भाव उत्पन्न करने हैं तो केवल एक ही महकमा है और वह पुलिस का महकमा है । उसमें बड़ी गम्भीरता से हमें विचार करना होगा और समूचे शासन में आमूल परिवर्तन करना होगा । वह क्या होगा यह बताना कठिन है हमारे लिये या किसी भी सदस्य के लिये । इस पर कोई कमेटी बैठे या जिस रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जेल के अपराधियों को काम में लगाया, उनकी मनोदिशा को बदलने के लिये एक अच्छा सा रास्ता निकाला और कल्याणकारी कामों में उनको लगाया जिससे उनका जीवन और समाज दोनों लाभान्वित हों ऐसा ही कोई रास्ता उनको निकालना होगा पुलिस के महकमे के लिये भी, जिसमें जनता का अविश्वास उस पर से खत्म हो ।

पुलिस मंत्री ने विश्वास दिलाया कि देश में अराजकता नहीं है । उस मानी में अराजकता नहीं है कि हमारा देश या प्रदेश एग्जिस्ट नहीं करता या कोई गड़बड़ी फैली हुई है लेकिन इस मानी में अराजकता कही जा सकती है कि आज लोग इसलिये शान्त हैं कि पुलिस जबरदस्ती शान्ति बनाये हुये है । अगर पुलिस की वह जबरदस्ती हट जाय तो जनता की अविश्वास की वह सीमा ही अराजकता का परिचायक है, जबरदस्ती से पुलिस का शासन कायम है, जबरदस्ती पुलिस लोगों को शान्त रक्खे हुए है, यही तो अराजकता है । कोई मामला किसी लाजिक या ढंग से नहीं चलता तो अराजकता है ही ।

मैं जिले की बाबत नहीं कहना चाहता लेकिन दो एक बातें उदाहरणस्वरूप बतलाना चाहता हूं । मेरे पास आजमगढ़ जिले के एक थाने से एक खत आया है कि वहां के थानेदार ने एक ग्रेजुएट को बुरी तरह से पीटा । उनकी मर्जी के खिलाफ उसने रिपोर्ट करने की जिद की, इस पर उन्होंने उसको बेतरह पीटा । उसकी दरख्वास्तें माननीय मंत्री जी के पास और दूसरों के पास गई हैं । आजमगढ़ की कई घटनायें हैं लेकिन इस तरह की घटनायें कोई ऐसा थाना नहीं है कि जहां न होती हों । एक परेशानी और है । हमारी सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न होता है कि अपराध कम हों, जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी उत्तर दिया जाता है कि कार्यवाही की जा रही है और डकैतियों और अपराधों की संख्या में कमी हो रही है । इसी डर के मारे थाने पर इन्फार्मेशन, रिपोर्ट कम लिखी जाती है ताकि वह दिखला सकें कि उनके इलाके में कम से कम अपराध हुए हैं । अगर उनको यह समझा दिया जाय कि सही रिपोर्ट लिखने में कोई बदनामी नहीं होती और उन पर कोई आंच नहीं आती तो शायद वह रिपोर्ट्स छिपाने की और न लिखने की बात न सोचें । तो मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम यहां बैठ कर, शासन यहां बैठ कर, मंत्रिमंडल यहां बैठ कर किसी न किसी रूप में, गंभीरता से, मौलिक रूप से इस बात को सोचे और इसके लिये कोशिश करे । यह पुलिस विभाग शासन का प्राण है जो शासन की तमाम अच्छी से अच्छी कार्यवाहियों को बदनाम कर देता है, बरबाद कर देता है । जब तक इसका आमूल परिवर्तन न किया जाय इसको सुधारा नहीं जाये तब तक हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है । यह कहा गया कि जब हम कांटैक्ट करते हैं तो जो बड़ी बड़ी मुंह खोले हुए घटनायें हैं वह हमारे कांटैक्ट्स को खा जाना चाहती है, हमारा सारा कांटैक्ट उन घटनाओं के असर के कारण बेकार हो जाता है । जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे सामने यह पुलिस की तमाम ज्यादतियां रख दी जाती है तो इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई न कोई बात अविलंब सोच कर करना चाहिये ताकि इस दशा में सुधार हो । सजेशन आया है कि साइंटिफिक स्टेडीज के लिये लोगों को इंग्लैंड भेजा जाय । भारत आज एक बड़ा भारी एक्सपेरीमेंट का स्थान है और अगर हम ईमानदारी से एक्सपेरीमेंट करें तो हम यहां हर तरह का अनुभव और एक्सपेरीमेंट कर सकते हैं यदि हमारा इंटेंशन आनेस्ट हो । यह मेरा विश्वास है कि अगर हम ईमानदारी से काम कर सकें तो सब हमें फालो करेंगे ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। तनख्वाहों के बारे में चर्चा आती है। पुलिस, इसमें संदेह नहीं कि, रात-दिन काम करती है। यह परेशानी पुलिस की ठीक है कि समाज के हर एक मामले में बहुत काम्प्लीकेशन हो गया है और उसमें पुलिस को सबसे ज्यादा भाग लेना पड़ता है। यह हम नहीं कहते कि उनको परेशानी नहीं है, वह भी उस भूलभुलैया में पड़े हुए हैं कि क्या वह अच्छी तरह से, इस तरह अपना काम कर सकते हैं कि वह बदनाम होने से से बचे रहें, बातें बहुत ज्यादा पेचीदी हो गई हैं और एक यह परेशानी है कि हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं और वह यह कहते हैं कि बिना मारे हुए, बिना परेशान किये हुए हमारा काम नहीं चलेगा। इसके बिना, उनका यह कहना है कि अपराधों की संख्या में कमी नहीं होगी और अमनो-अमान नहीं कायम हो सकता है, तो उनकी परेशानी को दृष्टिकोण में रख कर और अभी मैंने जो बात कहीं हैं उनको ध्यान में रख कर एक रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि हमारी गाड़ी आगे बढ़ सके, जिसे कि हम कहते हैं कि ठीक रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। चाहे अपराध कम हों या ज्यादा हों लेकिन एक बात हमें जानना चाहिये कि अगर हम ठीक रास्ते पर नहीं चले तो चाहे हमें दस, बीस बरस और बीत जाय, हम ठीक जगह पर नहीं पहुंच सकेंगे।

मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों की, जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और गरीब भी बहुत हैं यह शिकायत आई है और हर एक थाने से यह शिकायत आरही है कि पुलिस ने यह किया वह किया। इसमें मऊ और महराजगंज स्टेशनों का चर्चा कई बार आया है। मऊ के पुलिस स्टेशन का जिक्र करते हुये श्री उमाशंकर जी ने बरलाई और इटौरा गांव का जिक्र किया है। यह दोनों गांव मेरे कंस्टीटुयेन्सी में हैं। मैंने कोई स्टेटमेंट इस संबंध में नहीं दिया लेकिन इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो गांवों के बारे में पुलिस ने जो कुछ किया, ज्यादती की या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन मामले को इस बुरी तरह से हैंडिल किया है कि अगर उसको बुद्धिमत्तापूर्वक हैंडिल नहीं किया गया तो वहां के पूरे सामाजिक जीवन पर और वहां की पूरी पालिटिक्स पर वर्षों के लिये बुरा असर पड़ेगा। मऊ पूर्वी जिलों का केन्द्र स्थान है जहां की बड़ी भारी संख्या है और उनका जीवन छिन्न-भिन्न हो गया है। यदि वहां की सिचुएशन को तुरन्त हैंडिल न किया गया तो एक भीषण असंतोष पूर्वी जिलों के तमाम जीवन को प्रभावित करेगा। मैं आशा करूंगा कि इसके बाद कोई न कोई व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे कि पुलिस का आमूल परिवर्तन शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में हो सके।

श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन में आजमगढ़ के सम्बन्ध में तथा पुलिस विभाग के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं और साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने यह अनुदान पेश किया है उसके लिये बधाई देता हूं। निस्संदेह आज जिस तरह से देश के अन्दर गड़बड़ियां पैदा हो गयी हैं, तात्पर्य यह कि चोरियां, डकैतियां और तरह-तरह के अनाचार फैले हुए हैं उसकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बदलते हुए जमाने की है, क्योंकि जमाना बदल गया है, इन्कलाब आ गया है। वे लोग जो वर्षों तक दबाये रखे गये थे आज उनको बढ़ने का, जगने का अवसर मिला है और उनमें कुछ सही तरीका और कुछ गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। यह मुमकिन है कि चोरियां बढ़ें, डकैतियां बढ़ें। खेद इस बात का है कि हमारे समाज में जो लोग पढ़े-लिखे, सूरत-शक्ल में अच्छे और योग्य समझे गये वे ही पुलिस विभाग में लिये गये, ऐसे लोगों के हाथ में सुरक्षा और शान्ति का काम सौंपा गया। परन्तु देखा जाता है कि जनता में इस जमाने के अनुकूल लोगों में शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये जो उनकी ड्यूटी है वह नहीं करते हैं तब खेदजनक बात होती है। आखिर कौन सा ऐसा तरीका हो, कैसे इन बुराइयों को दूर किया जाय? क्योंकि जनता में तरह-तरह के लोग हैं ऐसा देखा जाता है कि देहातों के अन्दर कुछ दलाल ऐसे हैं जो पुलिस को मदद पहुंचाते हैं। पुलिस को करप्ट करने में भी हमारे देहात की जनता का हाथ होता है। यदि कोई थानेदार अच्छा हो, घूस न ले तो ऐसे लोग भी हैं जो अपने ही भाई को फंसाने के लिये थानेदार को घूस देते हैं और यदि वह नहीं ले तो उनकी बीवी तक पहुंच

[श्री शिवराम राय]

जाते हैं और उनको करप्शन में शामिल कर लेते हैं, हमारे समाज में यह बड़ा दोष है। लेकिन फिर भी हम यह जानते हैं कि पढ़े लिखे हैं और प्रतिज्ञाओं के साथ शांति और मन कायम करने के लिये ही इस विभाग में शामिल हुये हैं। यह सही है कि सब नहीं डकैतियों और चोरियों में शामिल होते हैं। हम आजमगढ़ जिले के बारे में कहना चाहते हैं।

अभी विरोधी पार्टी की तरफ से चन्द दिनों पहले बजट शुरू होने पर कहा गया था कि परसराम सिंह नामक कांस्टेबिल जो पहले गम्भीरपुर थाने में था, वह डकैती में शामिल था। मेरे सामने जिनके घर में डकैती पड़ी थी उन्होंने देखा और आकर के मुझसे कहा था। मैंने इसकी शिकायत एस० पी० से की और मैं समझता था कि एस० पी० से कहना बहुत काफी है। यदि हम ऊपर कुछ शिकायत करते हैं तो वह भी एस० पी० के यहां वापिस आयेगी। इसीलिये मैंने सीधे एस० पी० से शिकायत की, मेरी शिकायत की जांच इन्सपेक्टर से करायी गई और वही हुआ कि एस० पी० से शिकायत करने के बाद कोई नतीजा नहीं हुआ और डकैती को चोरी में परिवर्तित किया गया। फिर वही कांस्टेबिल मऊ में भेजा जाता है। वहां वह चोरी में गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर केस चला लेकिन छोड़ दिया गया। इस तरह की बातें पुलिस विभाग में हैं। हमारे जिले के अन्दर पुलिस विभाग में ऐसे लोग हैं जिनका पेशा है चोरियां, डकैतियां और थानेदार तक में इस तरह की गड़बड़ियां हैं जो इन कृत्यों में शामिल रहते हैं। अभी-अभी माननीय उपाध्याय जी ने कहा था कि एक साहब पीटे गये, मैं ही था, लखनऊ आने के लिये फूलपुर स्टेशन पर आ रहा था। १० बजे रात्रि का समय था। मेरे पास जो रुपया तथा सामान था सब कुछ अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा छीन लिया गया तथा पीटा गया। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां कहने की हो क्योंकि हमारी तरह से जनता के अन्दर बहुत से लोग पीटे जाते हैं और खास कर आजमगढ़ जिले में जितने रेलवे स्टेशन्स हैं उनमें ७५ फीसदी स्टेशन्स ऐसे हैं जहां इस तरह की बातें हुआ करती हैं। थाने में वे बेचारे जाते हैं, थाने वाले जानते हैं कि डकैती का केस हो जायगा इसलिये उनको समझा-बुझा कर इधर-उधर कर देते हैं, नतीजा यह होता है कि बहुत सी बातें सामने आती नहीं।

बहुत से वाकयात ऐसे हैं, जिनको कि मैं जानता हूं कि इस तरह की घटनायें लगातार होती रहती हैं, उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। रही बात मेरे बारे में, तो वह कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो बच गया, हो सकता था कि एक क्षण के अन्दर नक्शा दूसरा होता और शायद यहां शोक प्रस्ताव पास करने की जरूरत पड़ जाती। लेकिन मैं बच गया। मगर खेद है कि एक तो मैं पीटा गया, दूसरे जब पुलिस जाती है तो पूरे गांव को घेर लेती है, लोगों पर मार पड़ती है, उनको लूटा जाता है, उनसे रुपया उगाहा जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। मैं लखनऊ से वापस जब आजमगढ़ गया तो एक गांव के बीस-पच्चीस आदमी आये और अपनी सारी मुसीबतें कह कर रोने लगे। मैंने कहा बड़ी बुरी बात है। मैं एस०पी० साहब के पास जा रहा था लेकिन रास्ते में थानेदार साहब मिल गये, उनसे मैंने कहा कि यह क्या बातें हैं तो उन्होंने कहा कि यह बड़ी खेदजनक बात है। मैं था नहीं, उन्होंने अपने नायब थानेदार के ऊपर सारा दोष ओढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा। मैंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वह हुआ लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि बेगुनाह लोगों को पीटा जाय। नहीं पता लगता है न लगे। यदि वहां की जनता चाहे तो मैं अपना खून दे सकता हूं। बेगुनाहों को पीटना और उनको परेशान करना किसी तरह ठीक नहीं है।

दूसरे अभी-अभी मुझे रामवचन यादव जी ने बताया कि हमारे ही क्षेत्र के एक बहुत बड़े रईस हैं जो म्यूनिसिपल कमिश्नर भी रहे हैं, उनसे खेत के सम्बन्ध में कुछ लोगों से झगड़ा हुआ। सराय मीर के थानेदार साहब जानते थे कि बनिया हैं, इनसे पैसा मिलेगा। उनको थाने के अन्दर बुलवाया और थाने के अन्दर बुला कर उनको खूब पीटा। उसमें एक ग्रेज्युएट भी था। खैर, ग्रेज्युएट को पीटा तो अच्छा ही हुआ क्योंकि वैसे किसी को अगर पीटते तो उसकी कोई खबर किसी को शायद न मिलती, लेकिन पढ़े-लिखे को अगर पीटा तो कम से कम वह कुछ इस

बारे में लिखा-पढ़ी तो कर सकता है। तो इस प्रकार थाने में बुलाकर जहां शायद गवाही भी न मिले, वहां उनकी खूब मरम्मत की जाय, यह सचमुच इस सरकार के लिए बड़े कलंक की बात होगी। यही नहीं, हमारे सामने रामवचन यादव जी ने एक बात और भी बतायी कि एक थानेदार साहब मवई इलाके के हैं, वहां एक यादव जो इत्तिफाक से कुछ पढ़े-लिखे भी हैं, थानेदार साहब के सामने चारपाई पर बैठ गये। बस क्या था थानेदार साहब उठे और पीटना शुरु कर दिया। लेकिन वह था शरीर से जबर्दस्त और थानेदार साहब को पटक कर चढ़ बैठा। फिर थानेदार साहब ने उनसे माफी मांगी। यही थानेदार साहब थे जिनको गम्भीरपुर के इलाके में पासियों ने मारा था। इस तरह की कार्यवाहियां हो रही हैं। इस तरह के लोग जिन पर कि हम एतबार कर सकते हैं और जिनके ऊपर गवर्नमेंट चलाने का बहुत बड़ा भार है, उनके द्वारा जब इस तरह की कार्यवाहियां होती हैं तो यह बहुत बुरी बात है।

अराजकता की बात जो करते हैं, वह अराजकता नहीं है, मैं बिलकुल नहीं मानता कि अराजकता कहीं है। हां, इस तरह की चीजें बहुत बुरी हैं। हर गांव में कुछ दलाल हैं, कुछ पैसे पर रखे गये हैं, कुछ पेशेवर हैं जिनका पुलिस वालों से सम्बन्ध है, पुलिस वालों का यही पेशा हो गया है। हां, उनकी तनख्वाह कम है। मैंने एक थानेदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब क्या करें हमको इतना खर्च करना पड़ता है और जो रुपया हमको मिलता है वह इससे कहीं कम होता है। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हमको दस रुपये, पन्द्रह रुपये का इक्का करना पड़ता है, चार छः आदमी साथ रखने पड़ते हैं, उनके खाने-पीने का खर्च होता है, जितना रुपया मिलता है उससे काम नहीं चलता है। तनख्वाह उनकी जरूर कम है, पुलिस वालों के चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए जो असीमित अधिकार उनको दे दिया गया है, उस पर सरकार को गौर करना पड़ेगा। ४ साल से हमारे विद्वान मुख्यमंत्री जी हैं जो अपनी सूझबूझ के लिये प्रसिद्ध हैं, जिनके ऊपर काफी विश्वास किया जाता है और उन्हीं की रहनुमाई में यह विभाग चल रहा है। तो मैं कैसे मान लूं कि कोई जादू की लकड़ी हिल जायगी जिससे पुलिस में सुधार हो जायगा? यह आवश्यक है कि उनके अधिकार में कमी करनी पड़ेगी। हमारे प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और समझदार है। मैंने सन् १९४२ का वह जमाना देखा था जब कि गवर्नमेंट का शासन खत्म हो गया और गवर्नमेंट का वहां नाम निशान भी नहीं था। ऐसे समय में न कोई चोरी हुई न कोई डकैती गांव में पड़ी। जनता यह समझ गयी थी कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गयी है, इसलिए अब भी वह अपने को सम्भाल लेगी। इस प्रकार का एक्सपेरीमेंट छोटे पैमाने पर इस सूबे में अवश्य होना चाहिये। पुलिस विभाग का दिमाग इतना बढ़ गया है कि जिसको सभी लोग जानते हैं। आई० जी० भी मानते हैं और मैं भी जानता हूं, लेकिन कानूनी दिक्कतें ऐसी हैं जहां उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। मैं समझता हूं कि इसमें सुधार की तरफ क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिये। जब कि सदन का प्रत्येक मेम्बर इस बात को मानता है कि बहुत गड़बड़ी पुलिस विभाग में है कोई वजह नहीं है कि हम इस ओर ध्यान देकर ठीक न कर लें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार के प्रति जनता में जितना भी क्षोभ और दुर्भावना है उसके जो प्रधान कारण दो तीन हैं उसमें सर्व प्रथम कारण पुलिस की गैरजिम्मेदारी है। पुलिस के प्रति जनता में आज तक, कांग्रेस के ७ वर्ष के राज के बाद भी, विश्वास पैदा नहीं हो सका। उसका कारण यह है कि पुलिस का रवैया करीब-करीब वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था। पुलिस-अंग्रेजों के जमाने में भी, बड़े आदमियों की अधिक सुनती थी, आज भी मुख्यमंत्री जी की पुलिस और उसके अफसरान अमीर और बड़े आदमियों की बात सुनते हैं। गरीबों की आवाज तब भी कम सुनाई पड़ती थी और आज भी कम सुनाई पड़ती है।

[श्री झारखंडे राय]

अपने विरोधियों के प्रति खोज-बीन करने में अंग्रेजों की पुलिस जिस तरह से मुस्तैदी दिखाती थी और अन्य कामों में ढिलायी दिखाती थी वही रवैया आज भी है कि मुख्य मंत्री जी की पार्टी के विरोधियों के प्रति जो काफी तत्पर्ता का भाव पुलिस का है। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो दिनरात नाना प्रकार समाज की जिन्दगी दूभर किये रहते हैं उनके प्रति वह सोयी रहती है। मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। कम से कम मुझे तो इस बात का अनुभव है कि मैं सूबे के किसी कोने में जब जाता हूं, किसी छोटी या बड़ी मीटिंग में, तो एक बड़ी पल्टन रिपोर्टरों, पुलिस के अन्य अधिकारियों और कानिस्टबिलों की वहां पहुंच जाती है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से अगर मेरी रिपोर्ट के ही लेने का एक मतलब है तो एक रिपोर्टर शार्टहैंड का काफी होना चाहिये। लेकिन इतनी जो पल्टन पहुंचती है और जो खर्चा बढ़ाती है उसकी जिम्मेदारी क्या मुख्य मंत्री जी पर नहीं है? मुख्यमंत्री जी और उनके पूर्वाधिकारी ने जो वक्त बे वक्त, मौसम बेमौसम हर समय पुलिस की विरदावलियां गायीं, पुलिस के प्रशसा के जो पद गाये वही मुख्य वजह है कि उनके हाथ से पुलिस विभाग बाहर चला गया है। सन् १९४७ के सत्ता हस्तांतरण के पश्चात् मुख्य मंत्री जी को भी याद होगा कि १५ अगस्त के बाद, ६ महीने तक कम से कम, पुलिस मुहकमा बिलकुल सन्नाहट की हालत में आ गया था और उसे डर था कि हम वही हैं जिन्होंने कि माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त की गरदन पर डंडे चलाये हैं, पंडित जवाहर लाल पर डंडे चलाये हैं, जिन्होंने सुभाष चन्द्र बोस और जे० एन० सेन गुप्ता के हाथ तोड़े हैं, पता नहीं आज भी कांग्रेस सरकार के शासक हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे? इसलिए ६ महीने तक पुलिस चुप पड़ी रही। लेकिन जब उसके लिये विरदावलियां शुरू हुईं, जब उसकी प्रशंसा में प्रशस्य गान शुरू किये गये माननीय पुलिस मंत्री के पूर्वाधिकारी के जरिये तो उनकी हिम्मत बढ़ी कि अब खुल कर खेलो। उनको प्रोत्साहन मिला कि जब ये हमारा कुछ नहीं कर सके जिनके ऊपर हमने डंडे चलाये तो हम किसी पर भी डंडा मारेंगे तो वह हमारा कुछ नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि पुलिस की आज बदइंतजामी और व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्री जी, उनकी सरकार और उसकी नीति पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य हूं इसलिये मेरे अथवा मेरी पार्टी के जरिये कोई शिकायत जाय तो मुख्य मंत्री जी और पुलिस विभाग मान लें कि यह शिकायत गलत ही होगी, अनुचित होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलिये और बस्ती जिले के नैपाल सीमा-स्थित उन गांवों को देखें जहां मैंने स्वयं जांच की है और अपनी आंखों से सब पुलिस अत्याचार देखा है। वहां के लोग नहीं जानते हैं कि सम्पूर्णानन्द जी कौन हैं और कैसी शक्ल के हैं? इसलिये मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ चलें। और यदि न चल सकते हों तो किसी विश्वासपात्र आदमी को हमारे साथ भेजें। अगर मेरी बात गलत पाई जाय तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। केवल यह कह देने के लिये मैंने जांच कराई और कोई बात ऐसी नहीं पाई गई, हमें संतोष नहीं होता है। चाहे मैं उनकी सरकार और उसके द्वारा पोषित व्यवस्था का कितना ही कट्टर विरोधी हूं, जैसा कि मैं हूं, लेकिन उनको मेरी ईमानदारी में संदेह नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायतें जो माननीय सदस्यों के द्वारा की जाती हैं उनकी जांच अगर उन्हीं अधिकारियों से कराई जायगी जिनके खिलाफ शिकायतें हैं तो सही बात का कभी पता नहीं लग सकेगा। इसलिये आज बहुत से सदस्य अपने मन की बात यहां पर प्रगट कर रहे हैं।

मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनकी नाक के नीचे और आंख के सामने अमेरिका के भेदिये दिन दहाड़े लखनऊ में घूमते रहते हैं। आज वे हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय जीवन नष्ट करने के लिये न जाने क्या-क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन आपकी वही सी० आई० डी० पुलिस अंग्रेजी जमाने में बड़े से बड़े

षडयंत्रों का भंडाभोड़ कर दिया करती थी वह आज बिलकुल निकम्मी साबित हो रही है। इसी लखनऊ में कभी-कभी कौंसिल हाउस के भीतर भी षडयंत्रकारी घूमते रहते हैं। लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता है। क्या मुख्य मन्त्री जी उनका कुछ कर सकते हैं? क्या यह काम अखबारों के जिम्मे रह गया है कि वह उन नापाक कार्यवाहियों को छापा करें और उसका कोई असर ही न पड़े।

बस्ती जिले के सीमान्त थाने लौटन, उस्का बाजार, चिल्हिया की शिकायतें आ रही हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह या तो मेरे साथ चलें या फिर किसी आफिसर को अलग से तैनात करके जांच कराने की कृपा करें। मैं प्रमाण देने के लिये तैयार हूं और वह कागजात पेश करने के लिये तैयार हूं जिनके बल पर मुझे विश्वास हुआ है कि सचमुच में वह शिकायतें सही हैं। अगर गलत साबित होती हैं तो मैं मान लूंगा कि वह गलत हैं। लेकिन प्रश्न के उत्तर में केवल यह कह देने से कि उनकी जांच कराई गई और गलत साबित हुई, इससे हमें विश्वास नहीं हो सकता है।

मैं कहना चाहूंगा कि इसी लखनऊ शहर में वकील, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और पुलिस आफिसरों का एक गैंग बना हुआ है जो यह तय किये रहता है कि हमारे मुकद्दमे आपकी अदालत जायंगे, आप देख लीजिये। दिन भर कचहरी करते हैं और शाम को चाय पार्टी होती है और वहां तय किया जाता है कि कल किस तरह से कौन केस किस तरह से फैसला किया जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी सी० आई० डी० क्या करती है? क्या आपकी सी० आई० डी० केवल इसलिये है कि वह पालिटिकल पार्टीज के आदमियों की रिपार्ट करे और इसके लिये मुफ्त का भत्ता बनावे। श्रीचन्द्र जी से भत्ते ऐंठने वाली बात पर पूर्ण सहमत हूं। बहुत से अफसर मुफ्त और झूठे भत्ते बनाते हैं। इन पर पूरा-पूरा कंट्रोल होना चाहिये और सही तरह से कोशिश की जानी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर एक बात का है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इशारा किया कि हमें तैयार रहना चाहिये, जनता को तैयार रहना चाहिये कि अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लेनिन ने १९२४ में कहा था कि जब राज्य समाज जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करता है तो राज्य को अनिवार्यतः अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सोवियट और भारत में बुनियादी फर्क है। वहां समाजवादी पंचायती शासन क्षेत्र और अर्थ-व्यवस्था स्थापित थी और हमारे देश में पूंजीवादी सामन्ती व्यवस्था कायम है। हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश और प्रदेश के प्रत्यक्ष जनता की जेब से आता है, सोवियट यूनियन या पीपुल्स चायना के बजट का ७० फीसदी से ऊपर का हिस्सा सरकारी उद्योग-धन्धों से आता है, जनता के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़ता है, जैसे कि हमारे यहां पड़ता है। पूंजीवादी मुल्कों में और हमारे देश में वही सारी आमदनी कुछ उद्योगपतियों की जेब में जाती है। मुख्य मंत्री को तो मालूम होगा कि इस साल के सोवियट बजट में ५६२ अरब रूबल में से ५०० अरब रूबल कारखानों की आमदनी से आये। पीपुल्स चायना की पूरे राष्ट्र की आमदनी का ७० फीसदी केवल उनके अपने कारखानों से आया है, इसलिये उसकी तुलना यहां पर नहीं की जा सकती है। आपके कर्मचारियों के बढ़ाने से हम पर बोझ पड़ेगा, जनता पर बोझ पड़ेगा और वहां अगर बढ़ते हैं तो उसका बोझ जनता पर नहीं पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात कह कर खत्म करूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जो समाजवादी विचार के मानने वाले हैं, इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से हिन्दुस्तान से पीपुल्स चायना जाने वाला पहला शिष्ट मंडल जिसके नेता सुप्रसिद्ध एवं तपःपूत गांधीवादी पंडित सुन्दर लाल जी थे जो एक कांग्रेसी नेता हैं और आज भी कांग्रेसी विचार रखते हैं उन्होंने अपनी पुस्तिका "China Today" के २१६ पेज पर जिस प्रकार की

[श्री झारखंडे राय]

भावना वहां की पुलिस को देख कर प्रगट की, मैं चाहता हूं कि जब चीन या किसी भी देश के लोग यहां लखनऊ आयें तो इस प्रदेश की स्टेट पुलिस के बारे में वही भावना प्रकट करें। पंडित सुन्दर लाल जी लिखते हैं :--

"Thransformation of the city police from a corrupt force to one fully imbued with theidea of service of the people is no less remarkable an achievement of the people and their rulers. The petty crimes and racketeering with which the police were associated, have been eliminated and the police have helped their former accomplices in the petty underworld of crime to reform. Peking today is a city without prostitutes, without beggars and without organised crime."

मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार के सुन्दर भाव की बात लखनऊ और इस सूबे के बारे में भी कही जाय। वह दिन शीघ्र आवे, ऐसी हमारी कामना है।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--उपाध्यक्ष महोदय, आज जब पुलिस का बजट प्रारम्भ हुआ तो मैंने तो यह समझा था कि विरोधी दल की ओर से ऐसे सुझाव आयेंगें जिनसे हम कुछ फायदा उठा सकेगें। दुनियां में जितने भी देश हैं और जहां कहीं भी लोकतंत्रात्मक शासन है वहां विरोधी दल का यह खास कार्य होता है। विरोधी दल के साथ हमारे कार्यक्रम में मतभेद हो सकता है लेकिन वास्तविकता का जहां सवाल होता है सब जगह यह नियम है कि विरोधी दल की जितनी सूचनायें होती हैं उन पर काफी विश्वास किया जाता है, चाहे एक बार अपने दल के लोगों द्वारा दी हुई सूचना पर उतना विश्वास न किया जा सके। पहले जब हमारे देश में विदेशियों का शासन था उस समय भी कुछ इस प्रकार की परिपाटी थी लेकिन जहां यह परिपाटी सफल होती है वहां विरोधी दल का भी एक कर्त्तव्य होता है कि वह नीति के सम्बन्ध में कड़ी से कड़ी आलोचना सरकार की करे लेकिन जहां वास्तविकता का वर्णन हो जहां किसी वाकया का वर्णन हो वहां उसे हर एक बात सोच समझ कर कहनी चाहिये। मुझे दुख है कि इस कसौटी पर हमारा विरोधी दल करीब-करीब शून्य के बराबर साबित हुआ है। एक नहीं बीसों बार प्रश्नोत्तरों में बहुत सी सूचनाओं में विरोधी दल की ओर से जो सूचनायें आती हैं, जो वाकयात का वर्णन किया जाता है उसमें यह तो मैं नहीं कहूंगा कि जानबूझ कर कोई बातें गलती कही जाती है लेकिन उसकी जानकारी हासिल करने की या उसका सही सही पता लगाने की कोशिश नहीं की जाती, जो जैसा कहता है उस पर विश्वास कर लिया जाता है और उसका ज्यों का त्यों इस भवन में या अखबारों में या प्रश्नोत्तरों में वर्णन कर दिया जाता है। वह इतनी घटनाएं हैं कि यदि मैं उन घटनाओं को यहां पर सुनाने लगूं तो उसमें बहुत समय लग जायगा। मैं तो २,१ छोटी घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक घटना जिसका जिकर इसी भवन में प्रश्नोत्तर के सिलसिले में किया गया कि पुलिस ने एक लाश को गायब कर दिया। उसके बाद वह आदमी जिन्दा निकला। जिन्दा निकलने के बाद और यह साबित होने के बाद भी कि वह आदमी जिन्दा है वह प्रश्न यहां पर हाउस में पूछे गये। यही नहीं हुआ कि अगर उनको मालूम हो गया था कि वह आदमी जिन्दा है उस प्रश्न को वापस ले लेते। इसी तरह की और भी बहुत सी घटनायें हैं जिनका जिक्र मैं यहां पर नहीं करना चाहता।

मैंने अपने माननीय साथी मदन मोहन जी उपाध्याय का व्याख्यान सुना। उसके बाद वीरेन्द्र शाह जी का व्याख्यान सुना और उसके बाद उमाशंकर जी का भी सुना। उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि आज हम इस सूबे में नहीं रह रहे हैं और न जाने वह किस प्रदेश की घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। सारा एम० एल० ए० समाज घबराया हुआ है और मदनमोहन जी भी घबराये हुये है और ऐसा मालूम होता है कि शायद हर एक आदमी के पीछे एक-एक पुलिस का आदमी डंडा लिये हुये लगा हुआ है। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसी भयावकता का वर्णन करके

कौन सी वास्तविकता का वर्णन किया है। मैं विरोधी दल के भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि वह हृदय पर हाथ रख कर बतलायें कि क्या वास्तविकता का इतना भयंकर रूप है ? क्या आज प्रदेश का हर आदमी पुलिस से इतना आतंकित है कि आज उनका जीवन दूभर हो गया है ?

श्री उमाशंकर--क्या जो बतलाया गया वह गलत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जरा आप ध्यान से सुने तो आपको मालूम हो जायगा कि क्या वास्तविकता है। माननीय मदन मोहन जी ने यह कहा कि जिस जिले के वे रहने वाले हैं उस जिले के पुलिस वाले तो बहुत अच्छे हैं। आप उनको अलग-अलग तो सर्टिफिकेट दे दें यह तो ठीक है लेकिन जब सामूहिक रूप से बात कही जाय तब वह खराब हो जाती है, किन्तु यह दलील मेरी समझ में नहीं आयी। फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि जब से पुलिस अलमोड़ा गयी है तब से वहां पर जरायम शुरू हो गये हैं।

(इस समय ३ जब कर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनःपीठा सीन हुए।)

मैं यह नहीं कहता कि पुलिस का इंतजाम जितना आदर्श होना चाहिये उतना है। मैं इस बात का दावा नही करता और साथ ही मैं इस बात को भी नहीं कहता कि इसमें सुधार की जरूरत नहीं है। पुलिस में बहुत से सुधार की जरूरत है। दूसरे मुल्कों में पुलिस में बहुत से सुधार किये गये हैं और पुलिस के प्रबन्ध में वहां की सरकार बहुत आगे बढ़ी है। हमको भी दुनिया में जब आजाद मुल्कों के समान ही रहना है तो हमें भी पुलिस का इंतजाम उतना ही ऊंचा करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तो दूसरे मुल्कों के सामने हम ठहर नहीं सकेंगे। लेकिन यह काम गुस्से से नहीं हो सकता है। यह काम एक आम आलोचना से नहीं हो सकता है। इसके लिये बहुत ही ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है कि क्या कारण है और क्या बजूहात हैं जिसकी वजह से यह कठिनाई है। इसमें सबसे बड़ी जरूरत इस बात की हो जाती है कि हम अपने स्तर को ऊंचा न करें केवल पुलिस वालों को खराब कहते रहें। हमें तो अपने यहां पुलिस के स्तर को ऊंचा करना होगा। पुलिस और दूसरे जो विभाग हैं उनके सब लोगों को ऊंचे रास्ते पर लगाना होगा। मगर कहा जाता है कि अभी पुराने लोग उसमें मौजूद हैं लेकिन मैं यह भी कह दूं कि पिछले सात वर्षों में उन पुराने आदमियों की तादाद बहुत घट चुकी है। इनमें से बहुत से आदमी डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिये गये हैं और इन्सपेक्टर बना दिये गये हैं और उनको आपकी सिफारिश पर ही और आप लोगों के कहने पर ही सुपरिन्टेडेंट पुलिस बनाया गया है। आप लोगों के कहने पर बहुत से पोलिटिकल सफरर को भी हमने एस० पी० बना दिया है और इनको मैंने अपने आप बनाया है ?

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--कितने आदमियों को एस० पी० बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष--मैं इस तरह से जवाब सवाल की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत--मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मसले पर विचार करें, शान्ति से विचार करें, और ठंडे दिल से विचार करने की जरूरत है और इसके साथ-साथ सुधार करने की भी कोशिश करें। यहां पर एक भाई ने बतलाया कि डी० आई० जी० रिश्वत लेते हैं। जिस इलाके के वे रहने वाले हैं शायद उसी इलाके के ही डी० आई० जी० की तरफ इशारा हो। लेकिन मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि वह मुझको मोरेली कंविंसड करा दें कि फलां डी० आई० जी० रिश्वत लेते हैं तो कानूनी शिकंजे मे लाना मेरा काम होगा। उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी अगर वह ऐसा न कर सकें और फिर उनको यहां पर बोलने का मौका मिले तो यहां पर कम से कम वह यह कह दें कि उनसे गलती हुई।

फिर अभी शाहिद फाखरी साहब ने ३ घटनाओं का वर्णन किया। एक उरई की, दूसरी इलाहाबाद की, और तीसरी उतरौला की। उन्होंने न जाने कहां से वह जानकारी प्राप्त की और उसकी बिना पर यह कह दिया। उन्होंने बतलाया कि उतरौला में सुलह हो गयी

[श्री जगनप्रसाद रावत]

थी लेकिन उसके बाद भी लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जो सुलह हुई थी उसके बाद दूसरी घटना हुई और इस दूसरी घटना का मुकदमा चल रहा है उन्होंने उन दोनो को मिला दिया। उरई की घटना के बारे में भी उन्होंने कहा। उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि वहां कम्यूनल बात हुई और सिर्फ एक बैल को जबा करने पर यह तुफान हो गया। इसके सिलसिले में भी उन्होंने गलत बात कह दी। वहां एक बैल के जबा होने का सवाल नहीं था। वहां १८-२० मकानों से जानवरों की हड्डियां निकली थीं। वहां बड़ा भारी बलवा होने को था जिसको मुश्किल से रोका गया। यह बात बिलकुल निराधार है कि सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस के सामने लूट-मार की गयी।

इलाहाबाद की घटना का उन्होंने वर्णन किया कि वहां लूट-मार की गई। उन्हीं की कांग्रेस कमेटी ने वहां जाकर देखा और अखबारों में बयान दिये, उन्हीं के साथी एम० एल० एज० ने और जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों नें बयानात दिये, जो अखबारों में शाया हुए। जो कुछ उन्होंने कहा उसके खिलाफ बात उन बयानों में निकली। लेकिन बड़े दुख की बात है कि महीनों के बाद फिर उन्होंने उस चीज को उसी तरह से फिर यहां पेश किया।

मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि कहीं कि घटना हो अगर उनको व्यक्तिगत जानकारी हो तो वे हमें उसको बतलायें, हम उसमें पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और उसकी आपको इत्तला भी देगें। उनकी बात को प्राइमाफेसी मान कर हम उसका पता लगायें। मैं चाहूंगा कि उनकी कांस्टीटुयेंसी का कोई आदमी अगर कोई शिकायत उनके पास भेजे तो वह उसको हमारे पास भेज दें उसमें हम स्वयं अपने साधनों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगें। जो भी पता हम लगा सकेंगे लगाने का प्रयत्न करेगें।

एक सदस्य---आप जांच कैसे करायेगें ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जांच कराने के एक से ज्यादा तरीके हैं। यह भी कोशिश करेगें कि इस सिलसिले में आपको संतुष्ट करने की कोशिश करें। जो शिकायतें आती हैं उनके संबंध में हमारे सामने यह दिक्कत आती है कि एक तरफ तो एक ही जिले के एम० एल० एज० आकर हमसे कहते हैं कि अमुक अधिकारी के खिलाफ यह शिकायत है और दूसरी तरफ उनके ही दूसरे ही साथी आकर कहते हैं कि यह वर्जन ठीक नहीं है, वास्तविकता इसके खिलाफ है। अब हमारे सामने यह सवाल आता है कि किसकी बात मानी जाय। इसलिये वास्तविक जो परिस्थिति होती है उसको जानने की कोशिश की जाती है और उसी को अपने सामने रखना पड़ता है।

(आवाजें)

श्री अध्यक्ष---मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य शांत रहें, अगर रावत जी ने सदस्यों की बात को शांति के साथ सुना है तो उनकी बात को भी उन्हें शान्ति के साथ सुनना चाहिये।

श्री जगनप्रसाद रावत---मैं अपने साथियों, माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि उनकी व्यक्तिगत जानकारी की बात हो तो वे उसको हमारे सामने लायें। हम उनको पूर्णरूप से संतुष्ट करने की कोशिश करेगें। मैं और अधिक नहीं कहना चाहता हूं। अगर मेरी बात कुछ कड़वी लगी हो तो मुझे आशा है माननीय सदस्य उसके लिये क्षमा करेंगे।

श्री रामभजन (जिला खीरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो हमारा प्रदेश तमाम चीजों में तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के सम्बन्ध में, जमींदारी एबालीशन के सम्बन्ध में तथा सिंचाई के सम्बन्ध में जो जो काम यहां हुए हैं वे सब अत्यन्त प्रशंसनीय हैं। इस वक्त हमारे सामने जो ग्रांट पेश है इसके ऊपर तमाम सदस्यों ने अपने अपने उद्गार प्रकट किये और उन उद्गारों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में हमारे प्रदेश के अन्दर पुलिस शासन में कोई

खामी जरूर है जिसमें कि सुधार करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारा देश कष्ट सहने में बहुत निपुण है। इतना कष्ट वह बर्दाश्त कर सकता है उतना संसार का कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूख के लिये और गरीबी के लिये हमारे देश ने बहुत कष्ट बर्दाश्त किया लेकिन सब से बड़ा कष्ट जो हमारे प्रदेश के सामने है वह पुलिस का आतंक है जो सहा नहीं जाता। आज हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तो शहरी क्षेत्र और दूसरा देहाती क्षेत्र। शहरी क्षेत्र इसके लिये बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उसके सामने इस तरह की कोई समस्या नहीं लेकिन देहाती क्षेत्र आज इतना पीड़ित और परेशान है कि जिसका वर्णन करते हुए रोमांच हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जिले की ही बात कहता हूं। अभी रावत जी ने कहा कि बहुत से लोग हमारे पास आकर शिकायत करते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग आकर इसी तरह की बातें करते हैं जिससे भ्रम पैदा हो जाता है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं और हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि शासन की किसी तरह से बदनामी हो। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर भी शासन का दायित्व है। जिस तरह से हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में पुलिस की खिलाफत करते थे उसी तरह से हम आज भी अपनी पुलिस की खिलाफत करें, यह हम भी नहीं चाहते हैं लेकिन जो वास्तविकता है उसकी खिलाफत करना हम एक तरह से अपना धर्म समझते जिससे कि जितनी कमजोरियां हैं वे सामने आ जांय। हम यह नहीं चाहते हैं कि जो वास्तविकता हो उसको छिपाया जाय जिससे कि हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकें। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि वाकई हम पुलिस का सुधार करना चाहते हैं तो चाहे इसमें चार दिन, छः दिन या १० दिन भी लग जाय लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि अधिवेशन के दिनों में चाहे खाली दिनों में इस तरह की एक कांफ्रेंस बुलायें ताकि सब लोगों के सुझाव सुनें और सबके उद्गारों को सुनने बाद निर्णय करें कि किस तरह से पुलिस में सुधार होना चाहिये।

मैं अपने जिले की तरफ अपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि एक सेटलमेंट का मामला है जो अदालत में चल रहा है, जिसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूं। अभी ४,५ दिन हुए धौरहरा थाने का एक बुड्ढा किसान मेरे पास आया और रोने लगा कि उसके लड़के को बल्लम से मार दिया गया और लड़का मर गया है लेकिन जब मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये थाने में गया तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और लड़के के मर जाने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। मैं लखीमपुर गया था तो वहां इसी तरह की शिकायत पुलिस के बारे में की गयी कि अभी १५ दिन हुए वहां एक डकैती थाना सिंग ही में पड़ी लेकिन थानेदार ने डकैती रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके अलावा और भी बहुत से वारदात हैं। मितौली में पखरिया एक स्थान है जहां पर पुलिस किसी तफतीस के सिलसिले में गयी। मामला सही हो या गलत लेकिन जब उसको वहां पर कुछ नहीं मिला तो वहां से औरतों के जेवर और रुपये उठा कर ले गयी। जब कप्तान से इसकी शिकायत की गयी तो कप्तान ने यही कहा कि यह शिकायत बिलकुल गलत है। मितौली थाने की ही बात है कि एक बिरादरी का न्योता था जहां ५०० आदमी मौजूद थे। वहां थानेदार साहब पहुंचे सारा माल वहां से उतरवा कर अपने साथ ले कर चले गये। इस तरह की तमाम घटनायें हमारे सामने हैं और अगर इनका हम ठीक तरीके से उपाय नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी अपने कर्त्तव्य पालन से पीछे रह जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की उदारता और उनकी निष्पक्षता के ऊपर किसी को जरा भी शक नहीं हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके रहते हुए पुलिस विभाग अवश्य ही संभलेगा। लेकिन पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके सामने आप कितना ही रोइए और कितना ही गाइए लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलता, न उनको पंडित जवाहर लाल नेहरू पर दया है, न कांग्रेस प्रेसीडेंट श्री धेबर पर दया है, न उन्हें महर्षि विनोबा भावे पर दया है और न उनको देश के निर्माण करने वाले और सेवा करने वाले लोगों पर दया है। उनको तो केवल अपने स्वार्थ से सरोकार है और अपनी जेब भरने से मतलब है, उन्हें न किसी की परवाह है और न देश की। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो कि विद्वता और विचारशीलता में इतने

[श्री राम भजन]

निपुण और ऊंचे हैं उनके ही अधीन यह विभाग है, अगर इस विभाग की बदनामी होती है तो उससे उनकी बदनामी होती है। मैं कुछ ज्यादा न कह कर केवल इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि पुलिस विभाग में जल्दी से जल्दी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है।

श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने सूबे के नीचे स्तर के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की है और उनके वेतन में कुछ वृद्धि की है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे महान व्यक्ति के नेतृत्व में हमारा प्रदेश उन्नति करेगा और साथ ही साथ पुलिस विभाग भी अच्छा काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सदन में जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं उनको सुनता रहा और अनेक प्रकार की बातें पुलिस विभाग के विषय में लोगों ने कहीं लेकिन अगर हम देश भर की पुलिस को देखें और दूसरे प्रदेशों की पुलिस को देखें और ध्यान दें तो हमें इस बात का गौरव है कि हमारे यहां की पुलिस बहुत जगहों से अच्छी है और हमारे यहां क्राइम्स भी और जगहों से कम हैं। लेकिन इतना होते हुये भी अपने इस विभाग को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने की ओर ध्यान देना है। हम जिस आदर्श पर चलना चाहते हैं और जितना ऊंचा हमारा आदर्श है उसके अनुसार हमें ऊंचा उठना चाहिये और अभी हम उतना ऊंचा नहीं उठे हैं, इसका कारण यह है कि हमारी एक पुरानी परिपाटी और परम्परा चली आ रही है कि हम उन्हीं पर विश्वास करते हैं और उसी पर हम अपने अफसरों की योग्यता को आंकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जितने ही क्राइम कम लिखे जांय, जितने ही वह स्टैटमेंट में कम लिख कर आयें, उसी से विभाग में योग्यता नापी जाती है। हमें इस रवैया को बदलना है। हमें किसी कप्तान या थानेदार की योग्यता इससे नापना है कि उनके कितने केसेज अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं और कितनों को सजा मिलती है और कितने अपराधी छूट जाते हैं। हमें इन बातों पर योग्यता की सीमा निर्धारित करनी चाहिए और तभी विभाग में जल्द आमूल परिवर्तन हो सकता है।

एक बात हमारे लिये विशेष ध्यान देने की है और वह यह है कि हमको थानेदार या कप्तान को तरह से भी किसी अपराधी से मारपीट या जोर जब्र न करने देना चाहिये और यह सब मानते हैं कि यह ढंग गलत है लेकिन इसके साथ ही मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि हम यह भी कहते हैं कि बिना मारपीट के काम नहीं चलता। हजारों केसेज जब कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर जाकर लोग कहते हैं कि हमसे मार पीट कर ऐसा कहलवाया गया है लेकिन बात दूसरी है और नतीजा यह होता है कि केसेज कोर्ट में छूट जाते हैं। जब हम इस बात के पक्षपाती हैं कि मारपीट नहीं होना चाहिए तो हमें इस चीज में अब कोई सब्सटेन्टिव चेन्ज करनी चाहिए। हमारे यहां थोड़ा सा काम इस ओर हुआ है। मैं आपका ध्यान इस डिपार्टमेंट की ओर दिलाना चाहता हूं जो वैज्ञानिक तरीकों से केसों की जांच करते हैं। मैंने फरवरी महीने में पांच ६ सदस्यों के हस्ताक्षर एक चिट माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि हम लोग इस विभाग की कार्य शैली को देखना चाहते हैं कि उसमें क्या समान है और किस तरह से वह वहां काम होता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमें अवसर नहीं मिला लेकिन फिर भी पत्रों के जरिये से और भी कुछ जरियों से जो हम लोगों को पता लगा है उससे यह मालूम होता है कि उसका काम बहुत अच्छा है और अभी हाल में यह बतलाऊं कि मेरठ जिले में उन्होंने एक केस की जांच की और जांच करके उसको निकाला। उसमें एक पोस्टमास्टर निकाला गया था और उस पर एक चार्ज लगाया था कि उसने अपने दस्तखत से दूसरे के एकाउन्ट से कुछ रुपया निकाल लिया। बाद में इस विभाग द्वारा जो गड़बड़ी मालूम हुई वह यह कि पोस्टमास्टर के जो असिस्टेंट थे उसने फोर्जरी की है और उसने इतनी अच्छी तरह से दस्तखत की नकल बनायी कि पोस्टमास्टर को भी पता नही चला कि हमारा दस्तखत है या नहीं। उसके बाद वे छूट गये रिइन्स्टेट किये गये और उसके मातहत को जिसने फोर्जरी की थी उसको सजा मिली। तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि कितने

ऐसे केसेज होते होंगे जो वैज्ञानिक अनुसंधान के बिना और उसकी कमी के कारण कितने निरपराधियों को सजा मिलती होगी और कितने अपराधी छूटकर मजा करते होंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि इस समय जबकि सारा संसार उन्नति की ओर बढ़ रहा है और हमें जब सारे संसार से होड़ लेनी है तो हमें भी उसमें कुछ रुपया लगा कर हमें अपने इस वैज्ञानिक विभाग की अधिक से अधिक उन्नति करना होगा। हमारे वैज्ञानिक विभाग में न तो उचित मात्रा में वैज्ञानिक यंत्र हैं और न फोटो लेने के कोई साधन हैं और और भी बहुत सी चीजों की कमी है जिसको हमको देखना होगा। और मैं इस बात को दावा के साथ कह सकता हूं कि जो बहुत से साधन हैं यदि वे हो जायं तो हमारे मुकद्दमे अदालत से छूटने बन्द हो जायंगे, न सबूत को मारपीट कर ले जाना पड़ेगा और न बड़े बड़े वकीलों से पैरवी करानी पड़ेगी। अपराधियों को अपराध करते हुये हम उनकी फोटो ले सकें और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकें तो हमारा काम बहुत सहल हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो विभाग चल रहा है उसमें वैज्ञानिक तरीकों पर ज्यादा ध्यान दिया जायगा। उसके लिये उचित सज्जा दी जायगी और समान दिया जायगा और उसकी उन्नति के लिये हमारा विशेष ध्यान होगा।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने पुलिस का पेश हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो व्याख्यान दिया है उसको सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि पुलिस का प्रबन्ध धीरे धीरे ठीक होता जायगा और उसकी व्यवस्था हम करेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि वह गृह मंत्री भी रह चुके हैं और पुलिस के कारनामे उनको अच्छी तरह से विदित हैं। पुलिस का आतंक जिस प्रकार से बढ़ रहा है और उसके कारण आज जो प्रान्त की दशा है उसकी व्याख्या हमारे माननीय सदस्यों ने की है। मैं केवल अपने शहर की व्याख्या आपके सामने थोड़े से शब्दों में रखूंगा इसलिये कि समय बहुत कम है। आप जानते हैं कि हमारे शहर में दिन दहाड़े साल भर में कई कत्ल हुये, स्टेशन के नजदीक दो कत्ल हुये और इसी प्रकार से कई एक डकैतियां शहर में हुई। परन्तु दुख यह है कि आजतक उसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसका कारण यह है कि हमारे यहां पुलिस के अधिकारी यह समझते हैं कि उनके ऊपर जो शासन के उच्चाधिकारी हैं उन पर उनका जोर है, हम गलत काम भी करेंगे तो हमको ऊपर का सहारा है, इस वास्ते हमारे यहां दिन दहाड़े चोरी, डकैती बढ़ती जा रही है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। चितौड़ी कांड ले लीजिये। मैं जानता हूं कि वहां पर दरोगा पर किसी गुंडे ने प्रहार किया। ठीक है, उस पर मुकदमा चलना चाहिये लेकिन जो वहां पर स्त्रियों के साथ अत्याचार हुए और उसके लिये यहां काम रोको प्रस्ताव लाया गया, बहुत से लोगों ने वहां जाकर स्वयं देखा और मैं भी गया। लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारे यहां जिन लोगों ने बिजली करके विरोध में पी० एस० पी० की ओर से आन्दोलन किया वहां जो लोग केवल आलोचना करते थे उनके कारण ६ सदस्यों को पकड़ कर उन पर मुकदमा चलाया गया और चूंकि मुकदमें इस समय भी कोर्ट में चल रहे हैं इसलिये उस सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि इसका कारण केवल यही है कि हमारे अधिकारियों को पूरा विश्वास है कि हम कुछ भी गलत या सही काम करेंगे तो हमको ऊपर से रक्षा मिल जायगी।

मैं उदाहरण के रूप आपसे यही कहूंगा कि हमारे यहां जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो वह रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि क्राइम संख्या कम है लेकिन मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं हूं। जो आंकड़े विभाग की तरफ से आते हैं वे सही नहीं होते क्योंकि ज्यादातर रिपोर्टस् नहीं लिखी जातीं, लोगों को टाल दिया जाता है। कह दिया जाता है कि रिपोर्ट लिख दी गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां क्राइम संख्या बढ़ती जा रही है और उसको देखने वाला कोई नहीं

[श्री कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु]

है। हमारे यहां दो पुलिस कांस्टेबिल मुअत्तल किये गये। एक मुहल्ले में चोरी हुई थी और पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन तहकीकात के बाद फिर उनको रख लिया गया। फाफामऊ में पुलिस वालों को जब जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया तो मुअत्तल किया गया और इसी तरह की बहुत सी घटनायें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन सब घटनाओं का कारण यही है कि वे समझते हैं कि उनकी रक्षा ऊपर से हो जायगी। पुलिस वाले जब मुकदमा चलाते हैं तो गवाहों की जरूरत पड़ती है और गवाहों को खर्चा देना पड़ता है और पुलिस वालों को गवाहों को ले जाने में कोई आमदनी नहीं होती तो वे उस चीज को क्राइम रिपोर्ट में ही नहीं दिखाते। हमारे यहां एक आध थाने ऐसे हैं जो पुलिस की केवल सुविधा के लिये ही रखे गये हैं। इलाहाबाद स्टेशन पर टपकेबाजी होती है लेकिन पुलिस का उस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि जो केसेज उनके सामने आयेंगे उनको वे ध्यान से देखेंगे और जो कुछ मेरी नोटिस में होगा मैं भी उसको उनके सामने रखूंगा।

*श्री देवदत्त मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अनुदान पर जिस धारा पर विवाद चल रहा है यह अत्यन्त खेदजनक बात है। पुलिस विभाग हमारे शासन का मेरुदंड है। इस दृष्टि से हमें इस पर विचार करते समय यह ख्याल रखना चाहिये कि ऐसी कोई बात हम न कहें जिससे मेरुदंड शिथिल हो। किन्तु अत्यन्त गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर हमें विचार करना है। किन्तु जैसा मैंने कहा जो वर्तमान स्थिति है उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिये। आज संपूर्ण शासन में जिस प्रकार का अनाचार है, तुलनात्मक दृष्टि से पुलिस विभाग उससे मुक्त नहीं और जब हम यह देखते हैं कि आज तीन साल से चार साल से मुतवातिर पुलिस विभाग की आलोचना और प्रत्यालोचना होती है तो एक साल में यदि हम तलपट लेकर देखें दूसरे साल को तो हमें उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता। इस प्रकार की स्थिति क्यों है? मैं जहां तक समझता हूं उसका कारण, जैसा कि अभी कुछ देर पूर्व सरकारी प्रवक्ता ने जो मनोभाव प्रदर्शित किया, मेरा ऐसा ख्याल है कि वह मनोभाव ही उसके लिये जिम्मेदार है कि पुलिस के प्रशासन में कोई संशोधन न हो। क्या वजह है? आज हम शासन के पोषक हैं, हम शासन के समर्थक हैं अतः सरकारी प्रवक्ताओं को, सरकारी व्यक्तियों को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक मनन करना चाहिये कि क्या वजह है कि आज जो सरकार के पोषक और समर्थक हैं वह इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं अभी यहां बैठा हुआ गवर्नर्स गैलरी में बैठे हुये लोगों की मुद्रा को पढ़ रहा था। मैंने देखा कि जो यह डिबेट हुई उसकी प्रतिक्रिया जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं हुई और यही कारण है कि प्रशासन में जो सुधार की आवश्यकता है वह हो नहीं पा रहा है। हत्यायें उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही हैं और अगर जिले के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाता है तो जवाब यह दिया जाता है कि हत्यायें हम तो करते नहीं, फिर हम क्या करें? आप समझ सकते हैं यह १० करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यर्थ ही खर्च किया जाता है। करीब-करीब इस सबको दृष्टि में रख कर हम सब लोगों को सदन को और पुलिस के अधिकारियों को, सरकार को इस परिस्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहये। मेरे जिले उन्नाव में ७५ फीसदी मर्डरर्स अनट्रेस्ड हैं, उनका कोई पता नहीं चलता। पुलिस के आई० जी०, डी० आई० जी० और एस० पी० हमसे सुझाव क्यों मांगते हैं? यह उनका फर्ज है कि वह इस बात पर गौर करें कि क्या वजह है कि ७५ फीसदी से ज्यादा मर्डरर्स का कोई ट्रेस नहीं है। जहां इस प्रकार की स्थिति है आप स्वयं समझ सकते हैं, हम तो यहां पर बैठे हैं और राज्य के अधिकारियों का ध्यान में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की उस प्रसिद्ध पुस्तिका 'ब्राह्मण सावधान" जो उन्होंने इस समाज के नेता ब्राह्मण को चेतावनी देते हुए कहा है, उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस चेतावनी की तरफ में अपने राज्याधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज वैधानिक अधिकार प्राप्त नेता अगर समाज का कोई है तो वह राज्याधिकारी है। ब्राह्मण तो अब कहने मात्र के लिये समाज का नेता रहा गया है। इसलिये जैसा उन्होंने उस पुस्तिका में यह कहा कि इसका मार्जन नहीं हो सकता वैसे ही मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यदि उस चेतावनी को किंचित शब्द परिवर्तन के साथ पढ़ा जाय तो वह आज के अधिकारियों के ऊपर सम्पूर्णतः प्रासंगिक और सामयिक सिद्ध होती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा, हमारे उप मंत्री तो आवेश में आ गये और आवेश में जो आजाता है वह तर्कों और कारणों से युक्तियों पर विचार नहीं करता। किन्तु हमारे माननीय मुख्य मंत्री मनोविज्ञान के पंडित हैं, जीवन दर्शन के ज्ञाता हैं, वे आज इस सदन में जो ध्वनि है, यह मैं जानता हूं कि समाज में दुर्बलतायें हैं, मैं यह मानता हूं जो कि उन्होंने कहा ऐसी स्थिति आती है कुछ एम० एल० एज० एक तरफ होते हैं और कुछ एक तरफ। यह मैं मानता हूं किन्तु समाज की नैतिक दुर्बलताओं से जो नाजायज फायदा उठाता हो और नाजायज फायदा उठाते हुये जिसे आत्मग्लानि न होती हो उससे बढ़ करके पतित और कोई हो सकता है। लिहाजा आज हमको बड़ी गम्भीरता के साथ, यदि हम चाहते हैं कि हम अपना शासन समुन्नत करें, तो हमें गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। आवेश, रोष और अभियोग, प्रत्याभियोग की दृष्टि से नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन सुधारने की दृष्टि से हमें विचार करना है।

श्री सीताराम शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग इस अनुदान पर बोलना चाहते हैं, कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई आपत्ति तो नहीं है समय बढ़ाने में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो सदन की राय है कि ६ बजे तक सदन बैठे।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से बजट शुरू हुआ लगातार उठते बैठते रहने के बाद आज आपकी कृपा हुई है, इसलिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसे अवसर पर पुलिस के मुहकमे पर जब बजट प्रस्तुत है उस पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन, आज यहां पर सुबह से बैठा हूं, देख रहा हूं कि आज पुलिस के खिलाफ बहुत बड़ा वातावरण एक है और यह है वाकई में। माननीय मुख्य मंत्री या गृह मंत्री, जो भी उन्हें कहा जाय, उनके दिल के अन्दर यह चीज है। आज उनके पास यह विभाग बहुत दिनों से है परन्तु अभी तक इस विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुलिस के हर वर्ष के बजट पर सदस्यों की राय, जनता की राय यह बराबर मांग करती रही कि पुलिस में जो भ्रष्टाचार हैं इसे दूर किया जाय। परन्तु खबर नहीं जिस तरह से प्रान्त की हर समस्या हल करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी प्रयत्न किया है उसी तरीके से शायद इस विभाग की समस्याओं के हल करने में उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया। मैं अपने जिले की हालत बताना चाहता हूं कि आज जनता दिन भर काम करने के बाद शाम को जब सोती है तो वह एक भयावह परिस्थिति है कि खबर नहीं कहां डाकू आ जायं। पुलिस बिलकुल निकम्मी साबित हुई और नित्यप्रति दिन चोरी और डकैती का बोल बाला है और जब उनके पास शिकायत करने जायं तो कहते हैं कि भाई हम क्या करें। पहले तो दरोगा साहब मिलते नहीं और हेड-कांस्टेबुल जो रहते हैं वह कहते हैं कि डकैती की बात क्यों करते हो, तुम्हारे यहां तो चोरी हुई है, डकैती थोड़े ही हुई है। तो इस तरह से उस आदमी को परेशान किया जाता है और रिपोर्ट भी लिख ली गई तो पन्द्रह बीस दिन के बाद उसकी जांच करने वह जाते हैं तो गांवों के आस-पास के लोगों को जिनके पास कि पैसा होता है, उनको फंसाने की कोशिश की जाती है और उनको फंसा कर उनसे पैसा वसूल किया जाता है। अभी हमारे जिले माननीय मुख्य मंत्री जी जाने वाले थे। मगर दुर्भाग्य की बात थी हमारे जिले के लिए कि उनके हाथ में चोट आ गई

[श्री गंगा प्रसाद]

और वह नहीं जा सके। जिले भर के कांग्रेस के कार्यकर्त्ता जिला कांग्रेस कमेटी में इकट्ठा हुए थे शिकायत करने के लिए पुलिस के सम्बन्ध में कि हमारे जिले की यह हालत है। श्रीमन्, हाउस को मैं यह बताना चाहता हूं कि एक थाना ललिया है जिसमें हर महीने करीब चार छः खून बराबर होते रहे और एक परसपुर थाना है जिसमें भी काफी खून हर महीने हुए हैं। बाढ़ का वक्त था, एक तो वहां की जनता बाढ़ से वैसे ही परेशान थी, दूसरे ऊपर से पुलिस वाले जाकर उनके घरों में बेइज्जती करते थे। एक वाकया है कि एक आदमी की लड़की थी। उसको जबर्दस्ती पुलिस की सहायता से भगाया गया और आज तक उसका मुकदमा नहीं चलाया गया। उसको यों ही खत्म कर दिया गया, उसमें काफी रिश्वत पुलिस ने ली। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास यह शिकायतें भेजी गयीं। खलिहान फूंके गये, उसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

अभी अभी इसी पिछली विधान सभा के सदस्य श्री लाल बिहारी टन्डन की शिकायत पर भी काफी लिखा पढ़ी करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, वह बेचारे परेशान हैं। यहीं नहीं जिले का हर एक कार्यकर्त्ता परेशान है। आज खुल्लम-खुल्ला रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। कोई सुनवाई नहीं करता। वहां के एस० पी० हैं वह कहते हैं कि हम सितम्बर में चले जायंगे। भाई, सितम्बर में चले जायंगे तो जिले को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुख्य मंत्री जी से हमने बार-बार कहा कि उनको हमारे यहां से हटा दीजिये लेकिन उनको नहीं हटाया गया। आज हिन्दुस्तान में आजादी आने के बाद हर एक आदमी सजग है। वह चाहता है कि हम आज अपने अधिकारों की रक्षा करें मगर किसके द्वारा? यह जो पुलिस का बजट है हमारी रक्षक है, वही भक्षक है तो हम कैसे अपने अधिकारों की रक्षा की आशा कर सकते हैं? पुलिस की हालत कितनी खराब हो गई है, यह हम कहां तक कहें। हम लोगों ने बार-बार मांग की हमारे यहां गन्ने का मौसम था। हमारे यहां मोतीगंज गन्ने का सेंटर है। पिछले साल मोतीगंज के पास आये दिन गन्ने के गाड़ी वाले जब रुपया ले कर लौटते थे तो उनको लूटा जाता था। हम लोगों ने बार बार कहा कि एक पुलिस की चौकी यहां कायम कर दी। जाय मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यह तो हालत है। अभी हाल ही में फरवरी का एक वाकया है। महिला समाज कल्याण की संयोजिता श्रीमती सोनीदेवी आठ बजे के करीब धानेपुर से गोना आ रही थीं कि बहराइच से कुछ बैलगाड़ियां गुड़ खरीदे जा रही थीं गोंडा उतरौला रोड पर आठ बजे का वाकया है। रास्ते में कुछ गाड़ियां लूटी जा रहीं थीं। जब उनकी मोटर की रोशनी दिखायी पड़ी तो वह छोड़ कर भाग गये और इस तरह से उनकी जान बची। फिर भी तीन चार को चोटें आयीं जिनको कि अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्होंने जब कोतवाली में टेलीफोन किया तो कोतवाल साहब ने कहा कि हम पुलिस को भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने पुलिस ४ बजे सुबह भेजी। वह तीन चार आदमी आज तक अस्पताल में दाखिल हैं। आज जनता में जागृति है, हम जानते हैं। मगर मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब किसी अफसर के खिलाफ शिकायत हो तो उस शख्स को फौरन वहां से हटा देना चाहिये। उसे दूर किसी दूसरी जगह पर कर दिया जाय, जिससे वहां की शिकायत दूर हो सके। अंग्रेजी जमाने में जब किसी की शिकायत होती थी तो उसे फौरन हटाया जाता था। हमारे यहां एक सज्जन थे। उनके खिलाफ १७ दरख्वास्तें हुईं लेकिन फिर भी वह हटाये नहीं गये। जब दूसरे थाने में वह गये तो रिश्वत के मामले में वह गिरफतार हुए। तो इस तरह की हालत आज पुलिस की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यही आशा करूंगा कि वह इस पर गौर करेंगे।

*श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी प्रार्थना पहले सुन ली और मुझे मौका दे दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं

श्री अध्यक्ष---यह तो आपका डिविडेंड है, समय बढ़वाने के कार्य का।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सीताराम शुक्ल--हाउस में सुबह से अब तक व्याख्यान जो हुए उस पर बोलने से पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उपाध्याय जी की उस बात पर अर्ज करना चाहता हूं जो उन्होंने फरमाई थी कि हमारे मुख्य मंत्री जी जो एक अच्छे ज्योतिषी हैं उनसे कुछ बातें पूछते रहे, मैं भी पूछूंगा। यह अप्रत्यक्ष रूप से एक उम्दा मजाक सा था। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ऐसा ही मजाक लोग पहले किया करते थे कि किताबों में ये सब बातें गलत लिखी हुई हैं लेकिन बाद में जब तजुर्बात से सही साबित हुई तो लोगों की आंखें खुलीं। इसी तरह से निराकार शब्द का मजाक उड़ा करता था, लेकिन आज वह शब्द चिपक जाता है। इसलिये इस सिलसिले में रिसर्च होनी चाहिये और जिस प्रकार से होशियार पार्टीज और बिजनेसमेन को पता चल जाता है कि व्यापार में क्या होने वाला है उसी तरह मुमकिन है कि यह हमारी विद्या फिर लौट आये।

अब अपनी बजट की बात को सुनिये। अध्यक्ष महोदय, जरा गौर करने की बात है कि हर तरफ से पक्ष और विपक्ष की ओर से पुलिस की शिकायतें हुईं, मैं भी सहमत हूं पुलिस के खिलाफ शिकायतें हैं। किसी आनरेबिल मेम्बर ने शिकायत गलत नहीं की। मैं सहमत हूं और शर्म के साथ सहमत हूं। प्रश्न यह है कि ठीक कैसे किया जाय। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि सोचना हमारा काम नहीं है लेकिन सोचना भी जरूर हमारा काम है। शिकायत करें और सोचें भी। अब सवाल पैदा होता है कि क्या सरकार अच्छी नहीं है जिसके राज्य में इस तरह से अंधेर हो रहा है, क्योंकि "राजा कालस्य कारण" काल राजा का कारण नहीं होता है। लेकिन दिल कहता है कि सरकार में तो बहुत अच्छे लोग हैं, त्यागी हैं, सोच विचार वाले लोग हैं। तो क्या हमारे मुख्य मंत्री जी अच्छे नहीं हैं? दिल कहता है कि बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने उनको बड़ी योग्यता दी है। अगर एक एक खूबी को देखना है तो हमारे मुख्य मंत्री जी को देख लो। तो क्या हमारे डी० आई० जी० या आई० जी० अच्छे नहीं हैं? यह भी अच्छे हैं। वह भी अच्छे हैं तो खराब काहे की है? एक तरफ अच्छा भी कहता हूं शिकायत भी कबूल करता हूं। क्या वजह है? मेरी गुजारिश आपसे है कि कारण तो बहुत से हैं, एक कारण बतलाता हूं, तो वह यह कि यहां कुछ डेमोक्रेसी की भी शिकायत है। प्रजातंत्र में जहां बहुत से फायदे हैं वहां कुछ खराबियां भी हैं। मामूली शिकायत भी होती है तो वह आनरेबिल प्रीमियर के पास पहुंच जाती है। छोटी सी बात भी मिनिस्टर के पास पहुंचती है।

मेरे कम्बख्त कानों ने सुना है कि फैजाबाद के किसी कानिस्टेबिल का सस्पेशन हुआ। वह जब ऊपर पहुंचा तो बाद में आदेश होता है कि नहीं। तो अर्ज करता हूं कि इस डिमाक्रेसी में जहां बहुत सी खूबियां होती हैं वहां दोष भी हैं। मेरा अदब के साथ यह कहना है कि जरा इस पर ठीक तौर से गौर फरमायें। अगर हमारे पास आता है हमारा सपोर्टर, जिसने हमारी हेल्प की थी जिस वक्त गाड़ी डगमगाने लगी थी एलेक्शन में, या कोई रिश्तेदार है जो कहता है कि इस मामले को ठीक करा दीजिये, तो थोड़े से आदमी हैं हुजूर-वाला जो कहते हैं कि इंटरफियर करना हमारा कर्त्तव्य नहीं है। ज्यादा भाई यही कहेंगे कि तुम्हारा काम हो जायगा। हमारा सपोर्टर कोई है तो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दे दीजिये, जाती चीज दे दीजिये, मगर चिट्ठी मत लिखिये। आपके पास अगर दो हजार थानेदारों की लिस्ट आये तो जब तक यह न देख लें कि कौन ठीक है यह नहीं राय देनी चाहिये कि फलां को जरूर थानेदार बना दीजिये। इस समय प्रजातंत्र भी है, आपकी बनाई हुई कमेटी है, लेकिन अगर आपकी चिट्ठी से किसी गलत आदमी को जगह मिल जाय तो उसका नतीजा क्या होगा? मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करता हूं कि यह पहले बन्द करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि पुलिस को ठीक करें, सरकार को ठीक करें तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा।

[श्री सीताराम शुक्ल]

मेरी गुजारिश यह है कि इस सूबे में एक साहब थे जिनका काम था ठेका वगैरह दिलाने का और उन्होंने लीडरी ले ली लेकिन आगे न बढ़ सके और गिर पड़े। इधर हमारे मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, यह पार्टीबाजी में कभी नहीं बैठे बल्कि लोगों को इनके खिलाफ शिकायत है कि यह किसी का काम नहीं करते। लेकिन कुर्सी इनके कदमों पर गिर पड़ी। आपने सच्चाई को पकड़ लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आप आगे आ गये और दूसरे साहब पीछे पड़ गये।

दूसरी बात यह है कि जब आप किसी आफिसर की शिकायत करें तो यह जरूर देख लें कि आप बड़ी जिम्मेदारी की जगह पर हैं। किसी में अगर कोई खराबी है तो जरूर शिकायत करें, अगर उनमें एक भी अच्छा है तो यह कहिये कि एक को छोड़ कर बाकी सब खराब हैं। अगर आप यह शिकायत करते हैं कि सभी खराब हैं तो इससे जो अच्छा है उसका दिल टूट जाता है कि अच्छा करते हैं तब भी शिकायत होती है। इसलिये मेहरबानी करके इधर ध्यान दिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने पढ़ दिया कि इनको सजा दी गई है लेकिन नहीं पढ़ा कि तरक्की कौन कौन को दी गई। क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं उनकी तरक्की होना चाहिये और जो गलत काम करें उनको सजा देनी चाहिये।

हुजूरवाला, जब अवाम शान्ति के साथ सोता है तो पुलिस पहरा देती है और जहां गोली चलती है वहां जाती है। अगर जरा भी चूक जाय तो गोली लग जाय। आपने शिकायतें तो बहुत की हैं लेकिन तारीफ किसी की नहीं की ऐसे भी लोग हैं पुलिस में जिनकी जानें चली गयीं। वह लोग डाकुओं के पीछे गये और गोली खा आये। हमारी पुलिस में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कई डाकुओं की जमाअत को साफ कर दिया है। यह कोई नई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि श्री गणपति सीताराम जी थे। उन्होंने अंग्रेजी जमाने में अपने कुर्सी को बरे में डाला था और वह कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। वह इलाहाबाद के सुपरिन्टेंडेंट पुलिस थे। मैंने इलेक्शन के सिलसिले में उनसे कहा कि मुझे पैसा चाहिये तो उन्होंने कहा कि हाजिर है। जब पुलिस ने हड़ताल की तो अंग्रेजों के दिल टूटे। जहां तक शिकायत करने का सवाल है जरूर कीजिये, लेकिन जो अच्छे आफिसर्स हैं उनकी मेहरबानी करके तारीफ जरूर कीजिये। यह आपके सर्वेन्ट्स हैं, लेकिन एक छोटा नौकर भी है अगर आप उसको रोज बुरा कहेंगे तो फिर वह आपका अच्छा काम नहीं कर सकता है। अगर आपकी सरकार अच्छी नहीं तो बदल दीजिये, अगर आपके मुख्य मंत्री अच्छे नहीं हैं तो बदल दीजिये, अगर आप के आई० जी० अच्छे नहीं हैं तो बदल दीजिये, लेकिन जब आपने उनको स्थान दिया है तो उनकी इज्जत भी कीजिये। अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो उसे ठीक किया जा सकता है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज कौन नहीं चाहता है कि लोगों को खाना, कपड़ा, मकान न दें। लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। हम अपनी कमजोरी कबूल करें कि हम ठीक करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का सपोर्ट करता हूं।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में सब ओर से सदन में काफी कहा जा चुका है और जो पुलिस की कार्यवाही है उनके बारे में आलोचना का तांता बंध गया है। आज कोई माननीय सदस्य इस आदरणीय सदन में नहीं हैं जो पुलिस की कमजोरियों को महसूस न करते हों। लेकिन सवाल इस बात का है कि आया सरकार ने आज तक ऐसा कोई कदम उठाया है जिससे भ्रष्टाचार में कमी हो और आइन्दा कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे यह पूरी तौर पर समाप्त हो जाय। श्रीमन्, इस बात की खुशी होती है जब हमने अपने माननीय मुख्य मंत्री को यह एलान करते हुये सुना कि वह भ्रष्टाचार को आमूल खत्म कर देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने एक सल्युशन भी बताया और वह यह कि वह चाहते हैं कि प्रत्येक अधिकारी वर्ग के असेट्स के बारे में

उसकी नौकरी से पहले और बाद का हिसाब मांगा जाय और यही नहीं बल्कि उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके मुताल्लिक भी हिसाब मांगा जाय। इससे कुछ हद तक यह साबित हो जायगा कि कितने कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है और अगर है तो उससे कितना उन्होंने कमाया। लेकिन अगर हम इसके प्रेक्टिकल ऐस्पेक्ट को देखें तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि कौन ऐसा कमअक्ल अफसर होगा जो हर सम्भव तरीके से सही हिसाब को छिपाने की कोशिश न करे। मैं समझता हूं कि यह तो अफसरान के लिये एक चेतावनी भी है कि आयन्दा के लिये वे होशियार हो जायं, अपने पैसे को बैंक में जमा न करें। या किसी प्रकार की जायदाद के रूप में करें बल्कि सोने या जेवरात के रूप में जमा करें। क्या सरकार को कानूनी रूप से यह अधिकार होगा कि उनके असेट्स के बारे में वह पूरी तौर से जांच कराये? ऐसी सूरत में मेरा तो यह निश्चित कहना है कि यह कोई कारगर तरीका इसके सुधार का नहीं हो सकता। पिछले सात सालों से सरकार भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कटिबद्ध है लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक पुलिस के प्रत्येक अधिकारी के दिमाग में जनता कि सेवा का भाव नहीं आयेगा, जब तक वह इस बात को नहीं समझता कि उसका पवित्र कर्तव्य है जनता की रक्षा करना और उसको न्याय पहुंचाना तब तक कोई सुधार सम्भव नहीं हो सकता है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में सरकार आसानी से कह सकती है कि हमारे समाज का स्तर बहुत गिरा हुआ है और इसी दृष्टिकोण से माननीय रावत जी ने अभी कहा कि जब हमारी जनता का स्तर बढ़ जायगा तो बहुत सम्भव है कि इसमें सुधार हो जाय। लेकिन स्पष्ट है कि पिछले सात सालों में हमारा नैतिक स्तर, शिक्षा का स्तर, एकोनामिक स्तर, सब जगह पर हमारा स्तर गिरता चला जा रहा है। और भ्रष्टाचार अपने कदम तेजी से बढ़ाता जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने से लोगों पर पुलिस का आतंक छाया हुआ है और आज भी अपनी सरकार में भी जब वह वही भावना देखती है तो उसमें डिमारलाइजेशन पूरी तौर पर फैल गया है। ऐसी दशा में सरकार के ऊपर ही यह पूरी जिम्मेदारी है कि इस भ्रष्टचार को दूर करने की कोशिश करे।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं तो विशेष नहीं कहना चाहता। इसको दूर करने के सम्बन्ध में माननीय रावत जी ने एक सुझाव और दिया है और माननीय उपाध्याय जी ने भी कहा कि कुछ हद तक नये अधिकारियों में भ्रष्टाचार की भावना कम है और जो पुराने अधिकारी हैं उनके ऊपर ब्रिटिश लिगेसी जमी हुई है और वे भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि नये अधिकारी वर्ग जैसे ही अपने पद को सम्हालते हैं वैसे ही वे उस लिगेसी के शिकार हो जाते हैं। ऐसी दशा में जब पुराना ढांचा ही बढ़ता चला जाता है तो सुधारों की गुंजाइश नहीं मालूम पड़ती। मैं तो माननीय उपाध्याय जी से इस बारे में भी सहमत नहीं हूं कि वह समझते हैं कि एस० पी० और डी० एस० पी० तबके में बिलकुल भ्रष्टाचार नहीं है। मैं कहता हूं कि जब किसी जिले में सिपाही से लेकर दारोगा तक भ्रष्टाचार करते हैं तो क्या वजह है कि एस० पी० और डी० एस० पी० कान में कड़ुआ तेल डाले रहें। आज इस बात के उदाहरण हैं कि पुलिस जिले के डकैतों को अपने यहां पालती है और उनको सहायता देती है डाका डालने के लिये। डाकों में वे दो एक केस बना लेते हैं जिससे थानेदार साहब का बड़ा नाम हो जाता है और फिर साथ ही साथ डाकू आजाद होते हैं डाका डालने के लिये और उनकी जेब गर्म करने के लिये। ऐसी सूरत में श्रीमन्, जब कि यह प्रोत्साहन पुलिस के द्वारा दिया जाता हो तो यह सम्भव नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार दूर हो। अब लाल बत्ती जल गई है तो मैं और बातें नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ पहाड़ी समस्याओं को जो मैदानी हिस्से से भिन्न हैं उनके बारे में ही आपसे कहना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारा जिला टेहरी-गढ़वाल पुलिस के लिहाज से देहरादून में शामिल है। उससे हमको एक बहुत बड़ी हानि है। वह यह होती है कि जब कभी जिले का कोटा सब इंस्पेक्टर और दूसरे रिक्रूटमेंट और दीगर जगहों के लिये होता है तो उसमें हमको मौका नहीं मिल पाता है और हमारे आदमी उसमें नहीं जा पाते हैं और दूसरे जगह के लोग, देहरादून से बाहर के लोग आकर उस कोटे को पूरा करते हैं, इसके साथ साथ एक और भी दिक्कत होती है वह यह है कि मैदानी हिस्से से अधिकारी लोग वहां

[श्री सत्य सिंह राणा]

भेज दिये जाते हैं जो वहां पर काफी परेशान रहते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि जो अफसर जिले के अन्दर बाहर से तैनात किये जाते हैं वह अपने ट्रान्सफर के चक्कर में रहते हैं और वहां पर और भी भ्रष्टाचार फैलाते हैं जिससे शिकायत हो और उनका तबादला हो।

अगर पहाड़ी जिलों को मिलाकर अलग एक जिला पुलिस के लिहाज से बना दिया जाय तो ज्यादा सहूलियत होगी। टेहरी-गढ़वाल का महत्व इसलिये है कि वह जिला बार्डर लाइन पर है और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। उसके लिये मैंने पारसाल भी सरकार से निवेदन किया था कि वहां पर हटमेंट पुलिस के लिये बना दी जायं। अब वहां पर निसेन हटस् का सामान ले जाकर हजारों रुपया सरकार बरबाद कर रही है क्योंकि उनके ट्रांसपोर्ट पर भी ज्यादा खर्चा होता है। अगर सरकार कुछ झोपड़ी ही वहां पर उन लोगों के लिये बना दे तो वह सस्ता और ज्यादा आरामदेह होगा। वहां पर जो पी० ए० सी० पड़ी हुयी है वह परेशान है और उनकी शिकायत भी आती रहती है। मेरा सुझाव है कि सरकार अगर पहाड़ी प्रदेश में सुरक्षा के लिये पुलिस को रखना चाहती है तो स्थानीय व्यक्तियों को पी० ए० सी० में भरती करे। इससे आपके प्रति उनका विश्वास उत्पन्न होगा और उन लोगों की कठिनाइयां भी हल हो सकेंगी।

*श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)---स्पीकर महोदय, जब हम पंडित जवाहरलाल के शान्ति और अमन के पैगाम को दुनिया में सुनते हैं तो हम यह समझते हैं कि शान्ति और अमन का आदर्श आज दुनिया के सामने पेश हो रहा है और शान से हमारी गर्दन ऊपर उठ जाती है लेकिन जब हम अपने घर में पुलिस की ज्यादती को देखते हैं तो शर्म के मारे हमारी गर्दन झुक जाती है लेकिन क्या हमारी यह गर्दन झुकी रहेगी? और क्या हम बर्दाश्त करते रहेंगे कि यह पुलिस की ज्यादतियां इसी तरीके से होती रहें? क्या सम्पूर्णानन्द जी की कुर्सी पुलिस वाले छुड़ा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हां, यह हो सकता है कि अगले साल पुलिस का बजट पास न हो। मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस तरह से वकील लोग यह देखते हैं कि झगड़ा फसाद हो तो उनकी वकालत चले, जिस तरह से डाक्टर यह देखते हैं कि बीमारी बढ़े तो उनकी डाक्टरी चले उसी तरह से बिल्कुल यह पुलिस का बिजनेस हो गया है कि वह चाहती है कि डाके कत्ल और चोरियां हों और उनकी आमदनी बढ़े। यह चीज हम बरदाश्त नहीं कर सकते और हमने कभी इसको बरदाश्त नहीं किया है। अगर अंग्रेजी राज्य में यह सब कुछ हुआ होता जो आज हो रहा है तो न मालूम आज तक हम क्या कर डालते। चूंकि आज कांग्रेस का राज्य है, डिसिप्लिन है और हम लोग मजबूर हैं कि हम डिसिप्लिन से काम लें। मुझे एक तस्वीर आपके सामने रखना है। यह पुलिस के आदमी जितने थानों में रहते हैं वह उसके बाद वह रिटायर होकर गांवों में आते हैं। जितनी भी हमारे समक्ष में आज खराबी दिखायी देती है और जो कुछ गांव में हम आज बरबादी देखते हैं वह सिर्फ इन पुलिस के रिटायर लोगों की कार्यवाही है और यही वहां पर गुन्डई कराते हैं। इनकी एक कालोनी अलग बसानी चाहिये कि जो रिटायर हों वह वहां पर जायं। मैं आपसे कहता हूं कि एक कांग्रेसमैन अभी मेरे जिले में कत्ल कर दिया गया है। मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने एक गांव में पट्टा लिया है और दूसरे गांव में भी जा कर पट्टा लिया है पेड़, झील, तालाब का, जो कि कभी इस काम को नहीं किये हैं। इनके एक दोस्त थानेदार पहले कानपुर में थे तो वह उसकी मदद से.....

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि इस तरह से व्यक्तिगत मामले का तजकिरा यहां पर न करें, क्योंकि इस मामले में अदालत में मुकदमा चल सकता है और सम्भवतः चल रहा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नाजिम अली—श्रीमन्, मैंने इसके बारे में आज ही माननीय मंत्री जी को एक दरख्वात दी है। तो क्या श्रीमन् मैं उसके बारे में कह सकता हूं ? तो श्रीमन् वह कांग्रेस वर्कर गांव वालों की तरफ से दरख्वास्त लेकर ११ फरवरी को जिला कमिश्नर के पास गये। वह वहां नहीं थे। वे इसलिये वापिस आये। वापिसी में ८ बजे रात को उनका कत्ल कर दिया जाता है। जब उनका चचेरा भाई रिपोर्ट करने के लिये जाता है तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। थानेदार साहब बाद को रिपोर्ट लिखते हैं। मेरे पास उसके बारे में खतूत आते हैं लेकिन मैं जरूरी काम की वजह से वहां नहीं जा पाता। डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने खत लिखा कि मेरे पास इस बारे में काफी खतूत आ रहे हैं, पुलिस जो कार्यवाही कर रही है वह गलत कर रही है इसलिये मेरे आने तक इंक्वायरी का इंतजार किया जाय। इलेक्शन के खत्म होने के बाद मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाता हूं। १ घंटा उनसे बात होती है। डी० एस० पी० साहब मौके पर जाते हैं और उनके सामने जो पुलिस ने गवाह बनाये थे, वे सब इंकार कर जाते हैं और कहते हैं कि बंदूक के कुन्दों को छाती पर रख कर उनको गवाह बनाया गया था और उन्होंने बताया कि वाकया कुछ और ही है। डी० एस० पी० साहब ने कहा कि पुलिस ने जो कार्यवाही की है वह गलत है। उन्होंने मुझसे कहा कि कल सुबह इस बात की वे रिपोर्ट कर देंगे। मैं यहां लखनऊ आया। इसके बाद १७ तारीख को एस० पी० साहब, डी० एस० पी० और थानेदार जिन्होंने ही इस कत्ल को कराया था, उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद दोनों थानेदार उस जगह पर जाते हैं और जिस तरह से हो सकता है लोगों को दबा कर राजी करके दफा १६४ में उनका बयान कलमबंद करते हैं। जब मैं यहां से जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पर दूसरी बात थी। इस प्रकार से वाकयात को गलत करके असल मुलजिम को बचाने के लिये दूसरे गलत आदमियों के लिये फांसी का कुन्दा तैयार किया जाता है। दस कोस इर्द गिर्द के बच्चे-बच्चे तक इस बात को जानते हैं कि यह कत्ल किसने किया है। ५ आदमियों ने डी० एस० पी० के सामने बयान भी दे दिया, लेकिन फिर भी जो असली मुलजिम हैं वे आजादी से घूम रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पुलिस को हमें खत्म करना है। दूसरे तरीके की पुलिस रहनी चाहिये चाहे हमारे ९० करोड़ का बजट पुलिस पर ही क्यों न खर्च हो जाय लेकिन हमारे देश में शान्ति और अमन होना चाहिये। यहां हर आदमी आज त्राहि-त्राहि कर रहा है। हम इसको स्वर्ग बनाने के लिये तैयारी कर रहे हैं, हम सारे सूबे में अमन चाहते हैं। बाबू सम्पूर्णानन्द बहुत ऊंचे विद्वान् हो सकते हैं लेकिन पुलिस और फौज का मंत्री तो ऐसा होना चाहिये कि जो डंडेबाज हो, उसे खयाली दुनिया में नहीं रहना चाहिये उसको अमली दुनिया में रहना चाहिये। बाबू सम्पूर्णानन्द जी इस बात पर गौर करें कि हमारे प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पुलिस विभाग के बारे में विशेष जानाकारी रखता हूं क्योंकि मेरा संपर्क जनता से ही रहता है, मैं उसी के बीच में रहता हूं लेकिन इतने साथियों के भाषण देने के बाद जो बातें उन्होंने कही हैं, मैं उनको दुहराना नहीं चाहता और न मैं यहां पर कोई आम बात ही कहना चाहता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ उदाहरण और सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं। इसमें संदेह नहीं कि जरायम में वृद्धि हो रही है, इसके बारे में किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। अभी हाल ही में राज्यपाल महोदय ने पुलिस के एक जलसे में जरायम के बारे में कुछ शब्द कहे थे उसमें स्पष्ट कहा था कि जरायम में वृद्धि हो रही है। उनके विचार व्यक्त करने के बाद इस बात में संदेह नहीं रह जाता कि जरायम में वृद्धि हो रही है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जरायम में जो वृद्धि हो रही है उसके क्या कारण हैं। मुझे याद है २ साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में बजट के सम्बन्ध में घोषणा की थी कि वास्तव में अगर थानों पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो पुलिस अधिकारियों की ओर से वह सरकार को धोखा देना है। ऐसा तो होता है मैं तो समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की वह घोषणा आज भी लागू है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि ७० और ७५ फीसदी क्राइम सूबे में छिपाये

[श्री वीरेंद्र पति यादव]

जाते हैं और इसका कारण यह होता है कि अगर किसी के यहां चोरी होती है, डाका पड़ता है या कहीं राहजनी होती है वह अगर थाने में आफत का मारा आता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और उसका नतीजा यह होता है कि जो चोरी डकैती करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा वह मुलजिम तक जिन पर मुकदमा चलता है वह भी इस्तगासा दायर होने के बाद खारिज हो जाता है और मुलजिम छूट जाते हैं और इससे जुर्म करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है।

दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमारे जिलों में गांवों में बहुत ऐसे नगलाजात हैं और कहीं कहीं २५–२५ और ३०–३० नगलाजात हैं और हमारा खयाल है कि आमतौर से डकैतियां नगलाजात में होती हैं। आजकल की टेंडेंसी है कि गांव से निकल कर थोड़ी दूर पर जो छोटी बस्ती होती है वहां डाके पड़ते हैं जहां आबादी कम होती है, जहां पर दो चार आदमी होते हैं या कुछ औरतें होती हैं वहां पर शिनाख्त भी नहीं हो पाती है। पुलिस विभाग को इस तरह की डकैतियों को रोकने की कोशिश करनी चाहिये। अगर वास्तव में सरकार कुछ करना चाहती है तो ऐसी जगह लोगों को बस्ती में रहने के लिये जहां पर थोड़े से ही आदमी रहते हैं प्रोत्साहित करे।

तीसरा कारण यह है जैसा कि दूसरे साथियों ने भी कहा कि इनवेस्टिगेशन ब्रांच और प्रासिक्यूशन ब्रांच अलग-अलग होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कहीं डाका पड़ता है और किसी तरह से अगर मुलजिमों का पता नहीं चलता तो नतीजा यह होता है कि सब इंस्पेक्टर्स किसी तरह से फर्जी आदमियों को फंसाते हैं जिनको सब इंस्पेक्टर गुन्डा समझते हैं या वह जिसको खराब आदमी समझते हैं उसको फंसाते हैं, जब पता नहीं चलता तो गुंडों को और जो गुंडा नहीं होता उनको भी थाने में बुलाकर फंसाने की कोशिश होती है और जिसके यहां डाका पड़ता है उस मुस्तगीज को भी बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि मुलजिमान मौजूद हैं उनकी शिनाख्त करो और वह कहते हैं कि इनमें से तो कोई नहीं है। इस तरह से असली मुलजिमों का पता नहीं चलता और निर्दोष व्यक्तियों का चलान किया जाता है और सत्यता भी इसकी वहां सिद्ध हो जाती है जब कि अदालत निर्णय देती है।

इसके अलावा मैं एक उदाहरण दूंगा कि हमारे यहां एक आदमी जेल में था लेकिन दरोगा जी उसको फंसाना चाहते थे। दरोगा जी ने उसपर चार्ज लगाकर कोशिश की कि उसकी शिनाख्त कराई जाय और ४–५ आदमियों ने उसकी शिनाख्त भी कर दी लेकिन जब मुकदमें की अदालत में सुनवाई हुई और उसने बयान दिया की उस वक्त तो मैं जेल में था वह छूट गया और पता लगा कि वह बेकार में फंसाया गया था।

इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा कि जिन कर्मचारियों के रिश्तेदार जिस जगह पर काफी हों उनको वहां तैनात न करना चाहिए। मैं एक मिसाल बता दूं कि बाराबंकी जिले में एक इंस्पेक्टर ऐसे हैं उनकी दो लड़कियां वहां ब्याही हैं, उनकी एक बहन भी वहां ब्याही है, उनकी बीबी की बहन वहां ब्याही है, उनके भाई की लड़की (भतीजी) वहां ब्याही और इस तरह से और भी रिश्तेदारियां उनकी हैं। तो जहां पर ऐसे कर्मचारी रखे गये हैं वह अवश्य वहां पर पक्षपात करते होंगे और न्याय नहीं कर सकते होंगे और अगर न्याय करते भी हों तो भी जनता को यह बात का आभास होना चाहिये कि न्याय हो रहा है। तो मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि वह इस बात को देखें कि कौन कौन कर्मचारी हैं जिनके रिश्तेदार वहां अधिक हैं जहां वे नियुक्त हैं। अब अधिक न कह कर मैं आपके सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि सन् १९४७ के बाद जहां तक हमारी पुलिस के परसोनेल का ताल्लुक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं उसमें काफी तब्दीली हुई है। सन् १९४७ के पहले जो हमारे यहां परसोनेल था वह या तो पाकिस्तान चला गया या अपने देश को वापस चला गया और करीब अब नया परसोनेल हमारी पुलिस के अन्दर है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकतीं ५ या १० साल के अन्दर जहां तक पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के लिये या गलत कार्यवाहियों के लिये सजा देने का ताल्लुक है काफी सजायें दी गई हैं, बहुतों को डिसमिस किया गया, बहुतों के विरुद्ध डिसिप्लिनरी कार्यवाही की गई। सन् १९४७ के पहले और उसके बाद की विचारधाराओं का जहां तक सम्बन्ध है उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ है। पुलिस विभाग की विचारधारा में भी हुआ है और हमारे समाज की विचारधारा में भी आया है। अब न पुलिस यह समझती है कि हम गुलाम हैं और हम किसी दूसरे की सेवा करते हैं और न हम यह समझते हैं कि हम गुलाम हैं। अब वह भी समझते हैं कि उनको देश की सेवा करना है और हम समझते हैं कि हम सबको अपने देश की सेवा करनी है। लेकिन बावजूद इन सब बातों के जो आलोचनायें आज यहां सुनने और सुनाने को मिलीं करीब-करीब उसी प्रकार की अलोचना सन् १९३७ और ३८ में जब कि मैं विधान सभा में आया था उस समय सुनने को मिली थीं और उस समय जब पुलिस का बजट उपस्थित हुआ था तो इसमें तो मैं अपने भाई जगन प्रसाद जी रावत से सहमत नहीं हो सकता कि वह यह कर छोड़ दें चूंकि हमारे माननीय सदस्य या और लोग जो शिकायत करते हैं वह बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं और सही रूप सामने नहीं रखते इसलिये इन शिकायतों को दूर करने में हमें काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हां! मैं यह मानता हूं कि शिकायतों के बिलकुल सत्य न होने से या असत्य का उसमें मिश्रण होने से जो छिपाया जाता है उससे वास्तव में दिक्कतें पड़ जाती हैं लेकिन जहां तक आलोचनाओं का सम्बन्ध है उनमें तथ्य है, उनमें सार है और यह बात बिलकुल माननी पड़ेगी कि हमारे पुलिस में भ्रष्टाचार भी है और हमारे पुलिस में दोष भी हैं और जो दोष होते हैं उनको छिपाने की उनकी तरफ से कोशिश भी होती है और बढ़ते हुए दोषों को घटाने की कोशिश होती है। यह दोष उनमें मौजूद हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस बीच में कई मंत्रियों ने इस विभाग का कार्य अपने हाथ में लिया है और जो भी मंत्री आये हैं उनकी यह सद्भावना रही है और उनका यह प्रयत्न रहा है कि उनमें प्रदेश का शासन ठीक से चले और मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हो सभी मंत्री इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनके हाथ में जो ला एण्ड आर्डर है उसकी परिपाटी सुधरे, लोगो को सुख और शान्ति मिले, सबकी यही भावना रहती है और यही हमारी भी भावना रही है। लेकिन बावजूद इन भावनाओं के रहते हुए, बावजूद विचारधाराओं में परिवर्तन के, बावजूद सुधारों के और बावजूद परसोनेल में परिवर्तन हो जाने के हम अधिक उन्नति नहीं कर सके, उन्नति तो हमने अवश्य की है इसे हमको स्वीकार करना पड़ेगा और इसको हमको मानना पड़ेगा कि सन् १९४७ के बाद से हमारा परसोनेल कहीं अच्छा है और वह कहीं अधिक अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और कर रहा है, लेकिन आज मंत्रियों के सामने अड़चनें हैं और जो हमारे सामने दिक्कतें हैं वह उनके सामने भी हैं क्योंकि उनका जो परसोनेल हैं उनके हाथ वह उतना सहयोग नहीं कर रहा है और न उसमें करने की क्षमता है और न कर सकता है। तो हमें इसका मूल कारण ढूंढ़ कर निकालना पड़ेगा। केवल यह बात कह देने से कि फलां जिले में ऐसा है या फलां जगह ऐसा है काम नहीं चलता। अगर यह मान लिया जाय कि सब वाकयात सही हैं तो भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको क्यों दूर नहीं कर सके, क्यों हम अपने अधिकारी वर्ग को ठीक रास्ते पर नहीं चला सके, क्यों हम भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सके। इसके लिये हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इसका कोई दूसरा मूल कारण है। मूल कारणों को तलाश करने के लिये बहुत समय की जरूरत है। मैं तो यह कहता हूं कि इस शासन में क्या हो रहा है इन बातों को छोड़ कर हमें एक या दो दिन इस बात के लिये देने चाहिये, जिसमें सभी पार्टी या सभी वर्ग के लोग सुझाव दें और कांस्ट्रेक्टिव सुझाव सामने रक्खें चाहे कांग्रेस पार्टी के हों

[श्री केशव गुप्त]

या विरोधी दल के हों और वे सुझाव ऐसे हों जो रचनात्मक हों और जिनको शीघ्रातिशीघ्र कार्यरूप में परिणत कर सकें। यह मानना पड़ेगा कि मूल कारण में हमारे समाज का स्तर जिसमें पुलिस विभाग भी शामिल है, वह भी हमारे समाज का अंग है, जैसे हम हैं वैसा ही वह भी है, उसे ऊंचा करना होगा। जब हम खराब हैं, हमारा समाज खराब है, हमारे समाज का स्तर खराब है, लेकिन ज्योंही हमारे समाज के कुछ आदमी सर्विस में आ गये तो वे पवित्र हो गये यह बात मानने वाली नहीं है। जैसा हमारा स्तर है वैसा ही उनका स्तर भी है। जैसी हमारे समाज की आर्थिक पद्धति है, जो समाज के आचार विचार हैं और जो समाज की न्याय पद्धति है यह सब इस बात की जिम्मेदार है और यही कारण है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप इन मूल कारणों को ढूंढ़ कर नहीं निकालेंगे चाहे सबको बर्खास्त कर दिया जाय, मंत्री महोदय को अलग कर दिया जाय, लेकिन दशा में कोई अधिक परिवर्तन होने वाला नहीं है।

मैंने देखा है कि आप भी देखते हैं कि पुलिस आफिसर्स किस तरह से मुकदमें चलाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से झूठी गवाही लाकर सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। रोज देखने में आता है कि जिनके सामने कत्ल हुआ उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह शहादत दे सकें और पुलिस वाले झूठी शहादत ले आते हैं और सजा दिलवा देते हैं और हाई कोर्ट में जाकर वे छूट जाते हैं। मैं यह नहीं मानता कि हाई कोर्ट के जज़ेज बदनियती से फैसला देते हैं, बल्कि नेकनियती से देते हैं लेकिन न्याय पद्धति इस प्रकार की है जो इस चीज के लिये जिम्मेदार है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं भ्रष्टाचार की ओर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन उन लोगों के भ्रष्टाचार की ओर अवश्य ध्यान देता हूं जिनकी बेसिक पे इतनी है जिससे उनकी जरूरियात पूरी हो सकती हैं। उनके ऊपर कड़ी निगाह रखने की जरूरत अवश्य होती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि दो एक दिन इन मूल कारणों को ढूंढ़ निकालने के लिये अवश्य रक्खे जायंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, इस वादविवाद में अनुदान का समर्थन करते हुए मैंने आपसे बोलने की जो अनुमति मांगी इसका केवल एकमात्र कारण यह है कि इस अवसर से वाद.विवाद से लाभ उठा कर हमारे माननीय कम्युनिस्ट सदस्य श्री झारखंडे राय जी ने हमारे पुलिस विभाग के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के समूचे आय-व्ययक का रूस और चीन के साथ नाता जोड़ने का प्रयत्न किया। इस सम्बन्ध में श्रीमन् मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पुलिस के खर्चे से रूस और चीन के खर्चों से कभी भी कोई शक्ति ऐसी नहीं हो सकती, इस देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जो उससे कोई अनुमान या अन्दाज लगा सके। इसके बारे में एक चीज स्पष्ट है और वह यह है कि हमारा जो पुलिस का बजट है उसके सभी आंकड़ों में स्पष्ट है कि अगर कोई अनुमान या अन्दाजा लगाया जाय तो रूस या चीन के बजट से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि चीन में पुलिस का काम मिलीशिया भी करती है और उसकी सेना में १७० डिवीजन हैं यानी १ करोड़ फौजी सिपाहियों की संख्या है। यह मेरी सूचना नहीं है, चीन के सूचना विभाग की सूचना है। माननीय झारखंडे राय जी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह रूस और चीन की सरकारें ६० और ७० फीसदी टैक्सों से बजट नहीं चलाती। चीन और रूस के कौन से बजट के आंकड़े उन्होंने दिये मुझे पता नहीं। बहुत कोशिश की कि कोई रूस के बजट की प्रतिलिपि मिल जाय, इसी विधान सभा की पुस्तकालय में बहुत कोशिश की कि एक प्रति उसकी मिल जाय लेकिन नहीं मिली। बहुत कोशिश करने पर उत्तर मिला कि वह रूसी जबान में है मांगने पर वह नहीं मिला। लेकिन रूस के एक सरकारी पत्र में यह कहा गया है कि रूस की ६० फीसदी आमदनी कर भार से वसूल होती है और वह कर भार उन लोगों से लिया जाता है जो साधारण उपभोक्ता होते हैं यानी सेल्स टैक्स से। वहां भी सेल्स टैक्स कहते हैं। एक चीज तो श्रीमन् यह है क्योंकि सरकार स्वीकार करती है कि सेल्स टैक्स द्वारा ६० फीसदी आमदनी करती है।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है अभी मैंने राज्यपाल महोदय के संबोधन के समय निवेदन किया था कि चीन की सरकार के सूचना विभाग ने कुछ आंकड़े प्रकाशित किये हैं और उसमें उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि ४५·०५ फीसदी हमारी आमदनी जनता पर कर भार से होती है। तो मैं नहीं जानता कि यह कम्युनिस्ट नारा जो मौके बे मौके हमेशा हमारे सामने लगाया जाता है कि हमारी बड़ी खराब हालत है और हिन्दुस्तान में हमें कोई अधिकार नहीं है तो यह क्यों ? यह तो नारा लगाने के लिये नारे हैं लेकिन मैं एक चीज माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और कहता हूं कि माननीय झारखंडे राय जी यह सुझाव बहुत अच्छा है कि इस बात का पता लगाया जाय कि लखनऊ की गलियों में और उत्तर प्रदेश के शहरों में जो अमरीकन घूमा करते हैं वह क्या किया करते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी पता लगाना चाहिये कि अमरीकनों के अलावा और कौन सी विदेशी शक्तियां अपने उत्तर प्रदेश में खुफिया तौर से घूमकर पैसा बहाकर यहां के राजनैतिक दलों का संचालन करती है और साथ ही साथ एक चीज का और पता लगाना चाहिये कि इधर महीने दो महीने के भीतर जो डाके पड़े हैं और जो चोरियां हुई हैं उनके संबंध में माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की चेष्टा करें और सभी साधनों का अवलंब कर पता लगाने की चेष्टा करें कि जो लोग पकड़े गये हैं उनके पास कौन सी टोपियां और झंडे कौन पकड़े गये हैं, उनकी क्या-क्या चीजें पकड़ी गई हैं और किस प्रकार यह अराजकता फैल रही है और फैलाई जा रही है।

श्रीमन्, मैं एक बात का उदाहरण देना चाहता हूं। कानपुर में होली बड़े वीभत्स रूप में मनाई जाती है। वहां यह सोचा गया कि इस उप चुनाव के बाद वह और भी ज्यादा गंदे ढंग से मनाई जाय। पुलिस ने इस बात की कोशिश की कि जहां तक हो सके राह चलतों को या और दूसरे लोगों को एक दो दिन के बाद ज्यादा परेशान न किया जाय और इस बात को ध्यान में रख कर उसमें रोकथाम भी की गई इसके बाद विरोधी दल की एक सभा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में कहा गया कि देखो कितनी गन्दी सरकार है। हम ब्रिटिश जमाने से यह गन्दी होली मनाते चले आ रहे हैं लेकिन यह सरकार यह चाहती है कि हम गन्दी होली न मनाने पावें। इस प्रकार का वातावरण हमारे प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी भी आप जांच करावें ताकि सभी दलों की बातें प्रकाशित हो सकें। यहां तो पुलिस की जितनी संख्या है, हमारे झारखंडे राय जी ने जो कहा उसको तो मैं क्या बयान करूं, उसका कुंवर सुरेश प्रकाश जी ने कुछ जिक्र भी किया था। इंग्लैंड वगैरह में २१८ या २१९ आदमियों पर एक पुलिस कांस्टेबिल है। यह उत्तर प्रदेश जो भारत के दूसरे प्रान्तों में सबसे बड़ा है उसमें पुलिस की संख्या कम से कम है लगभग ६५० पीछे एक का औसत नगरों में पड़ता है। भारत में जितने प्रदेश हैं उनका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल शासन है जिसमें पुलिस का खर्च सम्मिलित है उनका औसत समूचे खर्च का २५.१ पड़ता है और हमारा प्रदेश सबसे बड़ा होते हुए भी इसका खर्च का २१.३ पड़ता है। इतना-कम खर्च पुलिस का और इतनी समस्याओं और इसके साथ-साथ बाहर से आने वाली मुसीबतों, पैसा और शक्तियों के अराजक कार्यों को रोकते हुए भी जिस प्रकार हमारी रक्षा माननीय गृह-मंत्री कर रहे हैं उसके लिये, मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित है कि उन्हें बधाई दी जाय।

श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब यह बजट हमारे सामने आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे पूर्ण आशा थी कि दल सिंगार दूबे पर जिन पुलिस कर्मचारियों ने लाठियों से प्रहार किया था उनकी तनज्जुली और बरखास्तगी तो जरूर हुई होगी। लेकिन ऐसा कुछ न देख कर मैं अवाक् सा रह गया। क्या सरकार का यह कर्तव्य है कि जिन्होंने हिन्दुस्तान के लिये अपनी जवानी खो दी आज उसके लिये कोई सुनवाई न हो ? क्या हमारे पूज्य बापू ऐसे ही स्वराज्य की कल्पना किया करते थे ? क्या हमारे देश के हजारों नवयुवक हंसते-हंसते ऐसे ही स्वराज्य की कल्पना में सीने पर गोली का वार खा लिये ?

[श्री यमुना सिंह]

क्या हमारे भारत वर्ष की हजारों नारियों की गोदें सूनी हो गईं ऐसे ही स्वराज्य की कल्पना में। हर्गिज नहीं यह निरा धोखा निकला। अब मुझे जो दूसरी बात कहनी है कि हर एक पुलिस स्टेशन पर लिखा हुआ है रिश्वत लेना पाप है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी हेड मुहर्रिर ऐसा नहीं जो ५,१० रुपया बिना लिये रिपोर्ट लिखता हो। गाजीपुर जिले में बिरनो थाने में डी० एस० पी० साहब भेष बदल कर गये और कहे कि मैं फलां जगह से आ रहा हूं, मेरा सामान चोरों ने छीन लिया है। हेड मुहर्रिर ने कहा कि ५० रुपया लिये बिना हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं, इतना ही नहीं बल्कि उनको थाने के बाहर निकाल दिया गया। डी० एस० पी० साहब ने कुछ कार्यवाही की लेकिन वह नहीं के बराबर थी। आये दिन गाजीपुर जिले के बिरनो और मरदह थाने के अन्दर अक्सर डकैतियां हुआ करती हैं। होता क्या है कि जो बिलकुल बेगुनाह आदमी होते हैं वही फंसाये जाते हैं। कुछ पुलिस के दलाल ऐसे हैं जिनके जरिये से बेगुनाह आदमियों को फंसाया जाता है और जो डाकेजनी करते हैं वह ऐसे ही घूमा करते हैं।

आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि गाजीपुर के जमनियां थाने के थानेदार चन्द्र भूषण पांडे राघवपुर से एक लड़की को चुरा कर ले गया जब उनके ऊपर इस्तगासा दायर हुआ तो आई० जी० और डी० आई० जी० के यहां से तो बर्खास्तगी हुई उनकी लेकिन सरकार ने उसे बहाल कर दिया। यह हालत है सरकार के यहां से न्याय की। ऐसी ही अगर हालत रही तो मजलूमों की आह से एक दिन ऐसा तूफान उठेगा जिसमें हम और आप बह जायंगे। पुलिस के सुधार में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन करना होगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि थोड़े से टाइम में उन्होंने अपना भाषण देकर और लोगों को बोलने का अधिक अवसर देकर वास्तव में कम से कम जो पुलिस की परिस्थिति है इस प्रदेश में उसके लिये अवसर दिया। उन्होंने यह कहा था और एक लिस्ट दी है कि पुलिस का बजट घटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह नहीं देखा कि जिस प्रकार सालाना पुलिस का बजट घटा दिया गया उसी प्रकार अपराधों की संख्या बढ़ती गई। जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें दिया हुआ है कि सन् १९५२ में डकैती, हत्या, दंगे, सेंध लगाना कम था और सन् १९५४ में उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। यह उस परिस्थिति में है, जैसा लोगों ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और डाके को चोरी लिखा जाता है और चोरी बहुत कम लिखी जाती है। अगर उनकी रिपोर्ट भी ठीक लिखी जाय तो जो तादाद दी हुई है उनकी संख्या कितनी अधिक होगी इसको स्वयं सदन सोच सकता है। अभी माननीय नाजिम अली साहब ने एक उदाहरण देकर घटना का वर्णन किया है। मैंने बचपन में एक खेल देखा था "अंधेर नगरी बेबूझ राजा।" उसका नक्शा मेरी आंखों के सामने खिंच गया कि अपराध किसी ने किया था फांसी किसी को दी गई। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि जो आदमी कत्ल करता है, डकैती करता है वह सड़कों पर बड़े शान से सीना तान कर निशंक हो कर टहलता है और जो आदमी ऐसा नहीं करता उसको डर बना रहता है कि न जाने कब आफत आ जाय सिर पर। यह परिस्थिति प्रत्येक जिले की है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार घूस खोरी की बात भी सदन में कही गई। कहा गया कि कचहरियों में और पुलिस अधिकारियों के यहां नोटिस बोर्ड टंगा हुआ है कि घूस लेना अपराध है लेकिन घूस ली जाती है यह बात किसी से छिपी नहीं है। परन्तु यह अलग बात है कि घूस कैश में हो या काइन्ड में हो या किसी और रूप में। अध्यक्ष महोदय, मैं कई अधिकारियों को जानता हूं जो थानेदार या पुलिस के दलाल देहातों में रहते हैं उनके वहां चर्चा की कि फलां जगह गेहूं बढ़िया होता है तो वह फौरन सप्लाई किया जाता है। अब इसी परिस्थिति को देखते हुए ठीक है क्योंकि इससे जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। जब दरोगा से एस० पी० घी के टीन और गेहूं के बोरे लेते हैं तो उसकी भी हिम्मत बढ़ती है कि जब यह इतना लेते हैं तो हम भी क्यों न लें।

अध्यक्ष महोदय, अप्वाइंटमेंट और सिलेक्शन के बारे में बड़ा पक्षपात होता है। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार संविधान ने और समझदार लोगों ने इस बात को माना है कि सिलेक्शन में जो अप्वाइंटमेंट हों तो उनमें उन लोगों को प्रीफ्रेंस मिलना चाहिये, जो परिगणित जाति या पिछड़े वर्ग के हैं। इसी प्रकार से जो पुलिस में अप्वाइंटमेंट होते हैं उसमें पिछड़े हुए जिलों के लोगों को प्रीफ्रेन्स दिया जाय। छोटे-छोटे अप्वाइंटमेंटस् में भी पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को प्रीफ़्रेन्स दिया जाय। मैं कहूंगा कि आज पुलिस विभाग कुछ लोगों की मोनोपोली है कुछ जातियों का एकाधिकार है। तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है जब तक इनकी मोनोपोली खत्म न की जायगी। चाहे पुलिस मंत्री कुछ भी क्यों न करें।

बहुत से अधिकार ऐसे हैं जैसा कि माननीय वीरेन्द्रपति यादव ने कहा। मैं अपने यहां की बात कहता हूं कि हमीरपुर में एक जिले के ही नहीं बल्कि एक ही तहसील के ८-१० दरोगा हैं जो एक ही इलाके के निवासी हैं और एक ही जाति के हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। एक ही जिले में उनका अप्वाइंटमेंट हो गया है। जब उनमें से एक आदमी गड़बड़ी करता है तो दूसरा दरोगा उसको सपोर्ट करता है और उन्हीं के इंसपेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस पहुंच जाते हैं और उनका एक पूरा गुट बन जाता है जो कि डकैतों की तरह काम करता है। इसी प्रकार से देखा जाय तो प्रत्येक जिले में यह परिस्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन के सामने माननीय सदस्यों ने बहस की तो माननीय पन्त जी ने भी इस प्रकार से १९२९-३० में, जब वह अपोजीशन के लीडर थे, तो उन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये, किस प्रकार से गवर्नमेंट में घूस खोरी है, इसके संबंध में कहा था कि :—

"Besides, departmental officers themselves screen the offenders."

जो अपराधी होते हैं उनको अधिकारी वर्ग ही छिपाते हैं। इस प्रकार से वास्तविक परिस्थिति सामने नहीं आ पाती है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने संकेत किया था, और कहा था कि :—

"But the highest Indian of undisputable character may tell the Inspector General or any other gentlemen that to his knowledge, such and such police officers are not honest and he will not be believed, his words will not be accepted. They will attribute motives and ascribe his complaint to personal spite."

इस प्रकार की परिस्थिति में पन्त जी ने कहा था वही परिस्थिति आज भी है इतने सदस्य चाहे अपोजीशन के हों या कांग्रेस के हों वह कहते हैं तो यह कहा जाता है कि ऐसा नहीं है और कुछ स्वार्थ है इस लिये ऐसा कहा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि वास्तव में यह कांग्रेस गवर्नमेंट के लिये स्वयं एक बड़े खतरे की चीज है। जिस समय पन्त जी ने सुझाव रखा था तो नवाब छतारी ने कहा था कि :—

"I believe that it is the duty, not only of members of the Government or Heads of the department, but other responsible officers of the Police Department to see that their subordinates are not allowed to extort money or to oppress the people for their own benefit because that is I believe a very dangerous thing and a very vital point for Government. There is nothing that brings the Government into contempt more than corruption in the services. I admit that no body can serve his purpose better, if he wishes to destroy the British Government from India, than by encouraging corruption in the services."

[श्री जोरावर वर्मा]

उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को खत्म करना है तो उसका एक ही जरिया है कि करप्शन को पुलिस में बढ़ाया जाय। वही परिस्थिति आज यहां पर हो रही है और उसका यह एक बहुत बड़ा चैलेन्ज है कि अगर यही परिस्थिति रही तो यह गवर्नमेंट अपनी जगह पर नहीं रह सकती।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बहस आज इस पुलिस के अनुदान पर हुई उसकी मुझे इतनी आशा नहीं थी। पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मैं समझता हूं इस सदन के लिये बहुत अच्छी बात होती, अगर माननीय रावत जी आज अपना भाषण न दिये होते। वह शायद समझते हैं अध्यक्ष महोदय, कि हम लोग स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने वह एक लेक्चर देकर के, अब चूंकि डिप्टी मिनिस्टर साहब हैं तो, हम उनकी सलाह पर चल जायंगे, ऐसा उनका खयाल हो गया है। उन्हें आज मालूम हो गया होगा इस हाउस के अन्दर कि इस सदन के मेम्बरान स्कूल के बच्चे नहीं हैं। वह सब समझते हैं इस बात को। और क्या बात उन्होंने कही। उसे सुन कर अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख हुआ। कहते हैं, साहब, अपोजीशन पार्टी ने जो अपोजीशन का फर्ज है उसे अदा करना चाहिये, वह अदा नहीं किया। क्या वह वह यह चाहते थे कि मैं धुआंधार वर्षा करता, उनको दस बातें सुनाता तो अपोजीशन का कार्य पूरा होता? सजेस्पन्स मांगते हैं। पन्द्रह मिनट का समय मिला, उसमें पुलिस का खाका खींचते या सजेचन्स देते, क्या-क्या करते। सजेचन्स तो हम फिर भी मुख्य मंत्री से मिल कर उनको दे सकते हैं। वह तो डिप्टी मिनिस्टर ही हैं, हम तो सीधे मिनिस्टर साहब के पास पहुंच सकते हैं और उन्हें अपनी राय बता सकते हैं, उनके पास हम क्या जायं? मैं यह सोच रहा था कि इस हाउस के अन्दर सभी लोग बोले, सबने पुलिस की शिकायत की।

[* * *]

आज इस बहस से एक फायदा हुआ अध्यक्ष महोदय, और वह यह है कि हम सब लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं बिना किसी पार्टी के खयाल के, जितने भी माननीय सदस्य यहां हैं, सबकी एक आवाज है कि पुलिस के अन्दर रिफार्म होना चाहिए। यह सब ने माना है। मुख्य मंत्री जी ऐसा करेंगे, यह मैं जानता हूं। लेकिन बावजूद इस सारी राय के जो कि यहां साढ़े छः करोड़ जनता के प्रतिनिधियों ने व्यक्त की, अगर वह सब झूठे और पुलिस वाले सच्चे, यह उन्होंने माना तो फिर कोई सुधार होने वाला नहीं। उन सब सदस्यों ने जिन्होंने चर्चा की, सबने यहां बयान दिया वह भी झूठे और माननीय शिवकुमार जी भी झूठे जिन्होंने कि बिजनौर का किस्सा बयान किया कि वहां पर महिलाओं का रेप हुआ, तो मैं क्या कहूं। बिजनौर में आज पुलिस के सब अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, वहां जो यह रेप हुआ उसके सिलसिले में। लेकिन वहां के एस० पी० को क्यों नहीं कुछ किया गया? कहां-कहां का कहें अध्यक्ष महोदय, लाल बाग में .....

श्री जगनप्रसाद रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे खयाल में वह मिसकोट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि लाल बाग में सामने जो लिबर्टी होटल है, उसके अन्दर जाकर देखिये तो सही, पता लगाइए, बहुत करीब है माननीय रावत जी के।

एक सदस्य—आप बड़े एक्सपर्ट मालूम होते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं हर क्राइम का एक्सपर्ट हूं।

[माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।]

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वाश फिर दिलाना चाहता हूं कि निराश न हों इस बहस से परसनल अटैक का कोई ताल्लुक है। अगर इसमें खराबियां हैं तो वह दूर होनी चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है। हमारा यह कहना कि हम आज वर्तमान पुलिस के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं, यह हमारी राय सारे सदन की है और आज जो सबसे बड़ी चीज है वह इस लेजिस्लेचर को चैलेंज है पुलिस में सुधार के लिए। या तो यह पुलिस सुधर जायेगी या हम जो लेजिस्लेचर के सारे मेंम्बरान यहां बैठे हुये हैं हम बरबाद हो जायंगे। हम उठ नहीं सकते। हमारा चुनाव बहुत जल्द आ रहा है। हम कब तक बर्दाश्त करें अपने लोगों पर जुल्मों को। हम कब तक कहें कि आज सुधार होगा, कल सुधार होगा। कुछ हद भी तो हो। इसलिए इस नियत से, इसलिए नहीं कि कि हम गवर्नमेंट को कंडेम करना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लोग हैं, हमारे मुख्य मंत्री हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज है।

एक बात जो रावत जी ने कही वह समझ में आई। उन्होंने कहा कि कुछ एम० एल० ए० एक तरफ की बात करते हैं, तो दूसरे कुछ दूसरी तरफ की बात करते हैं। चलो यह भी मान लें। लेकिन आज तो सारा सदन कह रहा है कि पुलिस में ज्यादती और अत्याचार है, वह दूर होना चाहिये। इसलिए अब केवल उनके लिये यही चारा है कि इसे दूर करें और सीताराम शुक्ल जी जिन्होंने उनकी सी कही उनको अपने पास लें जायं। लेकिन यह बात और किसी ने नहीं कही। कटु शब्द भी हो गये होंगे, अपने उद्गार तो निकलने ही थे। वह कब तक दबाये जा सकते हैं। अगर रावत जी यह समझते हैं कि हमें डर हो गया कि कहीं हमारी रिपोर्ट न कर दें, यह चीज वह दिमाग से निकाल दें। यह तो कहने का तरीका था कि हम डरे हुए हैं। मैं तो यह कहना चाहता था कि वह हमें डराना चाहते हैं और अगर हम डर सकते हैं तो सीधा साधा किसान बेचारा, जो गरीब है, निहत्था है, जिसके पास कुछ नहीं तो क्या उसको डराया नहीं जा सकता। हम डरे नहीं हैं, हम सारे कांसिक्वेंसेज को लेने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे कुमायूं के पुलिस सुपरिंटेंडेंट से कहा जायगा कि इसका भी खयाल रखिए तो मैं तैयार हूं। रात को लखनऊ में बाहर नहीं निकलूंगा, दारुलशफा में रहूंगा। तीन चार रोज की तो बात है। जब सारा किस्सा भूल जायंगे तो चला जाऊंगा।

एक वेलफेयर स्टेट में जहां हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं उसमें पुलिस का क्या रवैया होना चाहिये उसके सम्बन्ध में सदन के प्रतिनिधियों से अधिक बतलाने वाला और कौन हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, हम वही बतलाना चाहते थे। आज हमारे अन्दर कितनी यूनिटी और मेल है और हम लोगों ने जो उद्गार यहां अपने निकाले वह इसलिए कि हम जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी जो यहां पर बैठे हैं वह हमारी बात को मानेंगे अगर वह ठीक समझेंगे। वह नहीं कहेंगे रावत जी की तरह कि बड़ा अच्छा है, एक शिकायत करते हैं दूसरे झूठा बताते हैं। क्या खेल है? अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं, किस किस के बारे में कहूं। मुझे अच्छे सभी सुझाव लगे, कोई बुरा नहीं लगा। और भी बहुत से सुझावों की बात मुझे करनी थी, लेकिन आज भूल गया हूं, फिर करूंगा। एप्रोप्रिएशन बिल आने वाला है इसी सदन में, उस दिन मैं सारे सुझाव दूंगा। इस वक्त साल में एक मौका मिल जाता है जब कि हमारे अफसरान भी बैठे रहते हैं ताकि वह हमारी भावनाओं को जानें। वह हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस की जगह फौज के अधिकारी रख दिये जायं और जितने सुपरिंटेंडेंट पुलिस हैं वह मान सिंह डाकू से लड़ने जायं। मर ही तो जायंगे, हमें क्या लेना देना है। ड्यूटी अजाम देते समय आदमी मर ही जाते हैं। वहां मान सिंह से लड़ें और पलटन के अफिसर यहां काम करें तब मालूम होगा कि कितना जबरदस्त अनुशासन और डिसिप्लिन इस प्रदेश के अन्दर हो जाता है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमें गलत न समझें। हम जो कुछ कहना चाहते हैं कि इस नियत से नहीं कि हम उनको बदनाम करना चाहते हैं बल्कि इस नियत से कि हमारे पुलिस वाले समझ जायं कि उनकी ज्यादती और करप्शन को हम ज्यादा दिनों तक बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री झारखंडे राय--मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक सेकेंड में ।

श्री अध्यक्ष--आप बाद में कह सकते हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय,मुझे कुछ ज्यादा निवेदन करना नहीं है । जो भाषण यहां हुए हैं उनसे प्रदेश के भीतर जो स्थिति है और उस स्थिति का पुलिस विभाग से जो सम्बन्ध है उस पर काफी प्रकाश पड़ता है । और कुछ कहने से पहले मैं हृदय से उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज जैसा वातावरण था उसमें दो चार शब्द पुलिस विभाग के पक्ष में भी कहे और वह कहना उचित था । जैसे कि सभी लोगों ने इस विभाग की खराबियों का जिक्र किया, अब खराबियां चाहे जितनी भी हों परन्तु कम से कम कुछ तो अच्छे आदमी हैं ही, कुछ तो ईमानदार , निष्पक्ष, सच्चे और देशभक्त आदमी हैं ही । यदि एक सार्वभौम निन्दा का वातावरण फैल जाय तो ऐसे लोगों की भी हिम्मत टूट सकती है । जो शब्द प्रशंसा के कहे गये कम से कम उससे उन लोगों की हिम्मत तो बढ़ी रहेगी और उनके मन में तो यह विश्वास जरूर होगा कि जहां बुरा काम करने वालों की निन्दा होती है वहां हमारे अच्छे काम की प्रशंसा भी होती है, उसके लिये एप्रिसिएशन का भाव भी है ।

यहां पर जो मुख्य बात है उसका थोड़े में चर्चा करने के पहले एक आध गौण सी बातें हैं उनका मैं जिक्र कर दूं । माननीय श्री झारखंडे राय जी को स्वभावतः हर जगह रूस और चीन का स्वप्न दिखायी पड़ता है और उन्होंने किसी एक पुस्तक से कोई अवतरण पढ़कर हमको यह बताया कि कि चीन की पुलिस कई मानों में बहुत अच्छी है, किन्हीं सज्जन को ऐसा दिखायी पड़ा कि चीन के शहरों में न कोई चोर है, न कोई डाकू है, न कोई बुरा आदमी है । ठीक है, नहीं होगा । लेकिन एक बात है कि किसी देश की जब बात कहनी हो तो उसके शासन का केवल एक ही टुकड़ा नहीं लिया जा सकता, सब चीजों को लेना होगा सम्पूर्ण तस्वीर लेनी होगी । यदि चीन के शासन के इस अंश को लेना चीन के शासन के पीपुल्स कोर्टस को भी लेना होगा कि जहां किसी आदमी पर संदेह हो तो मुहल्ले के चार आदमियों से राय ले ली जाय और यदि उनकी राय हुई तो नजदीक के पेड़ से उसे लटका दिया जाता है ।

श्री झारखंडे राय--यह कहां से खबर मिली आपको ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां से आपको मिली । और उसके साथ एक बात और भी करनी होगी कि फिर झारखंडे राय जी को शायद इस आजादी के साथ बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चीन, जिसका स्वप्न वह देखते हैं, वहां जो रूलिंग पार्टी होती है उसके सिवाय न किसी पार्टी का दफ्तर होता है, न किसी पार्टी का अखबार होता है, न किसी दूसरी पार्टी के आदमी को भाषण देने का मौका मिलता है । अगर यह सब चीजें अपने देश में लानी हो तो वैसी एफ़िशेन्ट पुलिस भी लायी जा सकती है नहीं तो जो डेमोक्रेसी का तरीका हमने अख्तियार किया है उसके साथ बहुत सी अच्छाइयां हैं, हो सकता है कि कुछ खराबियां हों, या वे खराबियां डेमोक्रेसी में न हों बल्कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी वजह से हों, लेकिन मैं समझता हूं कि उस किस्म की दशा जिसका कि वह जिक्र कर रहे हैं कोई भी आदमी लाने के लिये तैयार नहीं होगा ।

एक मित्र को इस बजट में तलाश करने पर भी एक चीज नहीं मिली । मुझे आश्चर्य हुआ उनके भोलेपन पर । उन्होंने कहा कि इस बजट को उन्होंने बड़ी आशा के साथ खोला वह समझते थे कि इसमें एक चीज मिलेगी कि एक पुलिस अफसर ने श्री दल सिंगार दूबे को मारा पीटा था तो उनकी तनज्जुली का इसमें जिक्र होगा । श्री दल सिंगार को किसने मारा पीटा यह तो मुझे मालूम नहीं, अदालत से भी शायद पता नहीं चला लेकिन अगर किसी ने मारा पीटा होता और वह साबित भी हो गया होता तो बजट में कैसे यह चीज होती यह मेरी समझ में नहीं आता । तो इसलिये अगर इस सम्बन्ध में उनको निराशा हुई तो मुझे अफसोस है कि हमेशा उनको इस किस्म के दुख का सामना करना पड़ेगा ।

मैंने शुरू में भी कहा था कि ऐसे कोई कारण नहीं हैं कि हम यह मान लें कि माननीय सदस्य जो बात कहते हैं वह गलत है। मैं तो खैर, जैसा कुछ हूं वह हूं लेकिन मुझसे हजार गुणा लायकको कोई आदमी हो वह भी प्रदेश के हर जिले में, हर थाने के पास, हर गांव में, हर वक्त नहीं रह सकता।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमारे पास जरूर ही सरकारी जरिये से बहुत सी रिपोर्ट आती रहती हैं और यह भी हम नहीं कहते कि वह रिपोर्ट सही है। लेकिन उन सब रिपोर्ट से और उनकी डिटेल से कुछ टोटल निकाला जाय तो यह नतीजा निकलेगा कि सूबे के अन्दर बहुत आराम है और सब लोग शान्ति से रहते हैं और सब जगह अमन है। जो भी उससे परिणाम निकालेगा वह यही निकलेगा। मैं समझता हूं कि आप दुनियाके किसी भी देशको ले लीजिये सरकारी जरिये से जो रिपोर्ट उनके पास आयेंगी उनका यही निष्कर्ष निकलेगा जो कि कोई भी आदमी निकाल सकता है कि उनका काम बहुत अच्छा है और लोग अमन से रहते हैं। लेकिन यह उसका एक ही पहलू है। इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा और वह दूसरा पहलू हमको अखबारों से मिल सकता है, बहुत कुछ माननीय सदस्यों से मिल सकता हैऔर बहुत कुछ आपस की बात चीत से मिल सकता है और यहां पर सदस्यों के भाषण से भी मिल सकता है। हो सकता है कि किसी खास मामले में कुछ अतिशयोक्ति हो और यह हो सकता है कि किसी खास म[illegible] पूरी जानकारी न हो लेकिन जिस बात को बहुत से आदमी कहते हों उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। जिस बात को कुछ लोग ही कहें उसमें कुछ संशय हो सकता है लेकिन जिस बात को इतने आदमी कहते हैं वह १६ आना गलत हो यह हर्गिज नहीं हो सकता है। यह उस तस्वीर का पहलू जरूर होगा चाहे उसकी कितनी रोकथाम की गयी हो, क्राइम को दबाने का चाहे कितना ही प्रयत्न किया गया हो लेकिन यह दूसरा उस तस्वीर का पहलू है इसमें किसी को संदेह नहीं है।

मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसमें किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है चाहे वह कोई भी पार्टी हो सिवाय उन लोगों के जो इस बात को चाहते हैं कि देश के अन्दर अराजकता पैदा हो जिसको आप सब जानते होंगे कि मदुरा में एक कान्फ्रेंस हुयी थी और उसमें जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था वह मैंने यहां पर पढ़ कर सुनाया था जिसमें यह कहा गया था कि हमको विद्यार्थियों में, किसानों में हर जगह जहां कहीं भी जिस तरह से हो सकता है उपद्रव का वातावरण पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये और अशान्ति का वातावरण पैदा करना चाहिये और देश में शान्ति न रहने पाये इसके अतिरिक्त उनके पास और कोई उपाय नहीं है। उन लोगों को छोड़ कर जो लोग और डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं वह सब लोग इस बात को मानते हैं कि चाहे कोई आदमी हो उसके लिये मजबूत ऐडमिस्ट्रेशन की जरूरत है जो भी अहलकार हो वह निष्पक्ष हो, वह किसी पार्टी के साथ बंधकर न रहे और वह अपना काम ईमानदारी से करें। एसेम्बली में और कौंसिल में पार्टी आती हैं और जाती हैं लेकिन अहलकार निष्पक्ष और अपने को सब पार्टी से अलग रखें और साथ ही वह इमानदार भी होना चाहिये। अगर इस समय मैं अहलकारों के विषय में आदर्श का जिक्र करूं तो इस समय सरकार के अहलकारों के सामने सबसे बड़ा आदर्श फ्रान्स का है। फ्रान्स में साल भर में दो तीन बार गवर्नमेंट जाती है और आती है लेकिन फ्रांसके अन्दर शासन में कोई रुकावट नहीं आती है, वहां का शासन खूबी के साथ चलता रहता है। चाहे उनका कहीं भी साम्राज्य हो वहां पर भी उनका शासन चलता रहता है। वह शासन वहां के सरकार के अहलकारों के बल पर ही चलता रहती है। सालमें ३,४ बार वहां की सरकार बदलती है लेकिन वहाँ का शासन वैसा ही रहता है। इस देश में भी हर पार्टी का एक ही इन्टरेस्ट है चाहे वह कांग्रेस होगा या समाजवाद पार्टी हो जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती हैं और जो इस बात को नहीं मानती हैं कि उनके सामने कोई हिंसा का सवाल है और जो सब लोगों में दिलचस्पी रखती है वह सब इस बात को चाहते हैं कि जो खराबी है उसको दूर करना चाहिये।

मदनमोहन जी ने इस बात को कहा कि मुझे यह संकल्प करना चाहिये कि यह जो खराबी है उसको मैं दूर करूं। मैं यह तो नहीं जानता कि मैं इसको दूरकर सकूंगा या नहीं और इस काम में सफल हो सकूंगा किन्तु मुझे जरूर करना चाहिये ऐसा मैं मानता हूं। कई तरह की बातें मेरे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दिमाग में आती हैं और मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं करप्शन दूर कर सकूंगा और पुलिस में जितनी खराबी है उसको भी मैं दूर कर सकूंगा और न मैं यहां पर उसका दावा करता हूं लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं और कुछ बातें सोचता हूं कि पुलिस विभाग के जो अफसर हैं उनका सहयोग भी मुझको प्राप्त होगा और यह भी विश्वास है कि सदन में हर तरफ के लोगों का मुझको सहयोग प्राप्त होगा और कोई वजह नहीं है जैसे और विभागों में प्रदेश ऊपर उठा है और उन कामों में सफलता प्राप्त हुई है, पूर्ण सफलता की बात तो मैं नहीं कहता, जो मनुष्य के दिमाग से काम होता है, जो मेटीरियल काम नहीं हैं, उनमें नाप तौल करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी सफलता के मार्ग पर काफी दूर तक चलने की संभावना है और मैं इतनी ही आशा प्रकट करता हूं कि मेरे कहने का जो भी अर्थ हो, या मूल्य हो, मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में जो मांग मैंने पेश की है उसको मंजूर किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के लिये ५३,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२२ मार्च, १९५५ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३ पर)

Draft Agreement between the Punjab and Uttar Pradesh Governments, regarding distribution of supplies of River Yamuna at Tajewala, between Western Yamuna Canal, Eastern Yamuna Canal and apportionment of expenditure on Tajewala Headworks and related works.

This Agreement made on the 12th day of March 1954.

Between the Governor of Uttar Pradesh of the one part and the Governor of the Punjab of the other part, witnesses as follows:

1. In supersession of all previous orders and agreements on the above noted subject, the supplies of the river Yamuna at Tajewala and the expenditure on Tajewala Headworks and connected training works will be governed by this Agreement, which will come into force from 1st April, 1950.

2. In the event of the river discharge being less than the total indent of the two canals, i.e. Western Yamuna Canal and Eastern Yamuna Canal the supplies available at Tajewala will be distributed in accordance with the table given below:—

Stage	Total River discharge at Tajewala—X cusecs	Supplies to which W.Y.C. will be entitled in cusecs	Supply to which E.Y.C. will be entitled in cusecs	Remarks
I	Upto 5890	.. 2/3x-47	1/3x plus 47	
II.	From 5890 to 8790	.. x-2010	2010 W.Y.C. takes excess.	
III.	From 8790 to 9280	.. 6780	x-6780 E.Y.C. takes excess.	
IV.	From 9280 to 10900	x-2500	2500 W.Y.C. takes excess.	

When the total river discharge is in excess of 10900 cs. the Punjab and the Uttar Pradesh will have the right to utilise the excess over 10,900 cusecs in the ratio of 2 : 1.

3. The Shingle excluder at Tajewala and Silt extractor at Dadupur will not be run, until the indent of Eastern Yamuna Canal has been met in full.

4. The supplies will be metered at the meters situated at .R.D. 1,000 on the Eastern Yamuna Canal and R.D. 7,000 of western Yamuna Canal.

5. The meters referred to in clause 4 abovewill be calibrated and discharge table framed, which will form the basis of regulation between the two canals. Any changes in the discharge tables found necessary, will be made after joint-discharge observations by officers of the Punjab and Uttar Pradesh not below the rank of Sub-Divisional Officers. If any party does not respond the request of the other party for a joint discharge observation within a week, a change in the discharge table will be made provisionally on the basis of the discharge observed by either party till a joint discharge is observed.

6. If part supply of Western Yamuna Canal is taken through Diversion Channel or through Rafting Channel, the same will be metered and its discharge included in working out the total discharge of Western Yamuna Canal.

7. If for any reasons the Punjab fails to meet the share of the Eastern Yamuna Canal to the limit of its indent in any one week the deficit will be made good in the following weeks.

8. The Officers of either Government will have free access to all the works, plans, estimates, reports and other records pertaining to the Headworks, training works and guaging sites on the two canals.

Maintenance of Tajewala Headworks

9. The maintenance of Tajewala Headworks and related training works will be the responsibility of the Punjab Government.

10. The Punjab Government will initiate all proposals for proper maintenance of the Headworks and training works and improvement of the same, and will carry out all works without reference to the Uttar Pradesh Government except in case of works charged to Capital, the estimated cost of which exceeds Rs.50,000 for each individual work. Such works shall be carried out with the concurrence of Chief Engineer, Uttar Pradesh.

Apportionment of Expenditure

11. The total actual expenditure on all works and Bstablishment relating to Tajewala Headworks and training works in any financial year (Ist April to 31st March)will be apportioned between the Punjab and Uttar Pradesh in the ratio of total discharge in cusecs days run in two canals during the year in question. The discharge escaped back into the river through the Silt Extractor at Dadupur will be deducted from the total discharge of Western Yamuna Canal vide clauses 4 and 6 above in arriving at the figure of net supply for Western Yamuna Canal for purpose of clauses 2 above.

Debit will be arised by the Punjab Government against the Uttar Prad esh for the latter's share of the expenses soon after the close of the financial year and adjustment will be made in the March Supplementary Accounts for the year as far as possible.

12. The works expenditure will include expenditure on all classes of work s whether chargeable to Revenue or Capital.

13. Cost of establishment referred to in clause 11 above will be worked out at 27 1/2% of works expenditure on the Tajewala Headworks and Training Works, in any financial year (Ist April to 31st March).

In case of Capital works, in which specific provision exists in the estimate for establishment charges on the usual percentage basis, expenditure actually booked on works will be counted as works expenditure and establish ment charges will be accounted for under establishment.

14. The work "Headworks" wherever used in this agreement shall include the Weir, the Undersluices and the Regulators and the term "Training Works" shall include all works upstream of the Headworks, and the works downstream, up to one mile, at either end, along the river.

General

15. The Government of the Uttar Pradesh will have the right to terminate this agreement and to make alter native arrangements for obtaining their share after giving three year's notice to the Punjab Government. If not terminated earlier, this agreement will be binding on both the Government for a period of 50 years from Ist April, 1950, after which it may be renewed

16. The Chief Engineers of the two Governments will meet every year as soon after the flood season as convenient and discuss problems of common interest.

17. In witness whereof the Chief Engineer, Uttar Pradesh, Public Works Department, Irrigation Branch, for and on behalf of the Governor of Uttar Pradesh and the Chief Engineer and Secretary to Government, Punjab, Public Works Department, Irrigation Branch, for and on behalf of the Governor of Punjab, have signed this deed.

S. L. MALHOTRA,
Chief Engineer and Secretary to Government,
Punjab, P.W.D., Irrigation Branch.
For and on behalf of the Governor of Punjab.

A. C. MITRA,
Chief Engineer, Uttar Pradesh,
Irrigation Branch.
For and on behalf of the Governor of the Uttar Pradesh.

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२ पर)

सूची

गूलें इत्यादि निम्न प्रकार बनी हैं:-

(अ) १९५४-५५ के अन्तर्गत २.५५ तक मोहम्मदी में पक्की गूल २८ मील
(ब) " " " " कच्ची गूल २६ मील
(स) " " " " पाइप लाइन ५ मील

इसी प्रकार मोहम्मदी वेस्ट के ट्यूब वेलों पर १९५३-५४ में गूलें बनीं जो कि निम्न प्रकार हैं:-

(अ) मुहम्मदी वेस्ट के ट्यूब वेलों पर पक्की गूलें १९५३-५४ में बनीं २९ मील
(ब) " " " " कच्ची गूल १२८ मील
(स) " " " " पाइप लाइन ४ मील

इसलिये कुल गूलें जो कि मोहम्मदी वेस्ट ग्रूप के ६९ कूपों पर बनीं निम्न प्रकार हैं:-

(अ) कुल पक्की गूल जो २.५५ तक बनी ६२ मील के स्थान पर जैसा कि एस्टीमेट में है ५७ मील बनी।

(ब) कुल कच्ची गूल जो २.५५ तक बनी : १३८ मील के स्थान पर जैसा कि एस्टीमेट में है १५४ मील बनी।

(स) पाइप लाइन जो २.५५ तक बनी : ६ मील के स्थान पर जैसा कि एस्टीमेट में है ९ मील बनी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६ पर)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई नलकूपों की सूची।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये नलकूप

जिलों के नाम		६००	२००	५१	१००	४४०	१४	६०	२००	९९५	२८०	३७०	योग जनवरी ३१, १९५५ तक उन नलकूपों की संख्या जिन पर पम्प लग चुके हैं		शेष
१—सहारनपुर	..	३	४			१००						५	१०७	१०२	५
२—मुजफ्फरनगर	..	४१	११									५	५७	५२	५
३—मेरठ	..	८२	३८									८	१२८	११५	१३
४—बुलन्दशहर	..	१२८	१८									६	१५२	१४६	६
५—एटा	..	२०	७							९१			१२०	१०७	१३
६—अलीगढ़	..	१६९	१२२							९८०			२९१	२७८	१३
७—मैनपुरी	..									९८			९८	३४	६४
८—फर्रुखाबाद	..									१४५			१४५	११७	२८
९—कानपुर	..									६			६	४	२
१०—बिजनौर	..	२९		१५			१४					१५	७३	५८	१५
११—बदायूं	..	५५		२१								८	८४	७६	८
१२—खेरी	..					१४८							१४८	१४८	
१३—शाहजहांपुर	..					५५							५५	५५	
१४—मुरादाबाद	..	७३		१४								८	९५	८७	८
१५—बरेली				१								३०	३१	१	३०
१६—सीतापुर	..					४७							४७	४७	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिलों के नाम														योग जनवरी ३१, १९५३ तक उन नल-कूपों की संख्या जिन पर पम्प लग चुके हैं		शेष
	६००	२००	५१	१००	४४०	१४	६०	२००	९९५	२८०	३७०					
१७—फैजाबाद ..					५६		६०		१२०					२३६	११६	१२०
१८—बस्ती ..		५०							१३०		१५			१९५	१५७	३८
१९—गोंडा ..					३०						५०			८०	३०	५०
२०—गोरखपुर .		२२						२०	६५		२५			१३२	६५	६७
२१—देवरिया ..		२८							१००		१०			१३८	८८	५०
२२—सुल्तानपुर									१३३					१३३	४७	८६
२३—बहराइच ..								३०			१५			४५		४५
२४—इलाहाबाद..									१८		५०			६८		६८
२५—जौनपुर ..									४९	४५	२५			११९		११९
२६—बनारस ..										९०				९०	६५	२५
२७—नैनीताल (तराई)										४०				४०	२६	१४
२८—आजमगढ़ ..					२			७०	४०	३५				१४७	७२	७५
२९—गाजीपुर ..					१			४०		३५	२५			१०१	४१	६०
३०—बलिया ..					१			४०		३५	२५			१०१	४१	६०
३१—मिर्जापुर ..											१५			१५		१५
३२—फतेहपुर ..											६			६		६
३३—आगरा ..											८			८		८
३४—मथुरा ..											४			४		४
३५—लखनऊ ..											१५			१५		१५
३६—जिनका स्थितिकरण नहीं हुआ है ..											९५			९५		९५
योग ..	६००	२००	५१	१००	४४०	१४	६०	२००	९९५	२८०	३७०	९५	३४०५	२१७५	१२३०	

पी० ए० यू० पी०—ए० पी० ७ एल० ए०—१९५५—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा